

हरियाणा विधान सभा

की

कार्यवाही

24 अक्टूबर, 2017 (द्वितीय बैठक)

खण्ड-3, अंक-3

अधिकृत विवरण



विषय सूची

मंगलवार, 24 अक्टूबर, 2017

पृष्ठ संख्या

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव—	4 (1)
हैफेड की ओर से अनाज मण्डी, झज्जर में बाजरे की खरीद न करने बारे	4 (2)
वक्तव्य—	8 (1)
खाद्य आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले मंत्री द्वारा उपरोक्त ध्यानाकर्षण प्रस्ताव संबंधी	8 (1)
महाराणा प्रताप वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय, मुआना, जींद, हरियाणा के अध्यापकों तथा विद्यार्थियों का अभिनन्दन	12
ध्यानाकर्षण प्रस्ताव (पुनरारम्भ)	13
विभिन्न मामले उठाना	40
ध्यानाकर्षण प्रस्ताव—	50 (1)
नौकरियों से निकाले गए जे.बी.टी. अध्यापकों को वर्ष, 2017 में जारी रखने बारे	50 (2)
वक्तव्य—	51 (1)
शिक्षा मंत्री द्वारा उपरोक्त ध्यानाकर्षण प्रस्ताव संबंधी	51 (2)
ढाणियों में बिजली की आपूर्ति संबंधी मामला उठाना	63
विधान कार्य—	64 (1)
(i) दि हरियाणा मैनेजमैन्ट ऑफ सिविक अमेनिटीज एंड इन्फ्रास्ट्रक्चर डैफीशिएन्ट म्यूनिसिपल एरियाज	64 (2)

(स्पेशल प्रोवीजन्ज) (अमैन्डमैन्ट) बिल, 2017

(ii)	दि हरियाणा म्युनिसिपल (सैकण्ड अमैंडमैंट) बिल, 2017	68
(iii)	दि हरियाणा म्युनिसिपल कारपोरेशन (सैकण्ड अमैंडमैंट) बिल, 2017	70
(iv)	दि इण्डियन स्टैम्प (हरियाणा सैकण्ड अमैंडमैंट) बिल, 2017	72
	सदस्यों को समय पर विधेयक उपलब्ध करवाने का मामला उठाना	74

हरियाणा विधान सभा

मंगलवार, 24 अक्टूबर, 2017 (द्वितीय बैठक)

विधान सभा की बैठक, हरियाणा विधान सभा हाल, विधान भवन, सैक्टर – 1,
चण्डीगढ़ में दोपहर बाद 3:30 बजे हुई। अध्यक्ष (श्री कंवर पाल) ने अध्यक्षता की।

(जब सदन समवेत हुआ, उपाध्यक्ष महोदया ने अध्यक्षता की)

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव—

झज्जर अनाज मंडी में हैफेड द्वारा बाजरे की अधिप्राप्ति न करने संबंधी

उपाध्यक्ष महोदया : माननीय सदस्यगण, मुझे डॉ० रघुवीर सिंह कादियान, विधायक तथा आठ अन्य विधायकों (श्रीमती गीता भुक्कल, श्री कुलदीप शर्मा, श्री जगबीर सिंह मलिक, श्री करण सिंह दलाल, श्री श्रीकृष्ण हुड्डा, श्री आनन्द सिंह दांगी, श्रीमती शकुन्तला खटक तथा श्री जय तीर्थ) द्वारा हैफेड की ओर से अनाज मण्डी झज्जर में बाजरे की खरीद न करने बारे ध्यानाकर्षण सूचना संख्या नं० 20 प्राप्त हुई है। मैंने इसको स्वीकार कर लिया है।

ध्यानाकर्षण सूचना संख्या नं० 23 जो कि श्री अभय सिंह चौटाला, विधायक तथा दो अन्य विधायकों (श्री परमेन्द्र सिंह ढुल तथा श्री ओम प्रकाश बरवा) द्वारा दी गई है, समान विषय का होने के कारण ध्यानाकर्षण सूचना संख्या नं० 20 के साथ जोड़ दी गई है। ये विधायक भी सप्लीमेंटरी पूछ सकते हैं।

स्थगन प्रस्ताव संख्या नं० 5 जो कि श्री करण सिंह दलाल, विधायक तथा तीन अन्य विधायकों (श्रीमती गीता भुक्कल, श्री आनन्द सिंह दांगी तथा श्री जगबीर सिंह मलिक) द्वारा दिया गया है मैंने उसको ध्यानाकर्षण सूचना संख्या नं० 37 में परिवर्तित कर दिया है तथा समान विषय का होने के कारण इसे ध्यानाकर्षण सूचना संख्या नं० 20 के साथ जोड़ दिया है। ये विधायक भी सप्लीमेंटरी पूछ सकते हैं।

ध्यानाकर्षण सूचना संख्या नं० 38 जो कि श्रीमती किरण चौधरी, विधायक द्वारा दी गई है, समान विषय का होने के कारण ध्यानाकर्षण सूचना संख्या नं० 20 के साथ जोड़ दी गई है। श्रीमती किरण चौधरी, विधायक भी सप्लीमेंटरी पूछ सकती हैं।

अब डॉ० रघुवीर सिंह कादियान, विधायक प्रथम हस्ताक्षरी होने के नाते अपनी सूचना पढ़ें (डॉ० रघुवीर सिंह कादियान इस समय सदन में उपस्थित नहीं थे।)

उपाध्यक्ष महोदया : चूंकि डॉ० रघुवीर सिंह कादियान इस समय सदन में उपस्थित नहीं है इसलिए अब श्रीमती गीता भुक्कल ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पढ़ेंगी।

Smt. Geeta Bhukkal: Madam Deputy Speaker, all the MLAs of this House especially from the Congress Party who have given the Calling Attention Notice want to draw the kind attention of this august House towards non-procurement of bajra by the

Hafed at the Grain Market, Jhajjar. They have stated that the farmers and the commission agents are protesting against non-procurement of bajra by the Hafed at the grain market Jhajjar. The agents said that they had received a large quantity of bajra from farmers following the promise made by the Minister of State for Food and Supplies that Hafed would buy the entire crop. Over 75,000 quintals of bajra is lying unsold in the market and the farmers have submitted all required documents for selling the crop to Hafed, but the procurement is not being made for the past seven days. Now this time has become more than ten days. Hafed offered to procure merely 5000 quintals while the farmers demanding procurement of the entire produce lying in the market. By not doing so, Hafed is creating differences between farmers and commission agents. The State Government should lift the arbitrarily law and anti-farmer ceiling imposed on the procurement of bajra and to make good the loss of farmers who had to sell it at below the MSP. Needy farmers are selling their produce to private buyers at a loss of Rs.300/- to Rs.400/- per quintal. The Chief Minister should immediately intervene in the matter to direct Hafed to resume to procurement of entire stock of bajra and compensate such farmers who had to sell their crop at throwaway prices for their losses. I request the Government to clarify its position by making a statement on the floor of the House in this regard.

ध्यानाकर्षण सूचना संख्या 23 ध्यानाकर्षण सूचना संख्या 20 के साथ संलग्न

श्री अभय सिंह चौटाला, विधायक, श्री परमिन्दर सिंह ढूल, विधायक और श्री ओम प्रकाश, विधायक इस महान सदन का ध्यान एक अत्यावश्यक लोक महत्व के विषय की ओर दिलाना चाहते हैं कि हरियाणा प्रदेश में बाजार व अन्य फसलें काफी समय से तैयार हैं तथा बाजार में आना शुरू हो गई है। बाजरे की खरीद भी शुरू हो चुकी है और लगभग 2.50 लाख किंवंटल बाजरे की खरीद भी प्रदेश की मंडियों में हो चुकी है। बड़े ही खेद की बात है कि न तो किसानों की बाजरे आदि की खरीद समय पर हो पा रही है और न ही किसानों को बाजरे का पूरा मूल्य मिल रहा है। दूसरी तरफ न तो समय पर उसके उत्पाद की खरीद हो पा रही है और न ही उसका उठान हो पा रहा है जिससे किसानों को बाजरा बेचने में परेशानी आ रही है। किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य से काफी कम मूल्य मिल रहा है। परन्तु जब फॉर्म—जे जारी किया जाता है तो किसानों को इसका पूरे मूल्य का भुगतान दिखाया जाता है। किसानों को इससे भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है। सरकार ने किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य दिलाने की कोई ठोस योजना नहीं बनाई जिस कारण किसानों में इस बारे भारी रोष व आकोश व्याप्त है। किसान बार—बार किसी न किसी कारण घाटे में जाता रहता है अतः सरकार किसानों की समस्याओं, विशेषकर समर्थन मूल्य पूरा व समय पर देने की व्यवस्था करे व सुनिश्चित करे कि भविष्य में भी किसानों को इस तरह की समस्या का सामना न करना पड़े। अतः सरकार इस बारे विधानसभा में वक्तव्य देने का कष्ट करें।

ADJOURNMENT MOTION NO.5 CONVERTED INTO CALLING ATTENTION NOTICE NO. 37 AND CLUBBED WITH ADMITTED CALLING ATTENTIN NOTICE NO. 20.

Shir Karan Singh Dalal, MLA, Smt. Geeta Bhukkal, MLA, Shri Anand Singh Dangi, MLA and Shri Jagbir Singh Malik, MLA want to draw the kind attention of this august House towards the farmers and commission agents are protesting against non-procurement of bajra by the Hafed at the Grain Market, Jhajjar. The agents said that they had received a large quantity of bajra from farmers following the promise made by the Minister of

State for Food and Supplies that Hafed would buy the entire crop. Over 75,000 quintals of bajra is lying unsold in the market and the farmers have submitted all required documents for selling the crop to Hafed, but the procurement is not being made for the past seven days. Hafed offered to procure merely 5000 quintals while the farmers demanding procurement of the entire produce lying in the market. By not doing so, Hafed is creating difference between farmers and commission agents. The State Government should lift the arbitrarily law and antifarmer ceiling imposed on the procurement of bajra and to make good the loss of farmers who had to sell it at below the MSP. Needy farmers are selling their produce to private buyers at a loss of Rs. 300/- to Rs. 400/- per quintal. The Chief Minister should immediately intervene in the matter to direct Hafed to resume the procurement of entire stock of bajra and compensate such farmers who had to sell their crop at throwaway prices for their losses”.

**CALLING ATTENTION NOTICE NO.38 AND CLUBBED
ADMITTED CALLING ATTENTION NOTICE NO. 20
CONCERNED MEMBERS ARE ALLOWED TO RAISE A
SUPPLEMENTARY WITH CALLING ATTENTION
NOTICE NO. 20.**

Smt. Kirin Choudhry want to draw the kind attention of the House towards the regressive and anti-famer decision of the State Government to arbitrarily fix woefully low ceiling of 10,000 metric tones on the procurement of bajra in the current season. Aimed at benefiting the traders, when this low ceiling was breached, HAFED officials refused to mop up bajra at MSP in various mandis of the State, especially in Mahendragarh and

Rewari districts. This forced the farmers to resort to distress selling and incur losses. First bajra procurement started quite late due to failure of the State Government. than it had to be stopped due to shortage of gunny bag Aud later. when the woefully low ceiling was reached, HAFED officials refused to lift the produce throwing the farmers open to exploitation by avaricious traders. Needy farmers had to sell their produce to private buyers at a loss of Rs. 300 to 400 per quintal. She has has requested Hon,ble Members of the House to discuss this vital issue and impress upon tbe State Government to inform them as to what made the State Government fix such ill-considered and terribly low ceiling on bajra mop-up. And how it plans to make good the loss of tile farmers who had to resort to distress selling, and suffer loss of Rs. 300 to Rs. 400 per quintal.

वक्तव्य—

खाद्य आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले मंत्री द्वारा उपरोक्त ध्यानाकर्षण प्रस्ताव संबंधी

खाद्य एवं आपूर्ति राज्य मंत्री (श्री कर्णदेव कम्बोज) : श्रीमान जी, इस सम्बन्ध मे वर्णन है कि हरियाणा राज्य मे बाजरे की न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीफ खरीद सीजन 2003–04 के दौरान आरम्भ हुई थी और खरीफ खरीद सीजन 2011–12 तक बाजरे की खरीद की गई। 2008–09 से पहले तक न्यूनतम समर्थन मूल्य के तहत खरीदा गया बाजरा भारतीय खाद्य निगम द्वारा केन्द्रीय भण्डार मे स्वीकार किया गया और इसके बाद यह टैण्डर के माध्यम से बोली द्वारा खुले बाजार मे बेचा गया। आर्थिक लागत और निपटान मूल्य के अन्तर की प्रतिपूर्ति भारतीय खाद्य निगम द्वारा राज्य सरकार को अनुदान के रूप मे की गई। उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, भारत सरकार ने 2009–10 के दौरान सूचित किया कि उनके ध्यान मे आया है कि मोटे अनाजों की खरीद के समय राज्य सरकार विभाग द्वारा समय–समय पर जारी मापदण्डो को पूर्ण नहीं करती। इसलिए भारत सरकार द्वारा निर्णय लिया गया है कि खरीफ वर्ष 2009–10 के दौरान राज्य

सरकार और इसकी खरीद संस्थाओं द्वारा खरीदे गए मोटे अनाजों की कोई भी मात्रा जो निर्धारित मापदण्डों को पूर्ण नहीं करती उसे न तो केन्द्रीय भण्डार में स्वीकार करेगी और न ही इसका निपटारा भारतीय खाद्य निगम द्वारा किया जाएगा। ऐसे मामले में मोटे अनाजों की बिक्री से होने वाले नुकसान को राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाएगा। इन हिदायतों की पालना करते हुए भारतीय खाद्य निगम द्वारा खरीफ सीजन 2009–10, 2010–11 व 2011–12 में राज्य सरकार द्वारा खरीदे गए पूर्ण बाजरे के स्टॉक को बी.आर.एल घोषित कर दिया जिससे राज्य सरकार को भारी नुकसान हुआ। इसके उपरान्त विभाग द्वारा भरसक प्रयास किए गए और मोटे अनाजों की खरीद की नीति को यथावत् रखने के लिए भारत सरकार से मामला टेक-अप किया गया परन्तु भारत सरकार/भारतीय खाद्य निगम द्वारा मोटे अनाजों को केन्द्रीय भण्डार में लेने व इसका निपटाना वर्ष 2003 की नीति अनुसार करने से मना कर दिया। वर्ष 2011–12 के बाद राज्य सरकार द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य के तहत बाजरे की खरीद करने से मना कर दिया गया और वर्ष 2012–13, 2013–14 व 2014–15 के दौरान बाजरे की कोई खरीद नहीं की गई। वर्तमान सरकार किसानों के हितों के प्रति सजग है इसलिए सरकार परिवर्तित हो जाने के उपरान्त खाद्य विभाग और खरीद संस्थाओं द्वारा खरीफ खरीद सीजन 2015 से बाजरे की खरीद पुनः आरम्भ की गई। इसके उपरान्त भारत सरकार द्वारा निर्धारित मापदण्डों के अनुरूप बाजरे की खरीद खाद्य विभाग और इसकी संस्थाओं द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य पर की जा रही है। जहां तक किसानों को अदायगी का सम्बन्ध है भारत सरकार की नीति अनुसार उनको बाजरे की अदायगी चैक/आर.टी.जी.एस. के माध्यम से सीधे उनके खाते में की जा रही है। इसलिए यह कहना गलत है कि किसान भारत सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम समर्थन मूल्य के मुकाबले अपनी फसल का कम मूल्य प्राप्त कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त राज्य सरकार राजस्व रिकार्ड के सत्यापन तथा किसानों की पहचान के बाद मण्डियों में आने वाले बाजरे के हरेक दाने की खरीद सुनिश्चित कर रही है।

पिछले तीन वर्ष के दौरान न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद किए गए बाजरे की मण्डीवार खरीद की विवरणी निम्न प्रकार से है:—

क्र.संख्या	जिले का नाम	मण्डी का नाम	2015–16 के दौरान खरीद	2016–17 के दौरान खरीद	2017–18 के दौरान खरीद दिनांक 21.10.2017 तक
1.	भिवानी	दादरी	10	45	2125

		भिवानी	101	..	801
2.	फरीदाबाद	तिगांव	5
3.	गुडगांव	फारुख नगर	668
		हेली मण्डी	538
4.	झज्जर	झज्जर	2834	3555	4370
		मातन हेल	..	1325	1837
		ढाकला	1473	1088	1405
5.	रोहतक	मेहम	335	72	32
		रोहतक	197	254	310
6.	मेवात	तावडू	10
7.	नारनौल	नारनौल	45	2	1464
		नंगल चौधरी	1011
		अटेली	44	..	2109
8.	रेवाड़ी	कोसली	1675
		रेवाड़ी	40	..	711
	कुल	5094	6341	19056	

उक्त तालिका से स्पष्ट है कि इस वर्ष राज्य सरकार द्वारा 8 बाजरा उत्पादक जिलों की 14 मण्डियों में बाजरे की खरीद की है। इस वर्ष सरकार द्वारा न केवल पिछले वर्ष की तुलना में तीन गुणा अधिक बाजरे की खरीद की गई है परन्तु ज्यादा मण्डियों में खरीद की गई है। जहां तक झज्जर जिले का सम्बन्ध है अकेले झज्जर जिले में राज्य सरकार द्वारा 19056 टन से से 7612 टन बाजरे की खरीद पिछले वर्ष की 5968 टन खरीद की तुलना में की गई है। यहां यह भी स्पष्ट किया जाता है कि राज्य सरकार द्वारा मण्डियों में बाजरे की खरीद बन्द नहीं की गई है अपितु व्यापारियों द्वारा बाजरे के व्यापार की शंका के मध्यनजर सरकार झज्जर, नारनौल, रेवाड़ी, भिवानी, दादरी, गुरुग्राम, मेवात, फरीदाबाद तथा रोहतक जिलों की मण्डियों में पड़े बाजरे का सत्यापन करवा रही है। सरकार द्वारा सम्बन्धित उपायुक्तों, जिला नियंत्रकों तथा सभी खरीद संस्थाओं के प्रमुखों को मण्डियों में पड़े बाजरे का सत्यापन शीघ्र करने तथा यदि यह बाजरा निर्धारित मापदण्डों अनुसार है और किसान का ही है तो इसे तुरन्त खरीदने बारे हिदायतें तुरन्त जारी कर दी जाएगी। राज्य में बाजरे की कोई बिक्री कम मूल्य पर नहीं की जा रही है।

श्रीमती गीता भुक्कल : उपाध्यक्ष महोदया, वैसे तो हमने काम रोको प्रस्ताव दिया था लेकिन आपने उसे ध्यानाकर्षण प्रस्ताव में परिवर्तित कर दिया है। झज्जर की अनाज मण्डी में दीवाली से पहले ही हमारे किसान, मजदूर और आढ़ती इस समय धरने पर बैठे हुए हैं क्योंकि सरकार की तरफ से आश्वासन मिलने पर भी उनका बाजरा नहीं खरीदा जा रहा है। उपाध्यक्ष महोदया, मैं बताना चाहूंगी कि सरकार की तरफ से किसानों को आश्वासन देने के बाद फूड एण्ड सप्लाई मिनिस्टर ने झज्जर की

एक अनाज मंडी का दौरा किया और वहां पर इन्होंने किसानों से कहा कि हम आपके एक—एक बाजरे के दाने को खरीदेंगे। उपाध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से बताना चाहूंगी कि वहां के कमीशन एजेंट्स ने टोकन देकर ज्यादातर बाजरा मंडियों में डलवा लिया। हमारे झज्जर की अनाज मंडी, मातनहेल की अनाज मंडी और ढाकला की अनाज मंडी ऐसी ही है। उपाध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगी कि बाजरे की खरीद के करीबन 10 दिन हो गये हैं, उसके बाद भी 75 हजार विंटल से ज्यादा बाजरा इस समय झज्जर की अनाज मंडी में पड़ा हुआ है और 10 दिन से एक भी बाजरे के दाने को खरीदा नहीं गया है। उपाध्यक्ष महोदया, जिस समय आदरणीय करण देव कम्बोज जी, फूड एण्ड सप्लाई मिनिस्टर वहां पर उन किसानों के पास गए तो उन्होंने किसानों को यह आश्वासन दिया कि आपका सारों का सारा बाजरा खरीदा जाएगा। उपाध्यक्ष महोदया, मैं सदन की जानकारी के लिए बताना चाहूंगी कि उसके बाद किसानों के बाजरे के दाने खरीदने में एक लिमिट लगा दी गई कि सरकार इससे ज्यादा बाजरा नहीं खरीदेगी। उपाध्यक्ष महोदया, इस तरह से किसानों के साथ बहुत ही अन्याय हुआ है। उपाध्यक्ष महोदया, मैं सदन की जानकारी के लिए बताना चाहूंगी कि किसान और आढ़ती सभी लोग उस क्षेत्र में काली पटियां बांधकर सांकेतिक भूख—हड़ताल पर बैठे हुए हैं। उपाध्यक्ष महोदया, हमने वहां पर जाकर उन किसानों को आश्वासन दिया है कि हम आपके साथ हैं, इसलिए उपाध्यक्ष महोदया, मैं इस सदन को बताना चाहूंगी कि हमारा हरियाणा एक ऐसा प्रदेश है जहां पर हम “जय जवान और जय किसान” का नारा लगाते हैं। इसके साथ—साथ जो किसान धरती का सीना चीरकर फसलों को पैदा करता है वही किसान अपनी दिवाली के दिन काली दिवाली मनाने का काम कर रहा है, इसके लिए हम मौजूदा सरकार की कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। हम सरकार से इस बारे में एक आश्वासन चाहते हैं। इसके साथ—साथ मंत्री जी सदन को यह जरूर बताएं कि आखिर क्यों किसानों को अपने बाजरे के मिनिमम प्राइस से भी कम मजदूरी मिलती है। उपाध्यक्ष महोदया, मंडियों में अनाज का ढेर ऐसे पड़ा हुआ है जैसे वह राजस्थान के रेत का ढेर हो, इस तरह किसानों के साथ बहुत बड़ा अन्याय हुआ है। उपाध्यक्ष महोदया, मैं सदन की जानकारी के लिए बताना चाहूंगी कि हमारे हरियाणा की जो पहचान है वह यह है कि हमारा हरियाणा एग्रीकल्चर स्टेट है और उस एग्रीकल्चर के नाम पर ही हमारे प्रदेश का किसान, मजदूर, व्यापारी और आढ़ती पिस रहा है। उपाध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से

सदन को बताना चाहूंगी कि जो यह अनाज मंडियों में ढेर पड़े हुए हैं और जो वहां पर हमारे किसान भाई धरने पर बैठे हुए हैं, उसको विभिन्न मीडिया के साथियों ने कवरेज किया है। उपाध्यक्ष महोदया, मैं मौजूदा सरकार से ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के माध्यम से केवल यह जाननी चाहती हूं कि आखिर क्या बात है कि किसान की हित की बात करने वाली यह सरकार आज किसान विरोधी हो गई है। उपाध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से सदन को बताना चाहूंगी कि इस समय हमारे प्रदेश के किसानों का जो बाजरा मंडियों में पड़ा हुआ है, मौजूदा सरकार ने उसकी खरीद न करके यह सिद्ध कर दिया है कि जो इस हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वह किसान विरोधी सरकार है। उपाध्यक्ष महोदया, इस समय हमारे झज्जर में करीबन 40800 हैक्टेयर में बाजरे की फसल होती है। सरकार द्वारा खरीदा गया बाजरा मात्र 76 हजार किंटल के लगभग है। उनमें से 75 हजार किंटल तो मंडियों में पड़ा हुआ है। उपाध्यक्ष महोदया, मौजूदा सरकार जो है वह अपनी बात से मुकर रही है। हैफड जो हमारी प्रॉक्योरमेंट एजेंसी है, वह भी उसको नहीं खरीद रही है। उपाध्यक्ष महोदया, बहुत से किसान ऐसे हैं जोकि अपना बाजरा खेत से उठाकर मंडियों तक नहीं लेकर जा पाए या फिर उन्होंने बहुत कम दाम पर ही अपने बाजरे को कहीं भी बेचने का काम किया। उपाध्यक्ष महोदया, मेरा आपके माध्यम से केवल यह अनुरोध है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ये statement on the flour of the House दें कि जो 10 दिन से झज्जर अनाज मंडी में हमारे आढ़ती कमीशन एजेंट्स, किसान, मजदूर और उनके साथ में जो लोग वहां पर काम करने वाले थे जो भूखे पेट वहां पर हड़ताल कर रहे हैं, सरकार इनके बाजरे की खरीद का काम कब तक पूरी तरह कर लेगी।

महाराणा प्रताप वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय, मुआन, जींद, हरियाणा के अध्यापकों तथा विद्यार्थियों का अभिनन्दन

उपाध्यक्ष महोदया: माननीय सदस्यगण, मैं सदन की जानकारी के लिए बताना चाहती हूं कि महाराणा प्रताप सीनियर सेकेण्ड्री स्कूल, मुआना, जींद, हरियाणा के विद्यार्थी तथा अध्यापकगण आज सदन की कार्यवाही देखने के लिए दर्शक—दीर्घा में उपस्थित हैं। मैं अपनी तथा सारे सदन की तरफ से इनका स्वागत करती हूं। (मेंजे थप—थपाई गई)

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव (पुनरारम्भ)

उपाध्यक्ष महोदया: इस ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर पहले माननीय सदस्य अपने सवाल पूछ लें उसके बाद मंत्री जी अपना जवाब दे देंगे ।

आवाजें : ठीक है ।

श्री अभय सिंह चौटाला : उपाध्यक्ष महोदया, आपने मुझे बाजरे की खरीद के बारे में जो ध्यानाकर्षण प्रस्ताव हमारी तरफ से दिया गया उस पर बोलने का अवसर दिया उसके लिए आपका धन्यवाद करता हूँ । सदन में मंत्री जी कल भी कह रहे थे और आज भी कह रहे थे कि सरकार एक—एक दाना बाजरे का खरीदेगी । मैं पिछले दिनों मेवात से लेकर फतेहाबाद, सिरसा और राजस्थान बार्डर से लगते सभी जिलों में जाकर आया । उस दौरान वहां मुझे व्यापारी और किसान मिले । मैंने किसानों से पूछा कि बाजरे की फसल कैसी हुई है तो मुझे जवाब मिला कि इस बार बाजरे की बम्पर फसल हुई है । मुझे हैरानी होती है कि किसान का बाजरा जिस समय निकला उस समय किसी भी मण्डी में सरकारी खरीद शुरू नहीं हुई थी और किसानों ने मुझे बताया कि उन्होंने अपना बाजरा 1000—1100 रुपये प्रति विंटल बेचा है । उनको जे फार्म तो 1425 रुपये प्रति विंटल के हिसाब से दिए गए हैं लेकिन 80 प्रतिशत बाजरे की खरीद केवल 1000—1100 रुपये प्रति विंटल के हिसाब से ही हुई है । उपाध्यक्ष महोदया, मेरे से पहले गीता भुक्कल जी बोलते हुए कह रही थी कि झज्जर मण्डी में लाखों विंटल बाजरा पड़ा है जिसकी सरकार खरीद नहीं कर रही है । मैं भी वहां जाकर आया था । सरकार के मंत्री ने आश्वासन दिया था कि एक—एक दाना बाजरे का खरीदा जायेगा । वहां पर किसानों को टोकन भी दे दिए गए लेकिन उनका बाजरा नहीं खरीदा गया जिसके कारण वहां के किसानों ने काली दिवाली मनाई । शायद आज तक भी वहां बाजरा नहीं खरीदा गया है और ज्यों कि त्यों पड़ा हुआ है । मंत्री जी दो दिन से सदन में भी कह रहे हैं कि पूरा बाजरा खरीदेंगे । इस दो दिन में ये वहां का पूरा बाजरा खरीदवा लेते लेकिन बाजरा खरीदने की इनकी नीयत नहीं है ।

कृषि मंत्री (श्री ओम प्रकाश धनखड़) : उपाध्यक्ष महोदया, हमने जितना बाजरा पूरे हरियाणा में खरीदा है उससे ज्यादा बाजरा अकेले झज्जर जिले में खरीदा है । इस बार सरकार ने अकेले झज्जर जिले में 7600 विंटल बाजरा खरीदा है । इसके लिए गीता भुक्कल जी को सरकार का धन्यवाद करना चाहिए । कांग्रेसियों की काली दिवाली रही होगी, किसानों की दिवाली तो बहुत अच्छी रही है ।

श्रीमती गीता भुक्कल : उपाध्यक्ष महोदया, हमारी दिवाली क्यों काली रही होगी ? इन्होंने किसानों के साथ बाजरा न खरीद कर अन्याय किया है । (शोर एवं व्यवधान) झज्जर में किसानों को टोकन दे दिये गये लेकिन उसके बाद भी उनका बाजरा नहीं खरीदा गया । टोकन लेने के बाद किसान कहां जायेंगे ?

श्री ओम प्रकाश धनखड़ : उपाध्यक्ष महोदया, पिछले दो साल से अकेली झज्जर मण्डी में पूरे हरियाणा से ज्यादा बाजरा खरीदा गया है ।

श्री अभय सिंह चौटाला : उपाध्यक्ष महोदया, मंत्री जी कह रहे हैं कि इन्होंने एक-एक दाना बाजरे का खरीदा है । मंत्री जी ने यह भी कहा कि इन्होंने झज्जर अनाज मण्डी में 7600 किंवंटल बाजरा खरीदा है । मैं आंकड़ों के आधार पर कहना चाहूंगा कि बाजरे की खरीद को लेकर सरकार की नीयत में खोट है । सरकारी आंकड़ों के हिसाब से झज्जर जिले में 43 हजार एकड़ भूमि पर बाजरे की फसल बोई गई थी । एक एकड़ में 12 से 15 किंवंटल बाजरा होता है । यदि 40 हजार एकड़ से 12 किंवंटल प्रति एकड़ के हिसाब से गुणा करेंगे तो करीबन 5 लाख किंवंटल बाजरा एक जिले का बनता है । सरकार केवल 76 हजार किंवंटल बाजरा खरीद कर राजी हो रही है बाकी का बचा हुआ बाजरा कहां जायेगा ?

श्री ओम प्रकाश धनखड़ : उपाध्यक्ष महोदया, इस बार सरकार 19 हजार टन बाजरे की खरीद कर चुकी है और आगे भी किसान का बाजरा खरीदने के लिए सरकार के रास्ते ओपन हैं । किसान का बाजरा न खरीदने वाला कोई इश्यू नहीं है । विपक्ष के साथी केवल नम्बर बनाने के लिए यह ध्यानाकर्षण प्रस्ताव ले आये हैं । इनके इस ध्यानाकर्षण प्रस्ताव में कोई दम नहीं है । हमारी सरकार बनने के बाद पहले साल 5 हजार टन, दूसरी साल 6 हजार टन और इस बार 19 हजार टन बाजरा खरीदा गया है । इसके अतिरिक्त जितना भी किसान का बाजरा बचा है उसकी भी हम खरीद करेंगे । यह जानकारी हमने विपक्ष के साथियों को पहले ही दे दी थी लेकिन इन्होंने कहा हमने बोलना है इसलिए ध्यानाकर्षण प्रस्ताव लेकर आ रहे हैं । हमने कहा बोल लेना हम पूरा जवाब देंगे ।

श्री अभय सिंह चौटाला : अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी वे व्यक्ति हैं जिन्होंने बीजेपी की सरकार आने से पहले अपने कपड़े उतारकर साईकल पर चलकर प्रदर्शन किए कि हम किसानों की भलाई के लिए स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करेंगे । इनके साथ इनकी पार्टी के अध्यक्ष बराला जी भी होते थे । हमने इनके इस तरह के भाषण सुने हैं और उसके विडियो आजकल मोबाइल फोन और फेस बुक पर

वायरल भी हो रहे हैं। इनकी सरकार बने तीन साल हो गये लेकिन स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करने के लिए इन्होंने कुछ नहीं किया ।

श्री ओम प्रकाश धनखड़ : उपाध्यक्ष महोदया, विपक्ष के नेता मेरी तुलना सलमान खान से कर रहे हैं। सलमान खान यदि किसी फ़िल्म में अपना कुर्ता उतारता है तो वह फ़िल्म 100 करोड़ कमाती है लेकिन हमने तो उसको भी पीछे छोड़ते हुए 3 हजार करोड़ रुपये पिछले तीन साल में किसानों की भलाई के लिए बांटे हैं। सलमान खान का कुर्ता उतरना 100 करोड़ कमाता है और हमने कुर्ता उतारा तो 3 हजार करोड़ रुपये किसानों की भलाई में दिए हैं। हमारा उतारा हुआ कुर्ता किसानों के काम आया है। (हँसी)

श्री अभय सिंह चौटाला : उपाध्यक्ष महोदया, एक बार तो मंत्री जी ने स्वयं कपड़े उतारे थे लेकिन इस बार चुनाव में जनता इनके कपड़े उतारेगी। (विघ्न) भारतीय जनता पार्टी के कई सदस्यों को अभी भी ढंग से नींद नहीं आती कि आने वाले विधान सभा चुनाओं में इनका क्या होगा? उपाध्यक्ष महोदया, बाजरे की खरीद के बारे में अभी तो मैंने केवल एक जिले का जिक्र किया है और हरियाणा प्रदेश में 12 जिले ऐसे हैं जहां पर बाजरे की पैदावार होती है।

श्रीमती गीता भुक्कल : उपाध्यक्ष महोदया, मंत्री जी आश्वासन दें कि सारा बाजरा खरीदा जायेगा। (विघ्न)

उपाध्यक्ष महोदया : गीता भुक्कल जी, आप बोल चुकी हैं। प्लीज अब आप बैठें। विपक्ष के नेता को अपनी बात पूरी करने दें।

श्री महीपाल ढांडा : उपाध्यक्ष महोदया, पिछली सरकारों के समय में किसानों का कितना बाजरा खरीदा गया और हमारे तीन साल के दौरान कितना बाजरा खरीदा गया उसकी पूरी डिटेल सदन में सभी सदस्यों को दे दी जाये। उससे क्लीयर हो जायेगा कि किस सरकार में कितना बाजरा खरीदा गया?

श्री अभय सिंह चौटाला : उपाध्यक्ष महोदया, मेरे एक साथी ने अभी कहा है कि किस सरकार के समय में कितना बाजरा किसानों का खरीदा गया उसका पूरा रिकार्ड सदन में लाया जाये मैं भी इसके पक्ष में हूं। मैं सदन की जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि इस देश में बाजरे की मिनीमम स्पोर्ट प्राईस माननीय चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने शुरू की थी। उस समय बाजरे का रेट 300 रुपये प्रति विवंटल था लेकिन उन्होंने 515 रुपये प्रति विवंटल के हिसाब से बाजरे की खरीद

करवाई थी । उन्होंने केवल एक—दो जिले नहीं बल्कि जिन 12 जिलों में बाजरे की फसल होती है उन सभी में बाजरे की खरीद करवाई थी । (विघ्न)

श्री महीपाल ढांडा : उपाध्यक्ष महोदया, उन्होंने रेट बढ़ाया होगा लेकिन उन्होंने सारे बाजरे की खरीद नहीं करवाई । मिनीमम स्पोर्ट प्राईस केन्द्र सरकार द्वारा तय की जाती है । (विघ्न)

श्री अभय सिंह चौटाला: उपाध्यक्ष महोदया, मिनीमम स्पोर्ट प्राइस केन्द्र सरकार तय करती है और खरीद राज्य सरकार करती है । ढांडा साहब ने सिर्फ अपनी मुर्गियों को दाना डालने के लिए बाजरा खरीदा है इनको पता ही नहीं है कि बाजरा क्या होता है और धान क्या होता है ? उपाध्यक्ष महोदया, यह एक जिले का नहीं पूरे प्रदेश का काम है । हरियाणा प्रदेश के 12 ऐसे जिले हैं जहां बाजरे की खेती होती है । मंत्री जी, हाउस को इस बात का आश्वासन दें कि जिस किसान का बाजरा 1100 और 1000 रुपये प्रति किवंटल के भाव से खरीदा गया है, जिसे आढ़तियों ने खरीदा है उस बीच के पैसे की किसान की पूर्ति राज्य सरकार करवा कर देगी ।

श्री ओम प्रकाश धनखड़: उपाध्यक्ष महोदया, सरकार का यह आश्वासन है कि सरकार किसानों के बाजरे का एक—एक दाना खरीदेगी ।

श्री अभय सिंह चौटाला: उपाध्यक्ष महोदया, सरकार ने 4 किवंटल के बाद तो कैप लगा दी है कि इससे अधिक बाजरा एक किसान का नहीं खरीदा जायेगा । इसमें भी किसानों को बेइज्जत किया जा रहा है । कभी उनसे जमीन की फर्द मांगते हैं और कभी आधार कार्ड मांगते हैं । किसानों के नाम पर राजनीति करते हैं और उनको अपमानित भी करते हैं ।

श्री ओम प्रकाश धनखड़: उपाध्यक्ष महोदया, वहां पर बाजरा बेचने वाले किसान भी होते हैं और आढ़ती भी होते हैं इसलिए किसान की पहचान के लिए किसान की जमीन की फर्द तो जरूरी है ।

श्री अभय सिंह चौटाला: उपाध्यक्ष महोदया, इस बात की जिम्मेदारी सरकार की है कि वह किसानों के बाजरे का एक—एक दाना खरीदे और जिन किसानों का बाजरा लूट लिया गया और लूटा भी इन्हीं के लोगों ने है । इन्होंने जमाखोरों को छूट दे दी कि तुम सस्ते भाव में खरीद लो और फिर तुम्हारा खरीदा हुआ बाजरा हम बाजार में मंगवा कर 1425/- रुपये प्रति किवंटल के भाव से खरीदेंगे । जो बीच का पैसा है उसकी फिर ये बंदरबांट करेंगे । सरकार ने किसानों को बाजरे में भी लूट लिया, धान में भी लूट लिया, सरसों की खरीद में भी लूट लिया । इसी प्रकार से जब नरमा

कपास की बिजाई गयी की थी उस समय नरमा का रेट 6500 रुपये प्रति विवंटल था और आज के दिन किसान उसी नरमा को 4 हजार रुपये प्रति विवंटल के भाव पर मंडियों में फेंक कर आते हैं। एक तरफ तो नरमा की 90 प्रतिशत फसल बीमारी के कारण खराब हो चुकी है और दूसरी तरफ किसान को उसकी फसल का उचित भाव नहीं मिल रहा है। अब सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि किसानों की खराब फसल का बीमा कम्पनियों से मुआवजा दिलवाये। हिसार, कैथल, जीन्द, फतेहाबाद, सिरसा का ही नहीं बल्कि अगर पलवल जिले में भी किसानों की कपास की फसल खराब हुई है तो सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि उनकी स्पेशल गिरदावरी करवाए और जिन बीमा कम्पनियों ने 500 रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से किसानों की फसलों का बीमा किया था उनसे किसानों को किसान की फसल के मुताबिक मुआवजा दिलवाए ताकि किसान अपनी अगली फसल की बुआई कर सके और फिर से अपने पैरों पर खड़ा हो सके। सरकार किसानों को बीमे के नाम पर लूटा, धान में नमी के नाम पर लूटा, बाजरे, मूंग और सरसों में भी लूट मचाई यानी सरकार ने कोई फसल नहीं छोड़ी है। अब तो हमें यह भी विश्वास हो गया है कि आने वाले सीजन में यह सरकार गेहूं में भी नमी के नाम पर लूटेगी। (शोर एवं व्यवधान)

श्री ओम प्रकाश धनखड़: उपाध्यक्ष महोदया, कुछ शब्द भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर लागू नहीं होते हैं। ये लूट-खसोट वाले शब्द हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर लागू नहीं होते हैं। यह लूटने वाली सरकारें पहले रही होंगी।

श्री करण सिंह दलाल: उपाध्यक्ष महोदया, मैं ज्यादा बहस न करते हुये दो-चार बातों की तरफ माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। मंत्री जी ने अपने जवाब में यह माना है कि जानबूझकर सारा बाजरा सरकार द्वारा क्यों नहीं खरीदा गया। इनके मुताबिक भारत सरकार ने कुछ ऐतराज लगाया है कि पिछली सरकारों में जो बाजरा खरीदा गया था उसकी क्वालिटी ठीक नहीं थी। उपाध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से यह पूछना चाहता हूं कि इसमें किसानों का क्या दोष है? क्या मंत्री जी बतायेंगे कि कृषि विभाग के अधिकारी गांवों में जा कर किसानों को यह बताते हैं कि किस क्वालिटी का बाजरा बोना चाहिए तथा उसका अच्छा बीज कहां से मिलेगा और उसको किस तरीके से बोना तथा झाड़ना चाहिए? आप कहीं भी चले जाइये कृषि विभाग हरियाणा में नजर नहीं आता है। किसान ही अपने आप में कृषि अधिकारी बने हुये हैं। दूसरी बात यह है कि इस बार किसानों का सारा बाजरा क्यों नहीं खरीदा गया है, इसमें भी एक बहुत बड़ी

साजिश हुई है। इस साल गुजरात में चुनाव हैं और गुजरात में भी बाजरे की बहुत जरूरत होती है इसलिए गुजरात के व्यापारियों को फायदा पहुंचाने के लिए जानबूझ कर सरकार ऐजेन्सियों को मंडियों में नहीं जाने दे रही है तथा हरियाणा के किसानों का बाजरा नहीं खरीदा जा रहा है और इनके बड़े व्यापारी किसानों का खून चूस रहे हैं। किसानों की मजबूरी में बाजरे की फसल को 500 रुपये 400 रुपये कम कीमत पर खरीद कर गुजरात ले जाया जा रहा है। गुजरात का चुनाव जीतने के लिये हरियाणा के किसानों की कुर्बानी दी जा रही है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी को एक और बात कहना चाहता हूं कि आज किसान पर डबल मार पड़ने लग रही है एक तो उनका बाजरा कम कीमत पर बिक रहा है और दूसरा जो जी.एस.टी. लागू हुआ तो सरकार ने हमें उसके मायने यह बताया था कि सारे टैक्सज को एक साथ इकट्ठा कर दिया जाएगा। लेकिन अब किसान की फसल के ऊपर सैस और मण्डी टैक्स दोनों लग रहे हैं। 2 प्रतिशत मण्डी टैक्स लगता है और 2 प्रतिशत सैस लगता है। यह कहां का इंसाफ है? आप कम से कम इन किसानों पर तो मेहरबानी करें। जी.एस.टी. लागू होने के बाद यह कानून है कि जो मार्केट फीस है या जो सैस है यह एक टैक्स के रूप में ही होगा। सरकार को इसमें आगे बढ़कर एक शुरुआत करनी चाहिए क्योंकि एक बेचारे किसान को वहां पर अपनी फसल बिना कीमत के बेचनी पड़ रही है और ऊपर से किसान को 4 प्रतिशत टैक्स भी देना पड़ रहा है तो सरकार को उससे किसानों को बचाना चाहिए।

श्री ज्ञान चन्द गुप्ता : उपाध्यक्ष महोदया, मैं माननीय साथी से पूछना चाहता हूं कि टैक्स कौन देता है?

श्री करण सिंह दलाल : मैं आप जितना ज्ञानी नहीं हूं। आप बता दीजिये।

श्री ज्ञान चन्द गुप्ता : उपाध्यक्ष महोदया, मार्किट फीस तो खरीददार देता है।

श्री करण सिंह दलाल : आप वह सारा का सारा पैसा किसानों को दिलवाओ। आप वह 2 प्रतिशत और 4 प्रतिशत टैक्स का पैसा किसानों को दिलवाओ।

श्री ज्ञान चन्द गुप्ता : अभी आप कह रहे थे कि वह टैक्स किसानों को देना पड़ता है।

श्री करण सिंह दलाल : डिप्टी स्पीकर मैडम, आप जिस इलाके से आते हैं उस इलाके में बाजरे की फसल एक मुख्य फसल है।

श्री ओम प्रकाश धनखड़ : उपाध्यक्ष महोदया, माननीय सदस्य ने दो बातें ऐसी बताई हैं कि जो यह कंडीशंज लगाई थी कि ऐसा बाजरा नहीं चाहिए वैसा बाजरा नहीं चाहिए वह इनकी कांग्रेस की सरकार ने लगाई थी। अब तीन साल से हम बिना कंडीशंज के किसानों का बाजरा खरीद रहे हैं। यह अपनी ही सरकार पर वार कर रहे हैं उसका इन्हें पता नहीं चलता। दूसरा हरियाणा में बैठकर इनको यह पता नहीं चलता कि इनको गुजरात का इतना डर क्यों है? गुजरात में कुछ नहीं बनने वाला चाहे आप यहां से कुछ भाषण किये जाओ। गुजरात फिर से भारतीय जनता पार्टी के साथ है आप काहे को डरे हुए हो। मैं वहां चुनाव देख रहा हूं आप चिन्ता ना करो। (शोर एवं व्यवधान)

श्री कुलदीप शर्मा : आप वहां चुनाव देख रहे हैं।

श्री ओम प्रकाश धनखड़ : हां, मैं वहां चुनाव देख रहा हूं और हर बार चुनाव में जाता हूं। वर्ष 2002 से लगातार जा रहा हूं। आप चिन्ता न करो। आप काहे को इतने डरे हुए हो। जो बनेगी जो बनेगी इतनी बार बन गई इसलिए हिम्मत रखो।

श्री कुलदीप शर्मा : आप यहां भी देख रहे हो यहां भी कुछ नहीं बचेगा और आप वहां भी देख रहे हो तो वहां भी कुछ नहीं बचेगा।

श्री करण सिंह दलाल : उपाध्यक्ष महोदया, मैं आपसे अर्ज करना चाहता हूं कि माननीय पंजाब एण्ड हरियाणा हाई कोर्ट के अन्दर एक किसान संगठन ने एक पी.आई. दायर की हुई है जिसमें उन्होंने हाई कोर्ट के ऊपर एक बहुत बड़ा दबाव बनाया हुआ है जिस कारण सरकार बाजरा बोने वाले किसानों का जब जान बूझकर एम.एस.पी. पर बाजरा नहीं खरीदती है तो तब हमारा बहुत नुकसान होता है। माननीय मंत्री जी अपने जवाब में हमें यह बताएं कि क्या माननीय पंजाब एण्ड हरियाणा उच्च न्यायालय का आदेश इनके विभाग को है? जबकि इनके विभाग का आश्वासन उच्च न्यायालय में लिखित व्यान में इन्होंने अपने एफिडेविट में कहा हुआ है कि हम किसान का बाजरा एम.एस.पी. पर खरीदेंगे। मैडम, जिस इलाके से आप आती हैं और जिस इलाके से हमारे मेवात के भाई आते हैं। जहां नहरों का पानी नहीं जाता है और जिन किसानों के घरों में पीने का पानी नहीं है। वह जैसे तैसे अपने बाल बच्चों को लगाकर बाजरे की फसल को पैदा करते हैं। अगर इस सरकार के अन्दर किसानों के प्रति जरा सी भी हमदर्दी है तो भारत सरकार खरीदे या न खरीदे लेकिन हरियाणा की सरकार को आगे बढ़कर किसानों के बाजरे का

एक—एक दाना खरीदना चाहिए। मैडम, उससे किसानों की धान और गेहूं की फसल को भी फायदा होगा। जो पूरे हरियाणा की धरती का उपजाऊंपन खत्म होता जा रहा है उसमें फसल चक्र के बदलाव के लिये जिस तरीके से माननीय मंत्री जी के व्यान अखबारों में आते रहते हैं उस संबंध में मैं कहना चाहता हूं कि फसल चक्र बदलाव तब हो सकता है जब बाजरा, सरसों या जो दूसरी फसलें हैं दालें हैं उनका बीज सरकार किसानों को मुफ़्त में दे और उनकी फसल एम.एस.पी. से ज्यादा दामों पर किसानों से खरीदे। इससे यह भी होगा कि जो यह नहरों का पानी दक्षिणी हरियाणा में, मेवात में, पलवल में और कई इलाकों में नहीं जाता है उसके पानी का बंटवारा भी ठीक तरीके से हो जाएगा। सदन में भाई अभय सिंह यादव जी बैठे हैं। यह हरियाणा प्रदेश में अधिकारी के पद पर भी तैनात रहे और आज इस महान सदन के सदस्य भी हैं। मैं इनकी बहुत इज्जत करता हूं। यह दक्षिण हरियाणा से संबंध रखते हैं। हमने दक्षिण हरियाणा के लोगों को नजदीक से देखा है। जब कभी भी हम नारनौल, महेन्द्रगढ़, मेवात, होडल या हथीन के इलाकों में जाते हैं तो वहां के लोगों का जीवन स्तर देखकर हमें अपने आप पर लज्जा

16:00 बजे

आती है कि क्या हम वाकई उस प्रदेश के विधायक या बाशिंदे हैं जहां के किन्हीं इलाकों में तो वर्ष में चार—चार फसलें ले ली जाती हैं और कुछ इलाकों में दो फसल भी नहीं मिल पाती हैं क्योंकि वहाँ पानी की कमी है। उपाध्यक्ष महोदया, हरियाणा प्रदेश के किन्हीं इलाकों में तो जो चार—चार फसलें एक वर्ष में उगाई जाती है उनके दाम भी उंचे मिलते हैं जिसकी वजह से यहां के घरों की रौनक देखते ही बनती है लेकिन दक्षिण हरियाणा का इलाका बहुत पिछड़ा हुआ है। यहां के लोग मेहनतकश हैं बावजूद इसके दक्षिण हरियाणा बहुत पिछड़ा हुआ है। उपाध्यक्ष महोदया, आप जो आज इस महान सदन की चेयर पर बैठी हुई हैं, आप भी इसी दक्षिण हरियाणा से आई हैं और आपको पूरी तरह से ज्ञान है कि किस प्रकार दक्षिण हरियाणा के इलाके के किसानों की फसलों को पानी नहीं मिलता, यही नहीं यहां रहने वाले लोगों को पीने का पानी भी बड़ी मुश्किल से प्राप्त होता है। (शोर एवं व्यवधान)

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री (श्री कृष्ण कुमार बेदी): उपाध्यक्ष महोदया, आज दलाल साहब को प्रदेश के हितों की इतनी चिंता हो गई है लेकिन जब 10 साल तक प्रदेश में इनकी सरकार रही तब तो इन्होंने कुछ करके नहीं दिखाया था? (शोर एवं व्यवधान)

शिक्षा मंत्री (श्री राम बिलास शर्मा): उपाध्यक्ष महोदया, अभी भाई करण सिंह दलाल बोल रहे थे। इन्होंने बोलते हुए दक्षिण हरियाणा के नारनौल, लोहारू, महेन्द्रगढ़, किठवाड़ी से लेकर केलंगा तक का पूरा नक्शा खींचकर सदन के समक्ष प्रस्तुत किया और साथ ही यह भी कहा कि दक्षिण हरियाणा के लोगों का जीवन स्तर देखकर उन्हें बड़ी लज्जा आती है। उपाध्यक्ष महोदया, मेरा निवेदन है कि उन्होंने जो लज्जा शब्द प्रयोग किया है उसको विद्वान् कर लेना चाहिए। हमको तो कोई लज्जा नहीं आती। वास्तव में करण सिंह दलाल की मुसीबत यह है कि यह न तो बाजरे की बिजाई कर सकता है और न ही सरसों की बिजाई कर सकता है। इनको तो यह तक मालूम नहीं है कि एक किल्ले में कितना बाजरा बोया जाता है, एक किल्ले में कितनी सरसों उगाई जा सकती है। वास्तव में यह सब कुछ हम जानते हैं। हमने सरसों बोई है। हमने बाजरा बोया है। बाजरे की लामणी की है। सिरटे की चूटनी की है। यह करण सिंह दलाल तो सिर्फ पढ़ी—पढ़ाई बात करते हैं। उपाध्यक्ष महोदया, आपके कुकसी गांव में तो बाजरा सबसे ज्यादा होता है। आपको तो इन सभी बातों का पता है। इसमें कोई शक नहीं है कि करण सिंह दलाल एक पुराने पोलिटिकल आदमी हैं और हर कोई इस बात को जानता भी है लेकिन हमारे श्री ओम प्रकाश धनखड़ जी भी कुछ कम नहीं है। वास्तव में उनको चुनाव एक्सपर्ट के तौर पर जाना जाता है। उपाध्यक्ष महोदया, अभी गुजरात में चुनाव होने वाले हैं और इसी प्रकार हिमाचल प्रदेश में भी चुनाव होने जा रहे हैं। कहने का मतलब यह है कि अब देश से कांग्रेस का भागने का मौसम नज़दीक आ गया है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अभय सिंह चौटाला: उपाध्यक्ष महोदय, कांग्रेस का भागने का नहीं वास्तव में उसके भोगने का मौसम नज़दीक आ गया है। (विघ्न)

श्री ओम प्रकाश धनखड़ : उपाध्यक्ष महोदया, राम बिलास शर्मा जी ने गुजरात के कई घरों में जाकर रोटिला और लहसूनिया खाया है जिसकी वजह से उनमें बड़ी ताकत है और अब तो वह सारा कुछ बताकर ही दम लेंगे। (शोर एवं व्यवधान)

श्री राम बिलास शर्मा: उपाध्यक्ष महोदया, अब मैं 8 मार्च, 2017 को सदन में हुई एक महत्वपूर्ण चर्चा की बात करूंगा। मैं सभी बातें प्रमाण के साथ किया करता हूँ। उस दिन श्री करण सिंह दलाल ने गुजरात के गधों की चर्चा की थी और मैंने उस बात का जवाब भी दिया था जिसका यह महान सदन एक चश्मदीद गवाह है तथा इस महान सदन के सभी माननीय विधायक चश्मदीद गवाह हैं। मैंने उस दिन चौधरी

भूपेन्द्र सिंह हुड्डा का नाम लेकर कहा था कि हुड्डा साहब मूलतः आपका रंग गौरा है लेकिन कुछ दिन से कोई टैंशन आपको सता रही है तो आपका रंग बदलता जा रहा है। मैंने यह भी कहा था कि आप लोग उत्तर प्रदेश के चुनाव की बात कर रहे हैं या गुजरात प्रदेश के प्राणियों की बात कर रहे हैं। (शोर एवं व्यवधान) उपाध्यक्ष महोदया, मुझे अपनी बात कहने से रोका नहीं जा सकता। मैं एक-एक बात सदन को बताकर ही रहूँगा। बहन गीता जी भी उस दिन सदन में मौजूद थी इनको भी याद होगा और मैं भाई करण सिंह दलाल को भी याद दिलाना चाहता हूँ कि वह 8 मार्च, 2017 को हुई विधान सभा की कार्यवाही यदि पढ़ें तो पायेंगे कि उस दिन मैंने हुड्डा साहब को कहा था कि उत्तर प्रदेश के चुनाव में हम 300 का आंकड़ा पार करेंगे। उत्तर प्रदेश की जनता ने 324 सीटें भाजपा की झोली में डाली थी। आज गुजरात की मैं फिर बात कह रहा हूँ कोई कितना ही भाषण दे लें या कोई कितना ही अमेरिका में जाकर बोल ले मैं पूरे सदन में एक बार फिर से यह एलान करता हूँ कि गुजरात के चुनाव में हम लगातार छठी बार चुनाव जीतेंगे और 100 से उपर सीटें लेकर सरकार बनायेंगे।

श्रीमती किरण चौधरी : उपाध्यक्ष महोदया, हमने कॉलिंग अटैंशन मोशन बाजरे के विषय पर दिया है और माननीय मंत्री जी सदन में गुजरात के इलैक्शन की बात कर रहे हैं। Deputy Speaker Madam, I want to draw the kind attention of this august House towards the regressive and anti-farmer decision of the State Government to arbitrarily fix woefully low ceiling of 10,000 metric tonnes on the procurement of bajra in the current season.

श्री राम बिलास शर्मा : किरण जी, बाजरे की भाषा अंग्रेजी नहीं हो सकती क्योंकि पूरे यूरोप में कहीं भी बाजरे की खेती नहीं होती। (विघ्न)

श्री ओम प्रकाश धनखड़ : उपाध्यक्ष महोदया, हमने 19 हजार मीट्रिक टन बाजरे की खरीद की है, इस प्रकार हमने 9 हजार मीट्रिक टन बाजरा फालतू खरीदा है। अतः इसमें कहीं सीलिंग नहीं है। (विघ्न)

श्रीमती किरण चौधरी : उपाध्यक्ष महोदया, कॉलिंग अटैंशन मोशन को जैसे एक्सैप्ट किया जाता है उसे वैसे ही हाउस में रीड करना पड़ता है। इस हाउस में कुछ सदस्य नये-नये आये हैं, इसलिए उनको विधान सभा सत्र के नॉर्म्स एंड रैगुलेशंज का नहीं पता है। (विघ्न)

श्री ओम प्रकाश धनखड़ : उपाध्यक्ष महोदया, हम विधान सभा सत्र के नियम सीख लेंगे । (विच्छन)

Smt. Kiran Choudhry: Deputy Speaker Madam, I again read it Aimed at benefiting the traders, when this low ceiling was breached, HAFED officials refused to mop up bajra at MSP in various mandis of the State, especially in Mahendergarh and Rewari districts. This forced the farmers to resort to distress selling and incur losses. First bajra procurement started quite late due to failure of the State Government. Then, it was stopped due to shortage of gunny bags. And later, when the woefully low ceiling was reached, HAFED officials refused to lift the produce throwing the farmers open to exploitation by avaricious traders. Needy farmers had to sell their produce to private buyers at a loss of Rs. 300 to Rs 400 per quintal. Deputy Speaker Madam, I call the attention of Hon'ble Members of the House to discuss this vital issue and impress upon the State Government to inform them as to what made the State Government fix such ill-considered and terribly low ceiling on bajra mop-up and how it plans to make good the loss of the tile farmers who had to resort to distress selling, and suffer loss of Rs 300 to Rs. 400 per quintal. अगर आपको और माननीय मंत्री जी को अंग्रेजी समझ नहीं आती तो मैं हिन्दी में भी बता देती हूं । (विच्छन)

Shri Ram Bilas Sharma: Kiran Choudhry ji, you are not M.A. in English. I did my M.A. in English language. हम जानते हैं कि माननीय सदस्या किरण जी एक फौजी अधिकारी की बेटी हैं और उनका पालन-पोषण दिल्ली में हुआ है परंतु शिक्षा के क्षेत्र में हम भी किसी से कम नहीं हैं। मैं आपको हाल का एक वाकया बताता हूं । अभी 14 नवम्बर को ब्रिटिश पार्लियामेंट में 15 नवम्बर ऑफ पार्लियामेंट गये थे और मैं हाउस ऑफ कॉमन्स में

लैक्चर देकर आया था । मुझे कल ही माननीय सांसद श्री वीरेन्द्र शर्मा का फोन आया कि आप जिस विषय पर बोलकर आये थे और हम 5 मैम्बर्स ने वहां पर जिस मोशन को मूव किया था उसे ब्रिटिश सरकार ने असैट कर लिया है एवं ब्रिटिश पार्लियामेंट जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए समस्त भारतवासियों से क्षमा याचना करेगी । (विघ्न)

श्रीमती किरण चौधरी : राम बिलास जी, आप बेशक एम.ए. इंग्लिश हैं लेकिन मैं एक वकील भी रही हूं और मैंने आपसे ज्यादा ही पढ़ाई की है । (विघ्न)

श्री राम बिलास शर्मा : किरण जी, आप मुझ से ज्यादा पढ़ी—लिखी नहीं हो क्योंकि मैं भी एडवोकेट रहा हूं । मैंने भी एल.एल.बी. की है और आपका तो पता नहीं लेकिन मैंने तो पंजाब युनिवर्सिटी से लॉ की डिग्री ली है । (विघ्न)

श्रीमती किरण चौधरी : राम बिलास जी, मुझे आपकी बात पर पूरा विश्वास है but if you have any problem you are welcomed to come to have discussion with me and see what will happen. It is my challenge.

(Interruptions) आज औन—पौन दामों पर किसानों द्वारा अपना बाजरा बेचा जा रहा है। बाजरा के लिए सरकार द्वारा एम.एस.पी. निर्धारित किया गया था, उसके अनुसार भी किसानों को अपनी फसल का पैसा नहीं मिल रहा है। माननीय मंत्री जी कह रहे थे कि इस बार किसानों ने काली दीवाली नहीं मनाई। उपाध्यक्ष महोदया, यदि इस बार किसानों ने काली दीवाली नहीं मनाई तो मैं समझती हूँ कि किसी ने भी इस बार दीवाली नहीं मनाई। मंत्री जी आज किसानों के खेतों में जाकर देखेंगे कि कपास की फसल पूरी तरह से खराब हो गई और उसमें झुलसा आ गया है जिसमें किसानों के सारे के सारे खेत चपेट में आ गए हैं। उसके बाद भी सरकार ने कोई भी मुआवजा निर्धारित नहीं किया है। आज दक्षिण हरियाणा का पूरा—पूरा हमारा भिवानी—महेन्द्रगढ़ का इलाका सूखे की चपेट में आ गया है। इस बात का मुझे पता नहीं है कि माननीय मंत्री जी मेरे साथ रजामंद होंगे या नहीं होंगे। अगर माननीय मंत्री जी रजामंद नहीं होंगे तो लोग इन्हें अगले चुनाव में देख लेंगे। इसलिए सरकार को इस इलाके को सूखा घोषित करके किसानों के लिए मुआवजे की राशि निर्धारित करनी चाहिए। इस प्रकार से किसानों के घरों में इस बार काली दीवाली मनी है क्योंकि उन्होंने अपना बाजरा औन—पौने दामों पर बेचा है। नरमा की फसल का भी कोई मुआवजा नहीं मिल रहा है। किसानों को खेतों के लिए

पानी भी नहीं मिल रहा है। इस तरह से किसानों के साथ एक बहुत बड़ा भद्दा मजाक हो रहा है।

श्री ओम प्रकाश धनखड़ : बहन किरण जी, किसानों को फसल का भाव अच्छा मिल रहा है फिर भी आप काली दीवाली –काली दीवाली करके अपनी राजनीति चमकाने के लिए कसूर न करें। मैं कांग्रेस पार्टी की विधायक श्रीमती गीता भुक्कल और आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आप लोगों को दिक्कत हो सकती है किसानों ने कोई काली दीवाली नहीं मनाई है। फसलों के भाव अच्छे हैं और फसलें अच्छे दामों पर खरीदी जा रही हैं। अपनी भावना के लिए बेचारे किसानों का बुरा न सोचो।

श्रीमती किरण चौधरी : उपाध्यक्ष महोदया, माननीय मंत्री जी ने स्वयं विधान सभा के सत्र से पहले कहा था कि बाजरे का एक–एक दाना खरीदा जायेगा। लेकिन बाजरा खरीद के बारे में अधिकारियों को शाम तक कोई भी आदेश नहीं मिला था। माननीय मंत्री जी बोलते कुछ हैं और करते कुछ हैं। (विघ्न)

श्री ओम प्रकाश धनखड़ : बहन किरण जी, लगभग 19 हजार मीट्रिक टन बाजरा खरीद चुके हैं। आप किसी भी बात की चिंता न करें हम बाजरे का एक–एक दाना खरीदेंगे। मैडम, काली दीवाली जैसी बातें सदन में न करें।

श्रीमती किरण चौधरी : उपाध्यक्ष महोदया, मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहती हूँ Minister ji please let me tell you apart from everything else. I can shout and like you also. मण्डियों में किसानों को बाजरे की फसल पर 300–400 रुपये का जो नुकसान हुआ है, क्या उसकी भरपाई आप करेंगे? माननीय मंत्री जी इस बात का जवाब सदन में जरूर दें।

श्री ओम प्रकाश धनखड़ : बहन किरण जी, पहले एक सवाल का जवाब दे दीजिए कि वर्ष 2012, 2013 और 2014 में आपकी पार्टी की सरकार ने बाजरे का एक भी दाना क्यों नहीं खरीदा था ? क्या उसके लिए कांग्रेस पार्टी की सरकार ने कुछ प्रबंध किए थे ? यदि उस समय आप लोग किसानों की भलाई के लिए बातें करते तो आज विपक्ष में नहीं बैठते। आज आप सदन में इतनी बड़ी किसान हितैषी बनी हुई हैं। दोनों विधायक काली दीवाली –काली दीवाली कह रही हैं तो वर्ष 2012 से 2014 तक की दीवाली कैसी थी? पहले आप अपने गिरेबान में झांकें लें। भारतीय जनता पार्टी की सरकार तो हर रोज किसानों की फसल खरीद रही है चाहे वह सूरजमुखी की फसल हो, चाहे सरसों की फसल हो, फिर चाहे बाजरे की फसल हो या चाहे मूँग की फसल हो। यहां सदन में कुछ फोटो प्रतियां आप दिखा रही हैं

लेकिन आप पहले वर्ष 2012 से 2014 तक की भी बातें सदन में जरूर बताएं। (शोर एवं व्यवधान)

श्रीमती किरण चौधरी : उपाध्यक्ष महोदया, यह बात गलत है, जब भी मैं बोलने के लिए खड़ी होती हूँ तो उसी समय मेरा माईक बंद कर दिया जाता है। लेकिन भगवान ने मुझे अच्छी आवाज दी है और मैं बिना माईक के भी अच्छा बोल सकती हूँ। (शोर एवं व्यवधान)

श्रीमती गीता भुक्कल : उपाध्यक्ष महोदया, अगर आप बोलने का समय नहीं देना चाहती है तो फिर आपने यह ध्यानाकर्षण प्रस्ताव स्वीकार क्यों किया ? (शोर एवं व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदया : मैडम, गीता भुक्कल जी, आपको सबसे पहले बुलाया गया है। (शोर एवं व्यवधान)

श्रीमती किरण चौधरी : आज किसान बर्बाद हो रहे हैं। (शोर एवं व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदया : मैडम गीता भुक्कल जी, आपकी सारी बातें सुन ली गई हैं। उनका जवाब बाद में दे दिया जायेगा। (शोर एवं व्यवधान)

श्रीमती किरण चौधरी : उपाध्यक्ष महोदया, मेरे ख्याल से मेरे माईक के लिए साउण्ड सिस्टम वालों को स्पेशल हिदायत दी हुई है कि जैसे ही किरण चौधरी बोलने के लिए खड़ी हो जाएं, उसी समय साउण्ड सिस्टम बंद कर देना। यह बात ठीक नहीं है। भगवान ने मुझे बहुत अच्छी आवाज दी हुई है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अभय सिंह चौटाला: उपाध्यक्ष महोदया, हमारे पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर कह रहे थे कि वे ब्रिटिश की पार्लियामेंट में जाकर आए हैं और इसके बाद वहां पर जालियावाला बाग की घटना से रिलेटेड एक मोशन मूव हुआ है।

श्री राम बिलास शर्मा: उपाध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से सदन को बताना चाहूंगा कि 14 नवम्बर को ब्रिटिश पार्लियामेंट के हाउस ऑफ कॉमन्स में मेरा भाषण था। उस समय पार्लियामेंट में 11 मेम्बर उपस्थित थे, उसमें एक एम.पी. विरेन्द्र शर्मा जी जो लन्दन से है, वह भी उपस्थित थे। अब वे दोबारा वहां से एम.पी. बन गए हैं। उपाध्यक्ष महोदया, मुझ उनका फोन आया कि जिस लाईन पर आप पार्लियामेंट में बोले थे, हम 5 मेम्बर ने उससे रिलेटेड ब्रिटिश पार्लियामेंट में एक ऑफिसियली मोशन मूव किया है। उपाध्यक्ष महोदया, मैं बताना चाहूंगा कि उन 5 मेम्बरों में 3 मैम्बर भारतीय मूल के हैं और 2 मैम्बर ब्रिटिश मूल के हैं। उपाध्यक्ष महोदया, मैं सदन की जानकारी के लिए यह बताना चाहूंगा कि उन्होंने ब्रिटिश पार्लियामेंट में

एक मोशन मूव किया है कि जालियावाला बाग में जो घटना हुई थी, उसके लिए ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत के लोगों से समय—याचना की जाए।

श्रीमती किरण चौधरी: उपाध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से कहना चाहूँगी कि यह इतनी बात ब्रिटिश पार्लियामेंट में बोलकर आए हैं लेकिन जब मैं इस सदन में अंग्रेजी में बोलती हूं तो इनको एतराज क्यों होता है ? (शोर एवं व्यवधान)

श्री अभय सिंह चौटाला: उपाध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से कहना चाहूँगा कि इनको जालियावाला बाग की घटना की चिंता थी, इसलिए इन्होंने ब्रिटिश पार्लियामेंट में जाकर कहा कि ब्रिटिश की गवर्नर्मैंट को भारत से इस बात के लिए माफी मांगनी चाहिए कि जालियावाला बाग में जो कांड हुआ, जिस तरह से लोगों को एक जगह पर खड़े करके इकट्ठा करके मारा गया, उसके लिए ब्रिटिश की गवर्नर्मैंट माफी मांगे और उनको इसके लिए इनके पास चिट्ठी भी आयी कि आपकी कही हुई बातों पर हमने विचार करना शुरू कर दिया। उपाध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से कहना चाहूँगा कि इनको एक काम और करना चाहिए कि यहां पर हरियाणा प्रदेश के अंदर इनकी सरकार बनने के बाद 32 इनोसेंट बच्चों को गोलियां से मौत के घाट उतार दिया गया था, उसके लिए भी इस मौजूदा सरकार को माफी मांगनी चाहिए। उपाध्यक्ष महोदया, मैं एक बात और माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि इन्होंने जो डेरा सच्चा सौदा के अनुयायियों को इस प्रदेश में इन्वाइट किया और उन्हें इन्वाइट करके उनमें से 42 लोगों को घेर कर एक घंटे के अंदर मौत के घाट उतार दिया तो इसके लिए भी मौजूदा सरकार को माफी मांगनी चाहिए कि सरकार ने हरियाणा प्रदेश के लोगों के साथ गलत किया है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री श्याम सिंह राणा : उपाध्यक्ष महोदया, मैं सदन की जानकारी के लिए बताना चाहता हूं कि उस समय एक सीड़ी आई थी जिसमें साफ—साफ पता चलता है कि किन लोगों ने जाट आरक्षण के दौरान इस काले कारनामे को अंजाम दिलवाया है। यहां पर आप लोग भी बैठे हुए हैं और इसे आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं। (शोर एवं व्यवधान) वह सारा—का—सारा कच्चा—चिट्ठा पड़ा हुआ है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अभय सिंह चौटाला: उपाध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से कहना चाहूँगा आखिर मौजूदा सरकार ने फिर उन्हें श्रद्धांजलि क्यों दी ? (शोर एवं व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदया: परमिंदर सिंह जी, आप कालिंग अंटेशन मोशन पर अपनी बात शुरू करें।

श्री परमिंद्र सिंह ढूल: उपाध्यक्ष महोदया, मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे बोलने का समय दिया। उपाध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से सदन को बताना चाहूंगा कि मुझे बहुत—बड़ा अचम्भा हुआ कि पहले तो सरकार बाजरे का न्यूनतम समर्थन मूल्य देने को इच्छुक नहीं है और अगर इच्छुक है भी तो इस पर कैप लगा दिया है। आपने जिन जिलों की लिस्ट दी है, उसमें जींद जिले को आप भूल चुके हैं। जींद जिले के अंदर 122 गांव में बाजरे की मुख्य फसल की पैदावार होती है, सरकार ने वहां से भी उनके बाजरे को नहीं खरीदा, इसके साथ—साथ मेवात में भी यही किया गया। उपाध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से यह बताना चाहूंगा कि मंत्री जी अपना जवाब दें कि जींद जिले के किसानों के बाजरे को न खरीद कर, जींद जिले के साथ भेद—भाव क्यों किया गया ? उपाध्यक्ष महोदया, इसके साथ—साथ मंत्री जी यह भी जवाब दें कि जो बाजरे की खरीद में जे. फार्म की धांधली हुई है, क्या सरकार उसकी जांच कराएगी या नहीं, ताकि हरियाणा की जनता को पता चल सके कि मौजूदा सरकार कितनी किसान हितैषी है ? उपाध्यक्ष महोदया, मेरे हल्के के अंदर लगभग 27 गांव में पानी आज भी खारा है। 16 जून को भारी बारिश हुई लेकिन सरकार को उसकी कोई चिंता नहीं है। मेरे हल्के में विभिन्न गांवों की 22 हजार एकड़ जमीन में पानी खड़ा है सरकार को उसकी चिंता नहीं है। 16 जून, 2017 को बड़ी भारी बारिश हुई प्रदेश का समूचा मंत्रिमण्डल दो दिन जीन्द में बैठा रहा लेकिन अपने आपको किसान हितैषी सरकार मानने वाली इस सरकार के किसी भी मंत्री ने मौके पर जाकर किसानों की इस समस्या के समाधान के बारे में कदम नहीं उठाया। प्रदेश का कोई भी मंत्री उनका हाल चाल तक पूछने नहीं आया। इस बरसात के कारण उन किसानों की बाजरे की फसल भी बर्बाद हो चुकी है। यह इस सरकार के किसान हितैषी होने का जीता जागता नमूना है। जब मंदसौर (मध्य प्रदेश) के अंदर किसानों ने अपनी फसल का न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाने के लिए एजीटेशन किया गया था तो लेकिन वहां पर उनके ऊपर सरकार द्वारा गोलियां चलवाई गई थी। अगर हरियाणा प्रदेश के हालात ऐसे ही रहे तो हरियाणा प्रदेश में भी ऐसा ही कुछ होने वाला है। अगर सरकार द्वारा हरियाणा के अंदर समर्थन मूल्य दिया जाता है तो पूरी फसल का ही समर्थन मूल्य दिया जाना चाहिए इसमें किसी प्रकार का गैप नहीं होना चाहिए। अगर आप

किसान से 4 किंवंटल खरीद लेंगे तो वह अपनी बाकी की फसल कहां पर लेकर जायेगा? सरकार के स्तर पर इसी प्रकार की धांधली पिछली बार गन्ने की फसल में की गई थी। सरकार इसका भी सदन में जवाब दे।

कृषि मंत्री (श्री ओम प्रकाश धनखड़) : माननीय उपाध्यक्ष महोदया जी, ये सभी सरकार में रहे हुए माननीय सदस्य हैं। इस सम्बन्ध में जो केन्द्र सरकार की स्कीम है उसका नाम है पी.एस.एस. जिसके अंतर्गत वे चीज़े आती हैं जिनकी खरीद सरकारी तौर पर नहीं होती अगर इस प्रकार की वस्तुएं बाजार में आती हैं और उनका मूल्य बाजार से कम होता है तो इस प्रकार के मामलों में 25 प्रतिशत की एक लिमिट केन्द्र सरकार नैफड़ की तरफ से तय की गई है। इस प्रकार की वस्तुओं को हैफड़ खरीदती है। वह चाहे बाजरा हो, चाहे सरसों हो और चाहे सूरजमुखी हो। हमारी सरकार ने चाहे सूरजमुखी की खरीद का मामला हो हमने सूरजमुखी की भी निर्धारित सीमा से ज्यादा खरीद की है। इसी प्रकार से हमने सरसों की भी सारी की सारी खरीद की। इस सम्बन्ध में कल माननीय सदस्या श्रीमती किरण चौधरी जी ने एक सवाल भी लगाया था। ये कल चले गये थे मैं तो इनके पास गया था और कहा था कि अगर आप अपना यह सवाल पूछते तो बहुत अच्छा होता। इसी प्रकार से हमने बाजरे की खरीद में भी निर्धारित लिमिट को तोड़ दिया है क्योंकि हमारी सरकार किसान हितैषी है इसलिए हम यह सब कर रहे हैं। (शोर एवं व्यवधान) हमें दो लाख टन सरसों खरीदनी थी लेकिन इतनी मात्रा में मंडियों में सरसों नहीं आई। जितनी भी सरसों मंडियों में आती हम तो हम सारी की सारी को खरीदना चाहते थे। हमें कोई समस्या नहीं है इसलिए हमने जितनी भी सरसों बाजार में आई उस सारी की सारी सरसों को खरीद लिया। (शोर एवं व्यवधान) इसी प्रकार से हम बाजरे की खरीद करेंगे मैं हाऊस में आश्वासन देना चाहता हूं कि प्रदेश के किसानों को किसी प्रकार की कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। (शोर एवं व्यवधान) सरसों की खरीद की लिमिट 50 बैग्स या 25 किंवंटल प्रतिदिन थी। इसी प्रकार से हम बाजरा भी निर्धारित लिमिट से ज्यादा मात्रा में खरीद रहे हैं।

श्री ओम प्रकाश बड़वा : उपाध्यक्ष महोदया जी, आज जो सदन में बाजरे की खरीद का विषय चल रहा है इस पर मेरे से पूर्व नेता प्रतिपक्ष की तरफ से भी तथ्यपूर्वक सारी की सारी बातें रखी गई हैं। इस सम्बन्ध में और भी बहुत से माननीय सदस्यों ने अपने विचार रखे हैं। यह एक बहुत ही गम्भीर विषय है। यह पूरी तरह से

किसान से सम्बंधित विषय है। यह लगभग पूरे हरियाणा प्रदेश की फसल है। इस फसल की बिजाई उस इलाके में होती है जहां पानी की बहुत ही ज्यादा कमी है और किसान गरीब हैं। इसलिए इसमें जो बातें पहले रखी गई हैं हम सरकार से यह मांग करते हैं कि उन सब बातों की तरफ से उस बात को सीरियसली लेकर अर्थात् गम्भीरतापूर्वक लेकर इस मामले पर विचार करके किसान को लाभ देने की आवश्यकता है। जिस प्रकार से इससे पहले सरकार ने धान के मामले में जो किसान की दुर्दशा की है वही हालत अब बाजरे की भी है। सरकार और मंत्री जी यह दावा कर रहे हैं कि उनके द्वारा बाजरे की खरीद की जा रही है लेकिन इस मामले में सच्चाई कुछ और है। जिस प्रकार से झज्जर में मेरे से पूर्व माननीय सदस्या ने बताया कि वहां पर बाजरे के ढेर लगे हुए हैं। इस बारे में मैं माननीय मंत्री जी से यह पूछना चाहता हूं कि उन्होंने जिला स्तर पर तो बाजरे की खरीद के बारे में बता दिया कि जिला के स्तर पर हमने बाजरे की खरीद इतनी की है लेकिन मैं यह पूछना चाहता हूं कि ब्लॉक स्तर पर सरकार द्वारा बाजरे की खरीद कितनी मात्रा में की गई है? मेरा हल्का लौहारू है जहां की मुख्य फसल बाजरा है। वह सारे का सारा इलाका बैरानी है और वहां पर फव्वारा सैट्स से सिंचाई होती है। इसके साथ ही साथ मैं आपके माध्यम से सरकार के ध्यान में यह बात भी लाना चाहूँगा कि भिवानी जिले के बहुत से इलाके में चाहे वह लौहारू का इलाका हो और चाहे वह तोशाम का इलाका हो उसमें झुलसा रोग के कारण कपास की फसल पूरी तरह से बर्बाद हो गई है। अब अगर किसान अपना बाजरा बाजार में लेकर जाता है और वह समर्थन मूल्य पर नहीं बिकता अर्थात् सरकार उसकी खरीद नहीं करती है तो प्रदेश के किसान को मरने से कोई नहीं बचा सकता। इसके अलावा मैं जो दूसरी बात पूछना चाहता हूं वह यह है कि किसी भी फसल के समर्थन मूल्य की बात होती है और फिर उस फसल की सरकारी खरीद की बात होती है तो शायद मंत्री जी को यह बात मालूम नहीं होगी कि बाजरे की फसल में किसान को बचत कितनी होती है? सबसे ज्यादा मेहनत किसान को बाजरे की फसल में करनी पड़ती है क्योंकि पहले बाजरे की कटाई होती है फिर उसके अनाज वाले हिस्से की कटाई होती है उसके बाद उसकी ढुलाई होती है और अंत में उसे थ्रैशर से निकाला जाता है। आज जो सरकार द्वारा बाजरे का समर्थन मूल्य 1425 रुपये प्रति किवंटल रखा गया है इस रेट पर भी किसान को एक पैसे की बचत नहीं होती है। इससे बढ़कर किसान की बदकिस्मती यह है कि सरकार द्वारा उसके बाजरे

की पूरी खरीद भी नहीं की जाती है। मैं मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि वे यहां पर यह बतायें कि 1425 रुपये प्रति विंटल के रेट में बाजरा उत्पादक किसान को कितनी बचत होती है? इसमें सबसे बड़े दुख की बात यह है कि इस एम.एस.पी. पर भी सरकार किसान के बाजरे की खरीद नहीं करती। सत्तापक्ष के एक माननीय सदस्य ने हमारी पार्टी से यह सवाल पूछा है कि हमारी पार्टी की सरकार की समय बाजरे की कितनी खरीद की गई? मैं बहल और लौहारू की बात करता हूं। माननीय चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने वर्ष 2000 से लेकर वर्ष 2004 तक न केवल हरियाणा के लौहारू, बहल, सिवानी और दूसरे इलाकों में बाजरे की खरीद करने का काम किया बल्कि साथ लगते राजस्थान के आस—पास के इलाके का बाजरा भी खरीदा था। यह उस समय के रिकार्ड की बात है। अगर सरकार चाहे तो वर्ष 2000 से वर्ष 2004 तक का रिकार्ड मंगवाकर देंख सकती है। राजस्थान का जो आस—पास का इलाका है उसके बाजरा उत्पादक किसानों के बाजरे की खरीद भी माननीय चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने अपने शासनकाल में की थी। यह कोई राजनीति करने का विषय नहीं है। यह किसान से सम्बंधित विषय है। यह एक बहुत ही गम्भीर विषय है। आज हमें इस बारे में गम्भीरतापूर्वक सोचने की आवश्यकता है कि बाजरे जैसी फसल में किसान को किसी प्रकार की बचत नहीं होती है, उसकी समर्थन मूल्य पर खरीद नहीं होती है। जिस प्रकार से मेरे से पूर्व बहुत से वक्ताओं ने बताया कि इस बार हरियाणा प्रदेश के किसान ने काली दिवाली मनाई है। यह मैं भी कह रहा हूं कि इस बार हरियाणा प्रदेश के किसान ने वास्तव में ही काली दिवाली मनाई है। आज सरकार हर मामले में किसान हितैषी होने का दावा करती है और दिखावा भी करती है लेकिन वास्तव में धरातल पर वह कोई किसान हितैषी काम नहीं करती है। किसान को अपने बाजरे को मण्डियों में बेचने के लिए इतने कागज इकट्ठे करने पड़ते हैं जितने कि एक पी.एच.डी. करने वाले स्टूडेंट को करने पड़ते हैं। इस प्रकार से किसान के लिए अपने बाजरे को मण्डी में ले जाकर बेचना बहुत ही मुश्किल काम है। इसलिए मेरा माननीय मंत्री जी से निवेदन है कि मंत्री जी झूठे दावे करने की जरूरत नहीं है। अगर वे प्रदेश के किसानों का वास्तव में भला करना चाहते हैं तो उनको इस मामले में सच्चाई के रास्ते पर चलना होगा। जो किसान की दुर्दशा है उसको वास्तव में समझकर उसका उचित समाधान करना होगा। माननीय उपाध्यक्ष

महोदया, आपने मुझे इस महत्वपूर्ण विषय पर बोलने के लिए समय प्रदान किया इसके लिए आपका बहुत—बहुत धन्यवाद ।

श्री नसीम अहमद : डिप्टी स्पीकर महोदया, मंत्री जी ने जो जवाब दिया है उसमें मेवात का जिक्र जरूर हुआ हैं लेकिन मेवात में एक भी दाने बाजरे की खरीद नहीं हुई है। मैं मंत्री जी से यह पूछना चाहता हूं कि मेवात के साथ इस प्रकार का सौतेला व्यवहार कब तक होता रहेगा? मेवात के अंदर आज किसान की फसल भी नहीं खरीदी जा रही है। हमारे मेवात में फिरोजपुर झिरका, पुन्हाना और नूह ये सभी बड़ी मण्डियां हैं लेकिन इनमें पिछले साल और उससे पिछले साल और इस साल भी बाजरे के एक भी दाने की खरीद नहीं हुई। पिछले 10 साल जब कांग्रेस पार्टी की हरियाणा में सरकार रही उस दौरान भी मेवात में बाजरे की कोई खरीद नहीं हुई।

कृषि मंत्री (श्री ओम प्रकाश धनखड़) : माननीय उपाध्यक्ष महोदया, माननीय सदस्य श्री ओम प्रकाश बड़वा जी बहुत भावुक होकर बोल रहे थे और यह कह रहे थे कि किसान को बाजरे की फसल में ही सबसे ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। हम सभी को अच्छी तरह से पता है कि बाजरे की फसल में कितनी मेहनत करनी पड़ती है। इसके अलावा मैं सभी के लिए एक खुशी की बात बताना चाहता हूं कि गेहूं का समर्थन मूल्य केन्द्र सरकार ने 110/- रुपये बढ़ा दिया जिससे फलस्वरूप अगले साल गेहूं की खरीद 1735/- रुपये प्रति विवंटल के हिसाब से की जायेगी। इसी प्रकार से दालों के समर्थन मूल्य में भी 200/- रुपये प्रति विवंटल की बढ़ौतरी की गई है। मैं आपके माध्यम से यह खुशखबरी सदन को दे रहा हूं। धन्यवाद।

श्री हरिचन्द मिड्ड्हा : उपाध्यक्ष महोदया, मेरी भी इस ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर कुछ लिखित बाते हैं। अगर आपकी इजाजत हो तो आप उनको सदन की कार्यवाही में जोड़ लें।

उपाध्यक्ष महोदया: ठीक है, आप अपनी लिखित स्पीच दे दें उसको प्रोसीडिंग का पार्ट बना दिया जाएगा।

***श्री हरिचन्द मिड्डा:** उपाध्यक्ष महोदया, मैं सबसे पहले तो आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया। आज प्रदेश में जिस प्रकार से हालात हैं यह स्थिति बहुत ही चिंता का विषय है।

उपाध्यक्ष महोदया, मैं अपने जीन्द विधानसभा क्षेत्र की बात करूं तो शहरी क्षेत्र में नहरी पानी पर आधारित कोई भी जलघर नहीं है जिसके चलते जहां शहरी क्षेत्र की आबादी को भारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है वहीं ग्रामीण क्षेत्र में टी.डी.एस. और फलोराईड की मात्रा ज्यादा होने के कारण क्षेत्र में कैंसर और काला पीलिया की बीमारी बड़ी तेजी फैल रही है इसलिए सरकार को क्षेत्र में पेयजल के पुख्ता प्रबंध करने चाहिए वहीं क्षेत्र में बदहाल सिवरेज व्यवस्था से क्षेत्र के लोग नरकीय जीवन जीने को मजबूर हो गए हैं। अतः मेरी सरकार से मांग है कि जीन्द क्षेत्र के पेयजल और सिवरेज व्यवस्था के लिए एक विशेष पैकेज प्रदान किया जाए। उपाध्यक्ष महोदया, वहीं शहरी क्षेत्र में दो प्रमुख पार्क अटल पार्क और किले वाले पार्क को विकसित करने के लिए सरकार की तरफ से विशेष योजना तैयार की जानी चाहिए। मेरे जीन्द क्षेत्र के किसान गन्ने का उत्पादन भारी मात्रा में करते हैं मगर शुगर मिल जीन्द की पिराई क्षमता कम होने के कारण किसानों को भारी समस्या का सामना करना पड़ता है। इस लिए मेरी सरकार से मांग है कि जीन्द शुगर मिल की क्षमता को बढ़ाया जाए। वहीं किसान खेत में पर्याप्त मात्रा में पानी पहुंचे उसके लिए हांसी ब्रांच नहर से निकलने वाले जेडी-6, जेडी-6ए की रिहबिलिटेशन और विस्तारीकरण किया जाए।

उपाध्यक्ष महोदया, आज बाजरे की सरकारी खरीद न होने की वजह से जीन्द क्षेत्र का किसान बेहद दुखी व निराश है। सदन के माध्यम से मेरा सरकार से अनुरोध है कि जीन्द की मंडी में भी बाजरे की सरकारी खरीद करवाई जाए ताकि किसान की बर्बादी को रोका जा सके। उपाध्यक्ष महोदया, शिक्षा क्षेत्र में जीन्द पिछड़ा होने के कारण आज हर क्षेत्र में पिछड़ता जा रहा है लेकिन वर्तमान मुख्यमंत्री की घोषणा के अनुरूप जीन्द में पॉलीटैक्निक कॉलेज का निर्माण किया जाए जिसके लिए मेरे अथक प्रयासों से ग्राम पंचायत झांझखुर्द तथा लोहचब द्वारा माननीय उपायुक्त महोदय जीन्द को प्रस्ताव देकर निशुल्क जमीन देने की पेशकश

* चेयर के आदेशानुसार लिखित स्पीच को प्रोसीडिंग का पार्ट बनाया गया।

की है। अतः सरकार जल्द से जल्द इस पर विचार कर पॉलीटैक्निक कॉलेज का निर्माण कार्य करवाने का कष्ट करें।

उपाध्यक्ष महोदया, अफसरशाही किसी भी सरकार को चलाने का मुख्य अंग होती है लेकिन दुर्भाग्य है कि मेरे जीन्द जिला मुख्यालय पर अधिकारियों के आवास के लिए भी पर्याप्त व सुनियोजित मकान उपलब्ध नहीं हैं अतः मेरी सदन के माध्यम से सरकार से मांग है कि जीन्द जिला मुख्यालय पर अधिकारियों के लिए आवास उपलब्ध करवाए जाएं।

उपाध्यक्ष महोदया, अन्त में इतना ही कहना चाहूँगा कि मेरे क्षेत्र का युवा आज दर—दर की ठोकरे खा रहा है। पूर्व की सरकार में 250 एकड़ जमीन में एक औद्योगिक हब स्थापित करने की घोषणा तत्कालीन मुख्यमंत्री द्वारा की गई थी मगर आज तक मेरे क्षेत्र में कोई भी उद्योग स्थापित नहीं हुआ। इस लिए मेरी सरकार से मांग है कि युवाओं के भविष्य को देखते हुए जीन्द में केन्द्र सरकार के सहयोग से कोई बड़ा उद्योग स्थापित किया जाए।

उपाध्यक्ष महोदया, मेरा आपके माध्यम से अनुरोध है कि जीन्द विधानसभा क्षेत्र के कुछ गांवों को आपस में मिलाने वाले कच्चे रास्तों को पक्का किया जाए जो इस प्रकार है :—

1. बडौदी से रुपगढ़,
2. खुंगा से रायचन्द वाला,
3. लोहचब से मनोहरपुर,
4. खुंगा से लोहचब,
5. मनोहरपुर से मांडो तक

उपाध्यक्ष महोदया, आपने मुझे अपनी बात कहने के लिए मौका दिया उसके लिए बहुत—बहुत धन्यवाद।

खाद्य एवं आपूर्ति राज्य मंत्री (श्री कर्णदेव कम्बोज) : उपाध्यक्ष महोदया, इस ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर हमारे बहुत से साथियों ने अपने विचार प्रकट किये हैं। (शोर एवं व्यवधान)

श्रीमती गीता भुक्कल: उपाध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से माननीय सिंचाई मंत्री जी से यह पूछना चाहती हूँ कि 2 अप्रैल, 2016 में मातनहेल में जे.एल.एन. फीडर टूट गई थी और उससे मातनहेल और मूंदसा की कई सौ एकड़ फसल उसमें ढूब कर खराब हो गई थी लेकिन उस बात को डेढ़ साल हो गया है लेकिन अभी तक

लोगों को उनकी खराब फसलों का मुआवजा नहीं मिला है। क्या मंत्री जी बतायेंगे कि किसानों को वह मुआवजा कब तक मिल जायेगा? (शोर एवं व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदया: यह मामला इस विषय से संबंधित नहीं है इसलिए मंत्री जी आप अपना जवाब दीजिए।

खाद्य एवं आपूर्ति राज्य मंत्री (श्री कर्णदेव कम्बोज) : उपाध्यक्ष महोदया, जून, 2003 में बाजरे की खरीद के लिए एक विशेष नीति केन्द्र सरकार ने बनाई थी। उस समय केन्द्र में श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे जिन्होंने पहली बार बाजरे की खरीद के लिए यह नीति बनाई थी। इस नीति के अनुसार सरकार बाजरा खरीदती थी और खरीद कर भारतीय खाद्य निगम को केन्द्रीय पूल में सप्लाई करने का काम करती थी। भारतीय खाद्य निगम बोली द्वारा इस बाजरे की ओपन मार्केट में बोली करता था और प्रदेश सरकार को लागत और बिक्री मूल्य का जो भी अन्तर पड़ता उसको भारत सरकार यानि एफ.सी.आई. वहन करती थी। यह खरीद नीति वर्ष 2008–09 तक चलती रही। वर्ष 2009 में केन्द्र की सरकार ने यह खरीद नीति बंद कर दी उस समय केन्द्र और हरियाणा प्रदेश में कांग्रेस की सरकार थी। 17.09.2009 को सरकार ने यह आदेश जारी कर दिया कि हरियाणा प्रदेश की सरकार केन्द्र सरकार के पैरामीटर्स के हिसाब से बाजरे की खरीद नहीं कर रही है इसलिए केन्द्र सरकार उस बाजरे को स्वीकार नहीं करेगी। इसके बाद वर्ष 2009–10 और 2010–11 में खरीद ऐजेन्सियों द्वारा खरीदा गया सारा बाजरा भारतीय खाद्य निगम ने रिजैक्ट कर दिया। इसके बाद प्रदेश सरकार ने केन्द्र सरकार से कई बार नैगोशिएशन भी की लेकिन भारत सरकार ने इसको खरीदने से मना कर दिया। प्रदेश सरकार को इससे लगभग 30 करोड़ रुपये का नुकसान भी उठाना पड़ा। वर्ष 2011 के बाद कांग्रेस सरकार ने बाजरे की खरीद बंद कर दी थी तथा वर्ष 2012–13, 2013–14 और 2014–15 में एक दाना भी बाजरे का प्रदेश की मंडियों में सरकार की तरफ से नहीं खरीदा गया। वर्ष 2014 में हमारी सरकार के द्वारा एक नई खरीद नीति बनाई गई जिसके तहत न केवल बाजरा खरीदने का काम किया बल्कि उसको पी.डी.एस. के तहत लाभार्थियों को बांट कर प्रदेश को कोई वित्तीय हानि भी नहीं होने दी। हमारी सरकार आने के बाद तुरन्त किसानों के हित में वर्ष 2015 में बाजरे की बंद खरीद को फिर से शुरू करके किसानों को राहत देने का काम किया है जिससे किसानों को बड़ी राहत महसूस हुई है। वर्ष 2015 में 5094 टन, वर्ष 2016 में 6341 टन तथा वर्ष 2017 में 19056 टन बाजरे की

खरीद हो चुकी है। अभी सदन में जो झज्जर का जिक्र किया गया कि वहां पर बाजरे की खरीद बंद कर दी गई है। ऐसा इसलिए हुआ था कि हमारे पास सूचना आई थी कि कुछ बाहर के व्यापारियों ने दूसरे राज्यों से बाजरा ला कर झज्जर की मंडी में बेचना शुरू कर दिया है। उसको रोकने के लिए कुछ समय के लिए रोक लगाई गई थी। हम किसानों का मंडियों में रखा बाजरे का एक—एक दाना खरीदेंगे। हमने यह सारा बाजरा एम.एस.पी. पर खरीदा है। अभी चौटाला जी कह रहे थे कि किसानों से 1100 और 1200 रुपये प्रति किंवंटल के हिसाब से बाजरा खरीदा गया है। उपाध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से इस महान सदन को बताना चाहूँगा कि हमने किसानों का जितना भी बाजरा खरीदा है उन सबको सारी पेमैंट चैक और आर.टी.जी.एस. के माध्यम से की है। यह बात मैं हाउस के समक्ष साफ कर देना चाहता हूं कि सरकार किसानों के हितों के बारे में पूर्णतः सजग है तथा हरियाणा के अन्दर किसान का जितना भी बाजरा है सरकार उसका एक—एक दाना खरीदेगी। मैं यह बात हाऊस के पटल पर स्पष्ट करना चाहता हूं। (शोर एवं व्यवधान)

श्रीमती किरण चौधरी : उपाध्यक्ष महोदया, (शोर एवं व्यवधान)

श्री ज्ञान चन्द गुप्ता : उपाध्यक्ष महोदया, जो किरण चौधरी जी के इस ध्यानाकर्षण सूचना में लिखा गया है वह * व्यापारी लिखा गया है। आज मैं समझता हूं कि व्यापारी का और किसान का चोली दामन का साथ है। यह किसान की पूजा करते हैं और व्यापारियों को गालियां निकालते हैं। कोई भी व्यापारी * नहीं है। ये व्यापारी को * कहते हैं, * कहते हैं। ये इन्होंने अपने इस प्रस्ताव में लिखा है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अभय सिंह चौटाला : तुम्हारे मुख्यमंत्री ने अपने घर बुलाकर व्यापारियों को * कहा है। उन्होंने तो पहले ही व्यापारियों से माफी मांगनी चाहिए। मुख्यमंत्री जी ने एक कपड़ा व्यापारी को अपने घर बुलाकर कहा कि तुम टैक्स की चोरी करने वाले लोग हैं। तुमने व्यापारियों को * कहा है तुम इस चीज के लिये माफी मांगो। (शोर एवं व्यवधान)

श्री ज्ञान चन्द गुप्ता : आपने इस ध्यानाकर्षण सूचना के अन्दर ये लिख कर के

* चेयर के आदेशानुसार रिकॉर्ड नहीं किया गया।

दिया है । (शोर एवं व्यवधान) इसका मतलब तो सारे व्यापारी * है । (शोर एवं व्यवधान)

श्री अभय सिंह चौटाला : आप काम की बात करने दो । (शोर एवं व्यवधान)

श्रीमती किरण चौधरी : आप उस ध्यानाकर्षण सूचना को पढ़िये आपको मालूम नहीं है । (शोर एवं व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदया : किरण चौधरी जी के ध्यानाकर्षण सूचना में व्यापारियों के लिये * शब्द कहा गया है उसको रिकॉर्ड न किया जाए । मैडम, आप बैठिये । (शोर एवं व्यवधान) ज्ञान चन्द जी, आप बैठिये । (शोर एवं व्यवधान) मैंने इस शब्द को कार्यवाही से निकलवा दिया है । (शोर एवं व्यवधान) आप सभी बैठिये । (शोर एवं व्यवधान) मूल चन्द जी, आप बैठिये । ज्ञान चन्द जी आप बैठिये । मैंने इस शब्द को कार्यवाही से निकलवा दिया है । (शोर एवं व्यवधान)

कृषि मंत्री (श्री ओमप्रकाश धनखड़) : उपाध्यक्ष महोदया, यह एक पूरे वर्ग के मान सम्मान की बात है । (शोर एवं व्यवधान) इनको माफी मांगनी चाहिए । (शोर एवं व्यवधान)

श्री ज्ञान चन्द गुप्ता : उपाध्यक्ष महोदया, इनको लिखित में माफी मांगनी चाहिए ।

श्रीमती किरण चौधरी : माफी किस बात की मांगे । (शोर एवं व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदया : ज्ञान चन्द जी, मूल चन्द जी आप बैठिये । (शोर एवं व्यवधान)

श्रीमती किरण चौधरी : आप शब्दकोश में इसका मतलब निकाल कर देख लें इसका मतलब * नहीं है । (शोर एवं व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदया : ज्ञान चन्द जी, मूल चन्द जी आप बैठिये । (शोर एवं व्यवधान)

* व * शब्दों को कार्यवाही से निकाल दिया जाए ।

श्री ज्ञान चंद गुप्ता: उपाध्यक्ष महोदया, मैडम किरण चौधरी ने अपनी ध्यानाकर्षण सूचना में व्यापारियों के लिए * शब्द का प्रयोग किया है। इन्होंने पूरी व्यापारी बिरादरी को * माना है। (शोर एवं व्यवधान) व्यापारियों के लिए * शब्द का प्रयोग किया गया है। यह कांग्रेस के लोग व्यापारियों को गालियां भी निकालते हैं और व्यापारियों से वोट भी मांगते हैं। (शोर एवं व्यवधान) उपाध्यक्ष महोदया, केवल व्यापारी ही नहीं यह कांग्रेस लोग तो किसानों को भी नकली किसान बताते हैं। (शोर एवं व्यवधान)

* चेयर के आदेशानुसार रिकॉर्ड नहीं किया गया ।

श्रीमती किरण चौधरी: उपाध्यक्ष महोदया, मैंने ऐसे किसी आपत्तिजनक शब्द का प्रयोग अपनी ध्यानाकर्षण सूचना में नहीं किया है जिसकी वजह से गुप्ता जी इतने उत्तेजित हो रहे हैं। (शोर एवं व्यवधान)

श्री ज्ञान चंद गुप्ता: उपाध्यक्ष महोदया, मैडम किरण चौधरी ने जो ध्यानाकर्षण सूचना दी है उसमें व्यापारियों के लिए गलत टिप्पणी की है। (शोर एवं व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदया: देखिये, आप लोग अपनी सीट्स पर बैठ जायें और सदन की कार्यवाही को सुचारू रूप से चलने दें? (शोर एवं व्यवधान)

श्री ज्ञान चंद गुप्ता: उपाध्यक्ष महोदया, किरण जी को व्यापारियों के लिए प्रयोग किए गए गलत शब्दों के लिए पूरे व्यापारी वर्ग से माफी मांगनी चाहिए। (शोर एवं व्यवधान)

श्रीमती किरण चौधरी: उपाध्यक्ष महोदया, मैंने तो केवल * शब्द का ही प्रयोग किया था। इस पर इतना बवाल करने की तो मैं समझती हूँ कोई जरूरत नहीं है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री ज्ञान चंद गुप्ता: उपाध्यक्ष महोदया, मैडम किरण जी ने व्यापारी समाज के लिए गलत शब्द का प्रयोग किया है। (शोर एवं व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदया: ठीक है, जिस शब्द से माननीय सदस्य को आपत्ति है उसको कार्यवाही से निकाल दिया जाये।(शोर एवं व्यवधान) देखिये जिन शब्दों से आपत्ति थी उनको सदन की कार्यवाही से निकाल दिया गया है। अतः अब आप लोग शांत होकर बैठें और सदन की कार्यवाही को सुचारू रूप से चलने दें।(शोर एवं व्यवधान)

श्री रणधीर सिंह कापड़ीवास: उपाध्यक्ष महोदया, मैडम किरण जी का भाव तो सही था लेकिन यह बेचारी अंग्रेजी के चक्कर में फंस कर मारी गई। (हँसी एवं विघ्न)

उपाध्यक्ष महोदया: देखिये, सदन की कुछ मर्यादाएं होती हैं। आपको उन मर्यादाओं को ध्यान में रखते हुए इस सदन में सभ्य आचरण करना चाहिए और शांत होकर अपनी सीट्स पर बैठ जाना चाहिए।(शोर एवं व्यवधान)

श्रीमती किरण चौधरी: उपाध्यक्ष महोदया, मैंने तो कोई गलत बात नहीं कही थी। (शोर एवं व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदया : ठीक है, अब आप सभी बैठिए।

डॉ. पवन सैनी : उपाध्यक्ष महोदया, यह बड़े कमाल की बात है कि ये लोग

*चेयर के आदेशानुसार रिकॉर्ड नहीं किया गया।

जलियांवाला बाग हत्याकांड में मारे गये लोगों की तुलना उनसे करना चाहते हैं जिनकी दुकानें और घर जला दिये गये । (विधन)

उपाध्यक्ष महोदया : *** शब्द को अपमानजनक होने के कारण सदन की कार्यवाही से निकाल दिया जाए । (शोर एवं व्यवधान)

श्रीमती किरण चौधरी : उपाध्यक्ष महोदया, ये लोग तो *** कह रहे हैं । (विधन) इन्होंने *** कहा है । (शोर एवं व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदया : किरण जी, इस शब्द का मतलब वह नहीं है जो आप कह रही हैं बल्कि इस शब्द का मतलब *** है और वैसे भी अब इस शब्द को कार्यवाही से निकाल दिया गया है । (शोर एवं व्यवधान)

श्री परमिन्द्र सिंह ढुल : उपाध्यक्ष महोदया, मैंने माननीय मंत्री जी से पूछा था कि क्या आप जीन्द में बाजरे की खरीद कर रहे हो लेकिन उन्होंने मुझे इसका कोई जवाब नहीं दिया और न ही इन्होंने मेवात के बारे में कोई जवाब दिया है । इन्होंने इसका अधूरा जवाब दिया है । फिलहाल जीन्द और मेवात में बाजरे की खरीद नहीं हो रही है । अतः मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि ये खरीद करवाने वाले हैं या नहीं ? (शोर एवं व्यवधान)

श्री जाकिर हुसैन : उपाध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी को बताना चाहता हूं कि अभी तक मेवात की मण्डियों में बाजरे का एक दाना भी नहीं खरीदा गया है । (शोर एवं व्यवधान)

श्री कर्णदेव कम्बोज : उपाध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्यों को बताना चाहता हूं कि जीन्द में आज तक कभी भी बाजरे की खरीद नहीं की गई है और न ही वहां से हमारे पास बाजरे की खरीद करने की कोई डिमाण्ड आई है । हां, अगर बाजरे की खरीद के लिए हमारे पास कहीं से भी डिमाण्ड आएगी तो हम वहां पर खरीद प्रक्रिया अवश्य शुरू करेंगे । (विधन) उपाध्यक्ष महोदया, हमने पिछले साल प्रदेश की 7 मण्डियों में बाजरे की खरीद की थी और इस साल हमने 14 मण्डियों में बाजरे की खरीद की है । इसके अलावा भी अगर किसी अन्य मण्डी से बाजरा खरीदने की डिमाण्ड आएगी तो हम वहां पर भी बाजरे की खरीद अवश्य करेंगे । (विधन)

श्री परमिन्द्र सिंह ढुल: उपाध्यक्ष महोदया, आप मेरी बात सुन लें ।

*चेयर के आदेशानुसार रिकॉर्ड नहीं किया गया ।

उपाध्यक्ष महोदया : दुल साहब, मंत्री जी ने आपके क्षेत्र में भी बाजरे की खरीद प्रक्रिया शुरू करने की हाँ कर दी है इसलिए आप बैठे।

श्री जाकिर हुसैन : उपाध्यक्ष महोदया, माननीय मंत्री जी अच्छी तरह से जानते हैं कि मेवात और तावड़ू क्षेत्र में बाजरे की मुख्य फसल होती है। हमारे यहाँ पर बाजरे की फसल तो होती है लेकिन सरकार की तरफ से बाजरे की खरीद करने के लिए कोई भी नहीं गया।

श्री ओम प्रकाश धनखड़ : जाकिर जी, आप चिंता न करें, हम किसानों का सारा बाजरा खरीद लेंगे। जहाँ भी बाजरे की फसल के बेचने की बात आयेगी वहाँ सरकार को बाजरा खरीदने में कोई भी दिक्कत नहीं है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री जाकिर हुसैन : उपाध्यक्ष महोदया, यह बहुत सीरियस मैटर है। (शोर एवं व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदया : माननीय मंत्री जी ने कहा कि जहाँ पर डिमाण्ड आयेगी हम सारा बाजरा खरीद लेंगे। (शोर एवं व्यवधान)

श्री कर्ण देव कम्बोज : उपाध्यक्ष महोदया, वर्ष 2015 में तावड़ू में बाजरे की प्रिक्योरमैंट शुरू की थी और उस समय 10 मीट्रिक टन बाजरा मण्डी में आया था। उसके बाद जब मण्डी में बाजरा ही नहीं आया तो हम क्या खरीदेंगे? (शोर एवं व्यवधान)

श्री नसीम अहमद : उपाध्यक्ष महोदया, फिरोजपुर झिरका में बाजरे का एक भी दाना नहीं खरीदा गया। (शोर एवं व्यवधान)

शिक्षा मंत्री (श्री राम बिलास शर्मा) : उपाध्यक्ष महोदया, माननीय सदस्यों की मांग के अनुसार मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्यों को आश्वासन देता हूँ और यह आश्वासन कर्ण देव कम्बोज जी ने और धनखड़ जी ने भी दिया है कि 31 तारीख से हरियाणा सरकार तावड़ू, फिरोजपुर झिरका, जीन्द और हिसार में बाजरे की खरीद प्रारम्भ करेगी। नारनौल और अटेली में बाजरे की खरीद पहले से ही जारी है।

विभिन्न मामले उठाना

श्री कुलवंत राम बाजीगर: उपाध्यक्ष महोदया, माननीय अभय जी बोलने के लिए खड़े हैं लेकिन मैं उनको बीच में इंट्रप्ट कर रहा हूँ क्योंकि मैंने एक बार भी सदन में अपनी बात नहीं रखी इसलिए मुझे आपसे उम्मीद है कि आप मुझे एक बार अपनी बात सदन में रखने का मौका जरूर देंगी। (शोर एवं व्यवधान) उपाध्यक्ष महोदया, मैं

सदन में एक बहुत ही जरूरी बात कहना चाहता हूँ। अभी थोड़ी देर पहले नेता प्रतिपक्ष श्री अभय सिंह चौटाला ने डेरा सच्चा सौदा, सिरसा प्रकरण का जिक्र किया था। मैं उसी परिपेक्ष्य में बात करना चाहता हूँ। सरकार का काम होता है कानून एवं व्यवस्था को बनाये रखने के लिए बेहतर इंतजाम करना और इस दिशा में सरकार ने वाकई बहुत बढ़िया काम किया भी था। (शोर एवं व्यवधान) लेकिन बावजूद इसके डेरा सच्चा सौदा प्रकरण में बहुत से निर्दोष डेरा प्रेमी मारे गए हैं। इन निर्दोष लोगों को सरकार की तरफ से मुआवजा मिलना चाहिए तथा सरकार द्वारा उनके परिवार के सदस्यों को सरकारी नौकरी दी जानी चाहिए तथा जिन निर्दोष लोगों पर देशद्रोह के पर्चे दर्ज किए गए हैं, वह गलत हुए हैं। यह डेरा प्रेमी देशद्रोही नहीं बल्कि यह तो देश को प्रदूषण से मुक्त करने के लिए पौधारोपण करने वाले लोग हैं, यह डेरा प्रेमी अपने शरीर के मुख्य भाग जैसे खून, आंखें व गुर्दे दान करने वाले लोग हैं। यह डेरा प्रेमी समाज की भलाई का काम करते हैं। इन डेरा प्रेमियों के नाम से सैकड़ों विश्व रिकॉर्ड मौजूद हैं। यह डेरा प्रेमी शरीर दान करते हैं लेकिन इन डेरा प्रेमियों के साथ जो ज्यादती हुई है उस संदर्भ में मेरा उपाध्यक्ष महोदया, आपके माध्यम से सरकार से निवेदन है कि इन डेरा प्रेमियों को सरकार की तरफ से मुआवजा मिलना चाहिए। (शोर एवं व्यवधान)

श्री जय प्रकाश: उपाध्यक्ष महोदया, भाई कुलवंत जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। (शोर एवं व्यवधान) उपाध्यक्ष महोदया, चाहे डेरा सच्चा सौदा के लोगों के खिलाफ देशद्रोह के मुकदमे की बात हो, चाहे रामपाल के आश्रम के लोगों के खिलाफ देशद्रोह के मुकदमे की बात हो या फिर चाहे आरक्षण के दौरान जेलों में बंद लोगों के खिलाफ देशद्रोह के मुकदमे की बात हो, इस संदर्भ में उपाध्यक्ष महोदया, मेरा आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध है कि सरकार को देशद्रोह की डेफिनेशन एक बार स्पष्ट कर देनी चाहिए। हमारे नौजवान बच्चे जो 22–23 साल के हैं और जाट आरक्षण आंदोलन की वजह से पिछले लगभग काफी समय से जेलों में बंद हैं। सरकार को डेरा सच्चा सौदा, रामपाल आश्रम के लोगों के खिलाफ तथा आरक्षण आंदोलन के दौरान जेल में बंद बच्चों के खिलाफ दर्ज किए गए देशद्रोह के मुकदमों को सरकार द्वारा वापिस लिया जाना चाहिए। भारतवासी कभी भी देशद्रोह की बात नहीं करता है। अतः उपाध्यक्ष महोदया, मैं एक बार फिर से आपके माध्यम से सरकार से अपील करना चाहूँगा कि यह सभी देशद्रोह के मुकदमों वापिस लिए जायें।

श्री परमिन्द्र सिंह ढुल : उपाध्यक्ष महोदया, मेरे हल्के के चार गांव अशरफगढ़, बिरौली, विशनपुरा व अनूपगढ़ के किसान 15 दिन से धरने पर बैठे हुए हैं। पिछली सरकार में उनकी जमीन अधिग्रहण हुई थी। उपाध्यक्ष महोदया, उस समय बहुत ही अन्यायपूर्ण तरीके से जमीन अधिग्रहण की गई थी। रोहतक के अंदर तो जमीन अधिग्रहण के नाम पर किसानों को 40 लाख रुपये मुआवजे के तौर पर और जीन्द में 19 लाख रुपये से कम करके 12 लाख रुपये दिए गए थे। जीन्द से थोड़ी दूरी पर ही किसानों की जमीन 12 लाख रुपये की दर से अधिग्रहण की गई थी। आज वहां पर बाईपास बनने जा रहा है। उन किसानों को आने-जाने के लिए अंडर पास की कोई भी सुविधा नहीं दी जा रही है। किसानों की आधी जमीन एक तरफ और आधी जमीन दूसरी तरफ है। कई किसानों की जमीन 200-200 गज बच गई है, जो किसी भी काम में आने वाली नहीं है और न ही उनके खेतों में पानी के जाने का कोई रास्ता दिया जा रहा है, जिसके लिए किसान 15 दिन से धरने पर बैठे हुए हैं। कोई भी सरकारी अधिकारी उन किसानों की सुध लेने नहीं गया। क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या कोई अधिकारी उनकी बात को सुनने जायेगा और उनकी तकलीफ को दूर करेगा? मेरी सरकार से अपील है कि किसानों की समस्याएँ सुनी जायें तथा उनका समाधान किया जाए।

शिक्षा मंत्री (श्री राम बिलास शर्मा) : उपाध्यक्ष महोदया, ढुल साहब की कही हुई बात को सरकार मानती है। गांव बीबीपुर तो श्री ओम प्रकाश धनखड़ जी ने गोद ले रखा है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अभय सिंह चौटाला : शर्मा जी, मंत्री जी ने गांव को गोद नहीं ले रखा है बल्कि गांव ने मंत्री जी को गोद ले रखा है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री नसीम अहमद : उपाध्यक्ष महोदया, हमारे प्रदेश के अंदर और हमारे आस-पास के एरिया में विलायती कीकरों के काटने पर बिल्कुल मनाही है। लेकिन गुरुग्राम के अंदर बिल्डर्स को एक दिन के लिए विलायती कीकरों को कटवाने के लिए परमीशन दी जाती है। कई हजारों एकड़ में विलायती कीकर खड़ी हुई हैं। वन विभाग के मुख्य अधिकारी द्वारा परमीशन दी जाती है कि एक दिन के लिए विलायती कीकरों को कटवा दें। उपाध्यक्ष महोदया, इस तरह से इतना बड़ा घोटाला हो रहा है। सरकार जानबूझ कर परमीशन देकर बिल्डर्स को फायदा पहुँचाने के लिए विलायती कीकरों को कटवा रही है और बेच रही है। जबकि पूरे प्रदेश के अंदर इस तरह का किसी भी प्रकार का आदेश नहीं हुआ है कि विलायती कीकरों को काटा जाये।

(इस समय अध्यक्ष महोदय पदासीन हुए।) अध्यक्ष महोदय, मेरी आपके माध्यम से मौजूदा सरकार से मांग है कि उस पूरे प्रकरण की जांच करवाई जाए कि किसलिए एक दिन के लिए परमीशन दी गई और एक दिन के बाद तुरन्त उस परमीशन को विद्वाँ कर लिया गया। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से यह भी जानना चाहता हूं कि इस तरीके से किन बिल्डरों को फायदा पहुंचाने के लिए उन कीकरों को काटने के आदेश दिए गए हैं ? आखिर यह आदेश किस अधिकारी ने दिए और किसके निर्देश पर उन कीकरों को काटा गया ? अध्यक्ष महोदय, मेरा आपके माध्यम से सरकार से यह मांग है कि अगर इस पूरे प्रकरण में किसी अधिकारी का हाथ है तो उसकी भी जांच होनी चाहिए और यदि इस प्रकरण में किसी एम.एल.ए. या मंत्री का हाथ है, तो उसकी भी जांच होनी चाहिए।

श्री अध्यक्ष: श्री रणवीर गंगवा जी, आप बोलें ?

श्री रणवीर गंगवा: अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन को बताना चाहूंगा कि जो अभी हिसार में नरमा की फसल है और खासकर मेरे हल्के के गंगवा, आर्यनगर, टोकस, भेवा, मुतान, मात्रश्याम इन गांवों में नरमा की फसल काफी खराब हो चुकी है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से बताना चाहूंगा कि मैंने इस मुद्दे से रिलेटिड एक चिट्ठी माननीय कृषि मंत्री जी को और माननीय मुख्यमंत्री महोदय को 12 सितम्बर को लिखी थी। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से बताना चाहूंगा कि किसानों के बीमा के तहत उनके क्रेडिट कार्ड से राशि काट दी जाती है। अध्यक्ष महोदय, मैं सदन को यह बताना चाहूंगा कि आखिर कितना नरमा खराब हो गया, इसकी स्पेशल गिरदावरी करके इसकी जांच करवाई जाए। अध्यक्ष महोदय, आज वहां पर किसान की हालत बहुत खराब है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि मंत्री जी आश्वासन दें कि जिन किसानों की नरमा की फसल खराब हो चुकी है, उन किसानों की स्पेशल गिरदावरी करवाकर उन्हें चाहे तो सरकार की तरफ से या जिन किसानों का कम्पनी से बीमा हो चुका है उस बीमा राशि से मुआवजा दिलवाया जाए यानि सरकार की तरफ से स्पेशल गिरदावरी के आर्डर तुरन्त दिए जाएं। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से यह कहना चाहूंगा कि वे हमें आश्वासन दें कि स्पेशल गिरदावरी करवा दी जाएगी। इसके साथ-साथ मैं यह भी कहना चाहूंगा कि मेरी चिट्ठी का जवाब न तो माननीय मंत्री जी ने दिया है और न ही मुख्यमंत्री जी ने दिया।

श्री अध्यक्ष: मूलचंद शर्मा जी, आप बोलें।

श्री मूल चंद शर्मा : अध्यक्ष महोदय, जो आपने मुझे बोलने का समय दिया, उसके लिए मैं आपका बहुत—बहुत धन्यवाद करता हूं। हमारा पलवल और फरीदाबाद दोनों नेशनल हाइवे नम्बर 2 पर हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं सदन को यह बताना चाहूंगा कि यहां पर एन.सी.आर. की सबसे बड़ी पॉपुलेशन 20—22 लाख के करीब है और तमाम भारत से आए लोग यहां रहते हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन को बताना चाहूंगा कि करनाल, फरीदाबाद और गुरुग्राम स्मार्ट—सिटी के नाम से घोषित हो चुके हैं। अध्यक्ष महोदय, अगर ये शहर कॉलोनियों में तबदील हो जाएंगे या प्राइवेट कालोनाइजर्स इन शहर पर कब्जा कर लेंगे तो वह ये किस तरह से स्मार्ट—सिटी रहेंगे ? अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन को बताना चाहूंगा कि जो फरीदाबाद जिला है, वह कॉलोनियों में तबदील हो गया है। अगर हम पलवल और फरीदाबाद के बीच में जाएं तो वह भी कॉलोनियों में तबदील हो गया है। अध्यक्ष महोदय, इस तरह ये यह शहर हर जगह कॉलोनियों में तबदील हो रहे हैं। अगर ये शहर इसी तरह से कॉलोनियों में तबदील हो जाएंगे तो इनकी सड़क कौन बनायेगा, कौन इनके सीवरेज बनायेगा ? अध्यक्ष महोदय, पिछली बार जब सैशन हुआ था, उस समय भी हमने इसी विधान सभा में कहा था कि अगर सरकार इस तरह की अनाथोराइज्ड कॉलोनियों को बनने से नहीं रोकेगी तो यह सारा शहर कॉलोनियों में तबदील हो जाएगा। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से बताना चाहूंगा कि पूरे शहर में अवैध निर्माण हो रहा है, अगर उसे नहीं रोका गया तो यह सारा शहर कॉलोनियों में तबदील हो जाएगा। इस तरह यह शहर किस तरह से स्मार्ट—सिटी रहेगा ? अध्यक्ष महोदय, यह बात सिर्फ मैं नहीं कह रहा हूं, बल्कि पूरा फरीदाबाद कह रहा है। अध्यक्ष महोदय, ठेकेदार काम का टेंडर लेकर घर चले जाते हैं और काम करने में बहुत समय लग जाता है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि ऐसे ठेकेदार जो टेंडर ले लेते हैं, लेकिन वह साल—साल भर काम करते नहीं हैं, तो ऐसे ठेकेदारों को ब्लैक—लिस्टिड किया जाए और उनको बाहर किया जाए। अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने के लिए जो समय दिया उसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं।

17:00 बजे

श्री टेक चंद शर्मा : अध्यक्ष महोदय, मैंने इसी विषय से संबंधित प्रश्न लगाया था लेकिन वह लग नहीं पाया। मथुरा रोड पर प्लॉट न0.12/2 है जो 3.50 एकड़ का इण्डस्ट्रियल प्लॉट है। इस प्लॉट के अंदर अनाथोराइज्ड कन्स्ट्रैक्शन हो रही है। मूल चंद शर्मा जी जब लोकल बॉडी कमेटी के चेयरपर्सन थे और मैं मैंबर था

उस समय कमेटी की रिपोर्ट के पेज न0 24 पर भी इस बारे में जिक्र किया गया है। मैं 24 नम्बर पेज आपको भिजवाता हूँ। इस प्लोट पर जो अनअथोराईज्ड कन्स्ट्रैक्शन हो रही है उस पर आज तक कोई एक्शन नहीं हुआ है। यह करीबन 100—150 करोड़ रुपये का मामला है। इस मामले की कोई विधान सभा की कमेटी बनाकर कार्रवाई करवाई जाये और जो दोषी हैं उनको सजा दिलवाई जाये। यह 3.50 एकड़ का इण्डस्ट्रियल प्लोट बेनामी प्रोप्रटी है। इस प्लोट पर चार मंजिला बिल्डिंग बनी हुई हैं जिनका कोई नक्शा पास नहीं है। मेरे पास इस बिल्डिंग से संबंधित सारे नक्शे हैं जब आर.टी.आई. में जानकारी मांगते हैं तो अधिकारी कोई जानकारी नहीं देते। लोकल बॉडी कमेटी की रिपोर्ट में 24 नम्बर पेज पर इस बारे में सारी जानकारी है। लोकल बॉडी कमेटी में भी मैंने यह मुद्दा उठाया था लेकिन उसके बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। अध्यक्ष महोदय, एक तरफ तो फरीदाबाद को स्मार्ट सिटी बनाया जा रहा है और दूसरी तरफ वहां पर इस तरह से अनअथोराईज्ड कन्स्ट्रैक्शन चल रही है। मेरा अनुरोध है कि इस विषय पर विधान सभा की कमेटी बनाकर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करवाई जाये।

श्री ललित नागर : अध्यक्ष महोदय, जिस 3.50 एकड़ जमीन का जिक्र शर्मा जी ने किया है यह जमीन फैक्ट्री की है लेकिन इसमें छोटे-छोटे 300—400 गज के कामर्शियल प्लोट काट दिए गए हैं। ये प्लोट इल्लीगल काटे गये हैं और सरकार की तरफ इस पर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। इस प्लोट के बारे में फरीदाबाद के सभी अखबारों में भी खबरें छपती रहती हैं। एक मामा नाम का आदमी है जिसके इशारे में उस प्लोट पर कंस्ट्रक्शन चल रही है और यह व्यक्ति चार-पांच गन्मैन भी रखता है। यदि हम भी आवाज उठाते हैं तो वह हमें भी मारने की धमकी देता है। इस मामा का नाम राजपाल है और यह हमारे केन्द्रीय मंत्री *** का रिश्तेदार है। उसने कई हत्यायें भी की हुई हैं।

शिक्षा मंत्री (श्री राम बिलास शर्मा) : अध्यक्ष महोदय, इन्होंने केन्द्रीय मंत्री का नाम लिया है। वे इस सदन के सदस्य नहीं हैं इसलिए उनका नाम रिकार्ड न किया जाये।

श्री अध्यक्ष : ठीक है, उनका नाम रिकार्ड न किया जाये।

* चेयर के आदेशानुसार रिकार्ड नहीं किया गया।

श्री ललित नागर : अध्यक्ष महोदय, वहां पर जितनी भी अवैध प्लोटिंग और कन्स्ट्रैक्शन हो रही है वह उस मामा के नेतृत्व में हो रही हैं। इसके अतिरिक्त अवैध पार्किंग का कार्य और रात के समय में यमुना नदी में मार्झिनिंग का कार्य उसी के नेतृत्व में हो रहा है। यह बात केवल मैं नहीं कह रहा हूं बल्कि फरीदाबाद का हर अखबार भी यह बात कह रहा है। वे अखबार मैं आज भी यहां लेकर आया हुआ हूं। अध्यक्ष महोदय, मैं सरकार से यह भी पूछना चाहता हूं कि किस हैसियत से उस व्यक्ति को पुलिस सिक्योरिटी दी हुई है? वह कोई एम.पी. या एम.एल.ए. नहीं है। इन सभी बातों का सरकार जवाब दे।

श्री अभय सिंह चौटाला : अध्यक्ष महोदय, सदन के एक सम्मानित सदस्य को थ्रैट की बात है। (विछ्न)

श्री अध्यक्ष : अभय सिंह जी आप विपक्ष के नेता हैं। आपको कम से कम उठना चाहिए।

श्री अभय सिंह चौटाला : अध्यक्ष महोदय, यदि आपको मेरा उठना ठीक नहीं लगता तो मैं सदन से चला जाता हूं। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : मैं केवल यही कह रहा हूं कि आप विपक्ष के नेता हैं और मुख्यमंत्री जी के बाद आप इस सदन के अहम सदस्य हैं। आपको किसी गंभीर विषय पर ही उठना चाहिए। आपको बार-बार मैं बैठने के लिए कहूं यह मुझे भी अच्छा नहीं लगता इसलिए आपको कम से कम उठना चाहिए। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अभय सिंह चौटाला : अध्यक्ष महोदय, यदि आपको लगता है कि मुझे नहीं उठना चाहिए तो मैं सदन से चला जाता हूं। आप विपक्ष के बगैर ही सदन की कार्यवाही चला लें। आप हमें अपनी बात कहने से नहीं रोक सकते। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : अभय सिंह जी, हम आपकी बात नियम के हिसाब से सुनेंगे। इस महान सदन की मर्यादायें हैं। उनकी हम सभी को पालना करनी होगी। यदि कोई भी सदस्य सदन की मर्यादाओं से बाहर जाकर बात करेगा तो उसको रोकना मेरा दायित्व बनता है। सदन की मर्यादाओं का पालन करवाना इस चेयर की जिम्मेवारी है। हम आपकी बात नियम से अवश्य सुनेंगे। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अभय सिंह चौटाला : अध्यक्ष महोदय, आपको हमें हमारी बात कहने के लिए समय देना ही होगा। एम सम्मानित सदस्य को थ्रैट का मुद्दा है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : अभय सिंह जी, हम आपको रिकार्ड निकालकर दिखा देते हैं कि आपको बोलने का बहुत समय दिया गया है। (शोर एवं व्यवधान) मैंने आपसे केवल यही रिकॉर्ड की है कि आप विपक्ष के नेता हैं और मुख्यमंत्री जी के बाद आप इस सदन के सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं इसलिए आपको बार-बार नहीं उठना चाहिए। यह मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मुझे आपको बार-बार कहना पड़े कि आप बैठिये, यह मुझे अच्छा नहीं लगता। (शोर एवं व्यवधान) अभय सिंह जी, आप बिना बात नाराज हो रहे हैं। मैंने आपको यही कहा है कि सदन के नेता के बाद आप महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं इसलिए आप बार-बार न उठें। इस महान सदन का जो सिस्टम है उसको सभी सदस्यों को मानना होगा।

श्री अभय सिंह चौटाला : अध्यक्ष महोदय, कांग्रेस पार्टी के सदस्य और टेक चंद शर्मा जी ने भारतीय जनता पार्टी के केन्द्रीय मंत्री के किसी सहयोगी के बारे में सवाल उठाये हैं जो कि बहुत ही गंभीर विषय है। मैं उसी के बारे में कुछ कहना चाह रहा था। अध्यक्ष महोदय, हमें यहां खड़े होने का अधिकार है। यदि आपको लगता है कि इस तरह का हमारा अधिकार नहीं है तो आप मुझे नेम कर दें।

श्री अध्यक्ष : अभय सिंह जी, अधिकार की भी तो कोई सीमा होती होगी। जिस समय सदन के नेता जवाब दे रहे थे उस समय भी आप दो-तीन बार खड़े हो गये थे। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अभय सिंह चौटाला : अध्यक्ष महोदय, यदि सरकार की तरफ से संतोषजनक जवाब नहीं दिया जायेगा तो हमारा फर्ज बनता है कि हम बीच में अपना जवाब मांगने के लिए अपनी बात कहें। सदन के एक सदस्य को कोई मारने की धमकी दे रहा है और वह सदन में अपनी पीड़ा बता रहा था। मैं उसी बात को कहना चाह रहा था जो कि एक यह गंभीर विषय है। मैं यही कहना चाह रहा था कि उसके साथ जो हो रहा है वह गलत हो रहा है।

श्री अध्यक्ष : अभय सिंह जी, यदि सदन के सभी सदस्य ऐसे ही खड़े होकर समर्थन करने लग जायेंगे तो सदन सुचारू रूप से नहीं चल पायेगा। (शोर एवं व्यवधान)

शिक्षा मंत्री (श्री राम बिलास शर्मा) : अध्यक्ष महोदय, चौधरी अभय सिंह चौटाला जी विपक्ष के सम्मानित नेता हैं। संसदीय कार्य प्रणाली में विपक्ष का नेता भी एक संस्था होता है और अध्यक्ष का पद इस सदन की सबसे महत्वपूर्ण संस्था है। हम इस महान सदन में जब आपस में बात करते हैं तो संस्थागत बात करते हैं। सत्तापक्ष पर विपक्ष के सवालों का जवाब देने की जिम्मेवारी है और विपक्ष पर

जनता की भलाई के सवाल उठाने की जिम्मेवारी है। हम सभी अपनी जिम्मेवारियों का सही ढंग से निर्वहन करें। आज हम सत्ता में हैं और भाई अभय सिंह चौटाला जी विपक्ष के नेता हैं। हम यहां आपस में व्यक्तिगत दुश्मनी की बातें नहीं करते। हम सभी जनता के एक बड़े भाग को रिप्रेजेंट करते हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय की ओर का हम सभी को सर्वसम्मति से आदर करना चाहिए क्यों कि एक यह व्यवस्था है। अध्यक्ष महोदय, आपने नागर साहब को बोलने का समय दिया और वे अपनी बात कह रहे थे। कई बार बहुत सी बातें यहां व्यक्तिगत हो जाती हैं। अध्यक्ष की ओर का सम्मान करना हम सभी की जिम्मेवारी है और विपक्ष का नेता होने के नाते अभय सिंह जी की जिम्मेवारी हमारे से भी ज्यादा बनती है। सभी सदस्यों को ओर का रिप्रेजेंट करना चाहिए और किसी छोटी सी बात को ज्यादा गहराई में नहीं लेना चाहिए।

श्री अभय सिंह चौटाला: अध्यक्ष महोदय, इस हाउस में हमने एक दिन भी स्पीकर की तरफ अंगुली उठाकर बात नहीं की है, हमेशा तथ्यों पर आधारित बात की है। अगर किसी कालिंग अटैन्शन पर किसी मंत्री का जवाब आ रहा है जिससे हम संतुष्ट नहीं हैं तो हम उस पर आपत्ति जरूर करेंगे यह हमारी जिम्मेदारी है। अगर मुख्यमंत्री का जवाब भी संतोषजनक नहीं आ रहा है तो हम टोका-टिप्पणी करेंगे, यह हमारा अधिकार है और यह अधिकार आप हमसे छीन नहीं सकते हैं। आप हमको यह नहीं कह सकते कि आपकी हर बात पर बोलने की आदत हो गई है। अगर आपको यह लगता है कि मैंने आदत बना ली है तो आप आराम से हाउस को छलाओ और फिर मैं देखता हूं कि कौन-कौन से ऐसे सभ्य सदस्य हैं जो आपकी बात को मानते हैं।

श्री ललित नागर: अध्यक्ष महोदय, मैं अपनी बात जल्दी ही समाप्त करता हूं। आज फरीदाबाद के हालात बहुत खराब हैं। सुरक्षा व्यवस्था के नाम पर वहां पर कुछ नहीं है। रोज-रोज गोलियां चल रही हैं, रोज-रोज वहां पर मर्डर हो रहे हैं, रोज-रोज वहां पर डकैतियां हो रही हैं। यह केवल मैं ही नहीं कह रहा हूं बल्कि आप रिकॉर्ड मंगवा कर देख लीजिए। वहां पर मामा नाम का आदमी है वह किसी से नहीं डरता है। वह हमें भी मारने के लिए थ्रैट देता है कि आपको देख लेंगे। इसके लिए मैं श्री अभय सिंह चौटाला जी का धन्यवाद करता हूं कि इन्होंने भी वही बात तो कही थी कि हाउस के एक मैम्बर को थ्रैट दी जा रही है जो नहीं दी जानी चाहिए। जो वह मामा नाम का आदमी है उसकी अवैध प्लोटिंग हो रही है तथा उसकी अवैध

बसें भी चलती हैं जो कि हरियाणा रोडवेज की बसों के रंग की बसें हैं। बल्लभगढ़ से अलीगढ़ तथा फरीदाबाद से आगरा के लिए 30—40 बसें चलती हैं। वहां पर हरियाणा रोडवेज की बसें बंद कर दी गई हैं और उनकी अपनी बसें चल रही हैं। यहां पर पुलिस के बड़े ऑफिसर भी बैठे हैं और पूरा सदन बैठा हुआ है उसकी इन्कावायरी करवा ली जाये।

परिवहन मंत्री (श्री कृष्ण लाल पंवार) : अध्यक्ष महोदय, माननीय साथी ने जिन बसों का जिक्र किया है मैं स्वयं जा कर उन बसों को इंपाउंड करवा कर आया हूं। उसके बाद हरियाणा रोडवेज के रंग की कोई बस चलती नजर नहीं आयेगी।

श्री ललित नागर: अध्यक्ष महोदय, आप अपने आदमी मेरे साथ भेज दें मैं दिखा दूंगा कि उनकी 10—10 बसें चल रही हैं। (शोर एवं व्यवधान)

श्री मूलचन्द शर्मा: अध्यक्ष महोदय, यह बात साथी ललित नागर ही नहीं मैं भी कहता हूं कि बल्लभगढ़ से अलीगढ़, आगरा तथा मथुरा तक वे प्राइवेट बसें चलती हैं। (शोर एवं व्यवधान)

श्री कृष्ण लाल पंवार: अध्यक्ष महोदय, बल्लभगढ़ से अलीगढ़, तक 6 बसों के परमिट हैं उसके अलावा कोई बस नहीं चलने दी जायेगी। मेरे साथी मुझे लिख कर दे दें, अगर बिना परमिट के कोई अवैध बस चलती है तो हम उसको इंपाउंड कर देंगे और उनके खिलाफ कार्रवाई की जायेगी।

श्री ललित नागर: अध्यक्ष महोदय, आज फरीदाबाद में पुलिस के बड़े—बड़े अधिकारी और कर्मचारी तथा जो दूसरे जितने भी अधिकारी हैं वे सभी मामा के दबाव में काम कर रहे हैं। मैं आपके माध्यम से सरकार से पूछना चाहता हूं कि किस हैसियत से उसके पास 6—6 गनमैन हैं और वे लोगों को धमकाने का काम करते हैं ? अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से पूछना चाहता हूं कि मैंने जो बातें आज सदन में कही हैं क्या उस पर सरकार कोई कार्रवाई करेगी क्या कोई इन्कावायरी करवायेगी?

शिक्षा मंत्री (श्री रामबिलास शर्मा) : अध्यक्ष महोदय, हमारे माननीय विधायक श्री ललित नागर जी ने सदन के सामने कुछ बातें रखी हैं वे सारी बातें चाहे वे अखबरों की कटिंग हों या जो उनके साथ हुआ है, इसकी हम पूरी जांच करवायेंगे।

श्री मूलचन्द शर्मा: अध्यक्ष महोदय, फरीदाबाद में 40—40 एकड़ की अवैध कालोनियां काटी जा रही हैं, क्या मंत्री जी उसके लिए भी कोई आश्वासन देंगे, क्या कोई कमेटी बना कर उन अवैध कालोनियों को रुकवाने का काम करेंगे? फरीदाबाद और

पलवल जिले में 25 से 40 एकड़ की बहुत सी अवैध कालोनियां कट रही हैं क्या उनके ऊपर भी कोई कार्रवाई होगी? इसके अतिरिक्त रेलवे स्टेशन के पास और डीग, असाउटी तथा पलवल में भी 40—40 एकड़ की अवैध कालोनियां काटी जा रही हैं। वहां पर सड़कें और बिजली के खंबे लगे हुये हैं। एक गरीब आदमी अपनी टूम—ठेकरी बच कर कोई प्लाट खरीदना चाहता है लेकिन अवैध कालोनियां काट कर उन गरीबों को लूटा जा रहा है। यह गरीब आदमी के साथ अन्याय हो रहा है। इसका भी आश्वासन दिया जाये। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: ठीक है, अब आप बैठें।

ध्यानाकर्षक प्रस्तावः—

नौकरियों से निकाले गए जे.बी.टी. अध्यापकों को वर्ष, 2017 में जारी रखने बारे
श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्यगण, मुझे श्री अभय सिंह चौटाला विधायक तथा 4 अन्य विधायकों (श्री केहर सिंह, श्री नसीम अहमद, श्री रविन्द्र बलियाला तथा श्री जाकिर हुसैन) द्वारा नौकरी से निकाले गये जे.बी.टी. अध्यापकों को वर्ष 2017 में नौकरी पर जारी रखने बारे एक स्थगन प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। मैंने इस स्थगन प्रस्ताव को ध्यानाकर्षण सूचना संख्या—14 में परिवर्तित करके स्वीकार कर लिया है। अब श्री अभय सिंह चौटाला, विधायक प्रथम हस्ताक्षरी होने के नाते अपनी सूचना पढ़ें। श्री केहर सिंह, श्री नसीम अहमद, श्री रविन्द्र बलियाला तथा श्री जाकिर हुसैन, विधायक भी इस विषय पर अपनी सप्लीमेंट्री पूछ सकते हैं।

(इस समय श्री अभय सिंह चौटाला सदन में उपस्थित नहीं थे)

श्री जाकिर हुसैन: अध्यक्ष महोदय, यदि आपकी इजाजत हो तो मैं यह ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पढ़ देता हूँ।

श्री अध्यक्ष: ठीक है।

श्री जाकिर हुसैन: अध्यक्ष महोदय, मैं तथा श्री अभय सिंह चौटाला, श्री केहर सिंह और प्रो. रविन्द्र बलियाला, विधायक इस महान सदन का ध्यान एक अत्यावश्क लोक महत्व के विषय की ओर दिलाना चाहते हैं। प्रदेश सरकार ने सभी आवश्यक कार्यवाही पूरी करने के बाद शिक्षा विभाग में 9455 जे.बी.टी. अध्यापकों की नियुक्ति की थी। मई, 2017 में इन चयनित प्रत्याशियों को नियुक्ति पत्र दे दिये गये थे। यह बड़ी ही आश्चर्यजनक बात है कि सभी कार्यवाही पूरी होने के बावजूद 1259 जे.बी.टी. अध्यापकों की तीन दिन के नोटिस पर ही नौकरी से निकालने का निर्णय लिया। सरकार ने इन्हें निकालने के लिए जो "लो मैरिट" का बहाना इस समय

लिया है वह गलत दिखाई देता है और उस पर पुनः विचार किया जाए। अध्यक्ष महोदय, राज्य एक जनकल्याण व जनहित के लिए होती है। लेकिन हरियाणा सरकार प्रदेश के युवाओं को नौकरी देने की बजाए उनकी नौकरियां छीन रही हैं। यहां यह बताना तर्कसंगत होगा कि इन अध्यापकों को रिक्त स्थानों पर नियुक्त किया गया था ताकि सरकारी स्कूलों में छात्रों की पढ़ाई अच्छी चल सके। सरकार के इस कदम ने युवाओं को बेरोजगार भी बना दिया है जिस कारण वे तनाव व रोष में हैं तथा छात्रों की पढ़ाई को भी नुकसान पहुंचा है। इनेलो पार्टी मांग करती है कि जनहित व इन जे.बी.टी. अध्यापकों के हित में सरकार कारण बताओ नोटिस, एवं टमीनिशन लेटर्स पर पुनर्विचार करे तथा इन्हें वापिस ले और इन जे.बी.टी. अध्यापकों को नौकरी में जारी रखा जाए।

वक्तव्यः—

शिक्षा मंत्री द्वारा उपरोक्त ध्यानाकर्षण प्रस्ताव संबंधी

शिक्षा मंत्री (श्री रामबिलास शर्मा) : अध्यक्ष महोदय, माननीय विधायकों ने ध्यानाकर्षण प्रस्ताव दिया है। विज्ञापन क्रमांक 2/2012 दिनांक 8.11.2012 के तहत 9870 प्राइमरी टीचर्ज (पी.आर.टी.) पदों के लिए किया गया था जिनमें मेवात के लिए 1107 पद तथा बाकी हरियाणा के लिए 8763 पद थे। कुल 10218 उम्मीदवारों का चयन किया गया तथा 763 को वेटिंग में रखा गया है। यह चयन सूची आयोग की तरफ से विभाग को प्राप्त हुई है। यह 2011 की चयन की हुई सूची थी। माननीय उच्च न्यायालय ने याचिका क्रमांक 12938/2014 महासिंह बुरानिया एवं अन्य बनाम हरियाणा सरकार मामले में सरकार को आदेश दिये गये कि नव चयनित पी.आर.टी. उम्मीदवारों को उनके चरित्र सत्यापन व एचटैट परीक्षा की वैज्ञानिक जांच करवाने के उपरान्त नियुक्ति प्रदान की जाये। अध्यक्ष महोदय, यह 2014 का निर्णय है। माननीय उच्च न्यायालय के याचिका क्रमांक 346/2013 अंतिम कुमारी बनाम हरियाणा सरकार तथा अन्य में पारित मामले में सचिव, हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने विज्ञापन क्रमांक 2/2012 के विरुद्ध 2507 उम्मीदवारों की चयन सूची 4.8.2015 को शिक्षा विभाग को भेजी। इसके अतिरिक्त भिन्न-भिन्न याचिकाओं में हुए निर्णय की अनुपालना में कर्मचारी चयन आयोग द्वारा सात अन्य उम्मीदवारों की चयन सूची विभाग में भेज दी गई है। इस प्रकार से विज्ञापन क्रमांक 2.2.2012 के तहत 9870 पदों के विरुद्ध पूर्व में 9455 चयनित अध्यापकों की सूची विभाग को मिली। यहां पर यह अंकित किया जाना जरूरी है कि माननीय उच्च न्यायालय ने

नियुक्तियों पर लगाए गए स्टे को दिनांक 20.4.2017 को हटा दिया तथा एल.पी.ए. नम्बर 686/2016 में निम्न आदेश पारित किएः—

"After hearing learned counsel for the parties, the interim order dated 11.5.2016 is vacated. The State of Haryana is directed to keep vacant 54 posts of JBT so as to accommodate the appellant- writ petitioner in the event of acceptance of their claim. The authorities shall be at liberty to fill up the remaining posts.

The appointment shall be made strictly in order of merit but not beyond the advertised posts."

अध्यक्ष महोदय इस संबंध में यह बताना जरूरी है कि उपरोक्त आदेशों की पालना में महाधिवक्ता, हरियाणा के कार्यालय से मामले में कानूनी राय लेने के बाद हमने 7907 योग्य उम्मीदवारों के साथ-साथ मेवात कॉर्डर के 887 योग्य उम्मीदवारों की प्रथम सूची नियुक्ति के लिए भेज दी है। यह भी अंकित किया जाता है कि माननीय उच्च न्यायालय ने दिनांक 8.5.2017 को एक और ऑर्डर पारित किया जो इस प्रकार हैः—

"Meanwhile, State of Haryana is directed to identify the total number of posts to be filled in as per the order dated 20.4.2017, as also the number of selected candidates, who as per the original merit list or revised merit list or in terms of directions issued by learned Single Judge(s), are entitled for appointment. It is further directed as an interim measure that the appointment be offered strictly in order of merit as per the revised merit list but subject to final outcome of these proceedings. If some posts may unfilled after appointing the candidates as per the revised merit list, the same may be offered to the candidates in waiting list provided that total appointment do not exceed the advertised posts."

अध्यक्ष महोदय हमने 9455 अध्यापकों को नियुक्ति पत्र दिए हैं। पिछली सरकारों के समय में यह पोस्ट्स विज्ञापित हुई थी। उसी सरकार में यह भर्ती भी हुई थी परन्तु माननीय हाई कोर्ट ने कहा कि चूंकि किसी के अंगूठे नहीं मिल रहे हैं या किसी के हस्ताक्षर नहीं मिल रहे हैं तो ऐसी सूरत में after scientific verification of the candidates के बाद ही अंतिम निर्णय लिया जाये। अध्यक्ष

महोदय, हमने सारी प्रक्रिया पूरी करते हुए 9455 अध्यापकों को अर्थात् पहली बार हरियाणा में इतनी बड़ी संख्या में रेगुलर अध्यापकों को नियुक्ति पत्र दिया। उसके बाद माननीय अध्यक्ष महोदय जैसाकि अभी कुछ हमारे माननीय सदस्यों ने किन्हीं उम्मीदवारों जिक्र किया था, उन सबको भी एकदम 10 दिन की समयावधि में ही अप्वॉयंटमेंट दे दी गई थी। यद्यपि कुछ लोग माननीय हाई कोर्ट में चले गए थे और उन्होंने कहा था कि उनको भी नियुक्ति पत्र दिया जाये। अध्यक्ष महोदय, हमने लो मैरिट प्राप्त 1255 कंडीडेट्स को भी नियुक्ति पत्र दे दिया था, जिनका जिक्र कई माननीय सदस्यों ने भी किया है। वैस यह मामला अब माननीय अदालत में विचाराधीन है। स्पीकर सर, इन 1259 उम्मीदवारों के केस को लेकर हमारी सरकार स्वयं कोर्ट गई है। यह बात सही है कि हमने उन उम्मीदवारों को नियुक्ति-पत्र दिये हैं। इसका कारण यह रहा कि वे माननीय उच्च न्यायालय से ऐसा आदेश ले आये कि हमें लो मैरिट वाले उम्मीदवारों को नियुक्ति-पत्र पहले देने पड़े। सरकार उन 1259 उम्मीदवारों के लिए अपने स्तर पर प्रयत्न कर रही है। हमने माननीय न्यायालय में एफिडेविट दिया है कि हमारे पास वैकेंसीज हैं और माननीय न्यायालय के आदेशानुसार हम उचित प्रक्रिया अपनाकर इन 1255 उम्मीदवारों में से जिन उम्मीदवारों का ढ़यू बनेगा, उनको नियुक्ति-पत्र देंगे।

श्री जाकिर हुसैन : स्पीकर सर, अभी माननीय मंत्री जी ने हाई कोर्ट के आदेश का हवाला देकर लो मैरिट कंडीडेट्स को नियुक्ति-पत्र देने की बात कही है। इसमें मेरा कहना है कि लो मैरिट कंडीडेट्स को नियुक्ति-पत्र देने ही नहीं चाहिए थे बल्कि नियुक्ति-पत्र केवल डिजर्विंग कंडीडेट्स को ही दिये जाने चाहिए थे। हमने लो-मैरिट कंडीडेट्स को नियुक्ति-पत्र दिये जाने की बात इससे पहले कभी नहीं सुनी। इस प्रकार से लोगों को नियुक्ति-पत्र दिये जाने से प्रदेश के बहुत-से बच्चों की जिन्दगी से खिलवाड़ किया जा रहा है। अतः इस पूरे मामले की जांच होनी चाहिए। मेरे क्षेत्र में एक बैकवर्ड क्लास का बहेर समाज से संबंध रखने वाला एक लड़का नरेन्द्र मोहनिया है। वह लड़का हरियाणा रोड़वेज के नूँह डिपो में परमार्नेट बेसिज पर बस कंडक्टर लगा हुआ था और उसको जे.बी.टी. का नियुक्ति-पत्र दे दिया गया। टीचर की पक्की सरकारी नौकरी करने के लिए उस लड़के ने कंडक्टर की सरकारी नौकरी से रिजाइन दे दिया और सरकार ने उसका रिजाइन असैप्ट कर लिया लेकिन अब उस लड़के को लो-मैरिट दिखाकर सड़क पर ला दिया गया। इसकी वजह से वह और उसका परिवार इतना फ़स्ट्रेट है कि वह

आत्महत्या भी कर सकता है। अगर वह लड़का इस तरह का कोई कदम उठा लेता है तो इसकी जिम्मेदार यह सरकार होगी। सरकार ने पहले तो उस लड़के को नियुक्ति-पत्र दे दिया और बाद में उसको लो-मैरिट की सूची में डालकर सड़क पर ला दिया। सरकार ने यह एक जघन्य अपराध किया है। इसके अतिरिक्त सरकार ने जो न्यायालय के 8 मई के ऑर्डर का हवाला दिया है जिसके मुताबिक प्रथम सूची 1259 जे.बी.टी. अध्यापकों को विभाग से बाहर कर दिया गया जबकि अंतिम कुमारी वर्सिज स्टेट गवर्नर्मेंट और मीनाक्षी वर्सिज स्टेट गवर्नर्मेंट के केस में डबल बैंच ने प्रथम सूची उम्मीदवारों के पक्ष में फैसला दिया है और कहा है कि वर्ष 2013 के उम्मीदवारों को अगर लगाना भी था तो खाली सीट के अगेंस्ट लगाना था। सी.एम. साहब इन 1259 निकाले हुए अध्यापकों से मिलने के लिए करनाल में गये थे और उनको आश्वासन दिया था कि आपको दीपावली से पहले अप्वायंटमैंट लैटर दे दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त वे विभाग के ए.सी.एस. और एडिशनल डायरेक्टर खंडेलवाल जी से भी मिले थे और उन्होंने उनसे कहा था कि हम आपको जल्द ही अप्वायंटमैंट लैटर दे देंगे। उस समय ये अध्यापक स्ट्राइक पर बैठे थे और इनको वहां जाकर 14 अगस्त से पहले नियुक्ति-पत्र देने का आश्वासन देकर स्ट्राइक से उठाया गया था। इस मामले में सरकार से जो चूक हुई है उसे वह सुधारनी चाहिए। मेरा कहना है कि प्रदेश में नरेन्द्र मोहनिया जैसे बहुत-से केसिज हैं जो सरकार के इस फैसले से पीड़ित हैं। अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से अपील करना चाहता हूं कि वे फौरन बयान दें कि लो मैरिट कंडीडेट्स को नियुक्ति-पत्र दिये जाएंगे। इसमें कोई कानूनी व्यवधान भी नहीं है क्योंकि हाई कोर्ट ने केवल मैरिट वाले उम्मीदवारों को नियुक्ति-पत्र देने की बात कही है। हाई कोर्ट ने यह नहीं कहा कि लो मैरिट वाले कंडीडेट्स को नौकरी पर न लगाया जाए।

श्री केहर सिंह : अध्यक्ष महोदया, हरियाणा सरकार ने बेटियों के बारे में वायदा भी किया था, नारा भी दिया था और माननीय प्रधानमंत्री जी ने हरियाणा की धरती पर 'बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ' की घोषणा भी की थी। लेकिन आज पढ़ लिखकर के फुटपाथ पर बैठने की नौबत आ गई है। 1259 जे.बी.टी. करनाल में धरने पर भूख हड़ताल किए हुए हैं। जिनमें से 2 जे.बी.टी. की तो मौत भी हो चुकी है लेकिन हरियाणा सरकार बिल्कुल मौन बैठी हुई है। अध्यक्ष महोदय, उसके लिए वे अध्यापक दोषी नहीं हैं, उसके लिए सरकार दोषी है। यह सरकार किस प्रकार से

दोषी है, इस बात का खुलासा मैं आपके माध्यम से सदन में करना चाहता हूँ। शिक्षा विभाग द्वारा 1259 जे.बी.टी. को 40 दिन सरकारी स्कूलों में काम पर रखा गया था। अध्यक्ष महोदय, ऑन रिकॉर्ड स्कूलों में उनकी हाजिरी भी लगी हुई है। तीन दिन के कारण बताओ नोटिस पर लो—मैरिट का कारण दिखाकर के उन्हें टर्मीनेट कर दिया जाता है। अध्यक्ष महोदय, दूसरा प्वायंट दिनांक 20.04.2015 के कोर्ट के ऑर्डर Antim Kumari Vs. State of Haryana & others C.W.P. No. 346 of 2013 के आदेश के अनुसार डब्ल बैच में ऑर्डर हुआ कि HTET 2013 के पास उम्मीदवारों को केवल रिक्त स्थानों पर रखा जाये न की 1259 जे.बी.टी. को हटाकर बाहर किया जाये। अध्यक्ष महोदय, मेरा दूसरा प्वायंट यह है कि हरियाणा सरकार के महाधिवक्ता श्री बलदेव महाजन द्वारा दिया गया हल्फनामा के आधार पर ही केवल HTET 2013 की नियुक्ति की गई है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन में कहना चाहता हूँ कि हरियाणा प्रदेश में और पूरे देश में सबसे बड़ी यदि कोई समस्या है तो वह बेरोजगारी की समस्या है। जहाँ रोजगार वाले पढ़े—लिखे नौजवानों को रोजगार पाने के बाद बेरोजगार करके बाहर का रास्ता दिखाया जा रहा है। यह हमारे लिए और हमारे प्रदेश के लिए बड़े घाटे का सौदा होगा। आज पूरे हरियाणा प्रदेश के स्कूलों में शिक्षा की अत्यंत आवश्यकता है। यह मामला मैंने कई बार सदन में भी उठाया था। अध्यक्ष महोदय, स्कूलों में यू.के.जी. और एल.के.जी. की क्लासिस शुरू करवाई जायें क्योंकि अब तो अच्छे पढ़े लिखे अध्यापक आ गए हैं। अध्यक्ष महोदय, यू.के.जी. और एल.के.जी. की क्लासिस शुरू होंगी तो हमारे बच्चों का भविष्य सुधरेगा। हमारे प्रदेश के स्कूलों की हालत यह है कि स्कूल अध्यापकों से खाली पड़े हुए हैं। स्कूलों में बच्चे ज्यादा हैं लेकिन अध्यापक नहीं हैं। अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले शिक्षा के पैटर्न को बदलने की आवश्यकता है। जो यह 9455 अध्यापकों की नियुक्ति की गई थी निश्चित तौर पर सभी अध्यापकगण अनुभवी थे और इनके द्वारा यू.के.जी. और एल.के.जी. की क्लासिस शुरू होती। अध्यक्ष महोदय, वर्ष 2003 में जब चौधरी ओम प्रकाश चौटाला की सरकार थी तो उस समय पहली क्लास से ही अंग्रेजी माध्यम शुरू किया गया था। मैंने कई बार इस संबंध में प्रश्न भी लगाया था। पिछले सत्र के दौरान मेरे प्रश्न के जवाब में मुझे माननीय शिक्षा मंत्री द्वारा यह आश्वासन दिया था कि हर जिले में एक—एक स्कूल अंग्रेजी माध्यम का शुरू किया है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह भी पूछना चाहता हूँ कि वे कौन—कौन

से स्कूलज हैं या मेरे पलवल जिले में कौन सा स्कूल है जहां पर क्लासिस अंग्रेजी माध्यम से चल रही है ताकि मैं वहां जाकर यह पता लगा सकूं कि हमारे प्रदेश के स्कूलों की व्यवस्था बदली है या नहीं बदली है ? अध्यक्ष महोदय, कांग्रेस पार्टी के सदस्य इस समय सदन में उपस्थित नहीं है, यदि सदन में उपस्थित होते तो मैं उनसे जरूर पूछता । उन्होंने ऐसी शिक्षा नीति बनाई थी जिन्होंने इस प्रदेश का बेड़ा गर्क कर दिया । कक्षा प्रथम से कक्षा सातवीं तक स्कूल जाने की जरूरत नहीं थी और डॉयरेक्ट आठवीं कक्षा में एडमिशन लेने की घोषणा कर दी । अगर कोई अध्यापक बच्चों को पढ़ाता था तो ऐसा कानून उन लोगों ने बनाया था कि उस अध्यापक के ऊपर मुकदमा दर्ज हो जाता था । अध्यक्ष महोदय, आज शिक्षा के ऊपर गरीब किसान और मजदूर का बहुत ज्यादा पैसा बर्बाद होता है । जिसके कारण किसान और मजदूर कंगाली के गर्त में फंसता जा रहा है । अध्यक्ष महोदय, किसान व मजदूर को यू.के.जी. और एल.के.जी. में अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए 30 से लेकर 40 हजार रुपये तक खर्च करने पड़ते हैं । अध्यक्ष महोदय, तमिलनाडु, केरल और हिमाचल प्रदेश की तर्ज पर अच्छे अध्यापकों की नियुक्ति की जायें और उनके द्वारा यू.के.जी. और एल.के.जी. की क्लासिस शुरू करवाई जायें चाहे और इसके लिए शिक्षा का बजट बढ़ाया जाये । देश और प्रदेश का भविष्य शिक्षा पर आधारित होता है । अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन से अनुरोध करता हूँ कि जिन 1259 जे.बी.टी. को कारण बताओ नोटिस देकर के लो—मैरिट दिखाकर के टर्मीनेट किया गया है, सरकार उस पर पुनः विचार करके अपना वक्तव्य सदन में दें ।

श्री नसीम अहमद: अध्यक्ष महोदय, एक तरफ अपने प्रदेश के अंदर शिक्षकों की भारी कमी है और प्रत्येक स्कूल के अंदर जितने शिक्षक होने चाहिएं, उससे आधा और तिहाई भी नहीं है । अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से बताना चाहूँगा कि जे.बी.टी. टीचर्स की नियुक्ति हुई थी और सरकार ने उनको अप्यायंट भी कर दिया, लेकिन उनको बाद में हटा दिया गया । अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय शिक्षा मंत्री जी से कहना चाहूँगा क्योंकि ये शिक्षा विभाग को अच्छी तरह से देखते हैं और इसके लिए पूरी तरह से एकिटव रहते हैं ताकि कोई गड़बड़ी न हो । लेकिन आज इस प्रदेश के अंदर इस मामले में बहुत ज्यादा बेकायदगी हो रही है । आज प्रदेश के नौजवान जो पहले अलग—अलग छोटी—मोटी नौकरियां करते थे या कहीं कोई सरकारी नौकरी में थे, वे नौजवान उन नौकरियों को छोड़कर शिक्षकों की नौकरी ज्वाईन कर रहे हैं, क्योंकि शिक्षक का जो काम है वह बहुत ही पवित्र माना जाता

है, इसलिए उन्होंने शिक्षक की नौकरी को पवित्र समझकर शिक्षक की नौकरी करना ज्यादा बेहतर समझा। अध्यक्ष महोदय, लेकिन आज वे लोग दर-दर की ठोकरें खा रहे हैं, उन लोगों को अपने परिवार का जीवन-यापन करने के लिए बहुत ही संघर्ष करना पड़ रहा है। एक तरफ तो सरकार शिक्षकों की कमी की दुहाई देती है और दूसरी तरफ उन लोगों को शिक्षकों के पद से निकालने का काम कर रही है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से केवल इतना कहना चाहता हूं कि आज प्रदेश के अंदर शिक्षकों की कमी है और खासकर हमारे मेवात जिले के अंदर। मैं एक छोटी सी बात अर्ज करना चाहता हूं कि मेरे विधान सभा क्षेत्र के अंदर दोहा एक छोटा सा गांव है और वह राजस्थान के बाड़र से लगता है, पिछले दिनों हमारे एडीशनल चीफ सेक्रेटरी के के.खंडेलवाल जी वहां पर रात काटकर आए थे। अध्यक्ष महोदय, मैं बताना चाहूंगा कि उस समय लोगों ने उनका बड़ा स्वागत किया, लेकिन आज लोग उल्टे यह कह रहे हैं कि हमारे यहां एडीशनल चीफ सेक्रेटरी साहब आए और हमारे स्कूल को खाली करके चले गए। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से बताना चाहूंगा कि उस गांव में आज की तारीख में केवल एक ही टीचर है। वहां पर एक गल्झ स्कूल है जहां पर एक भी टीचर नहीं है। अध्यक्ष महोदय, हमारे प्रदेश के स्कूलों का जो हाल है, वह आप लोगों से छुपा हुआ नहीं है। अध्यक्ष महोदय, मेरी आपके माध्यम से सरकार से यह अर्ज है कि ये जो 1259 टीचर्ज हैं, इनको तुरन्त नौकरी पर रखा जाए और जहां पर स्कूलों में शिक्षकों की कमी है वहां पर जल्द से जल्द शिक्षकों की पूर्ति की जाए।

प्रो. रविंद्र बलियाला: अध्यक्ष महोदय, मैं आपका धन्यवाद करना चाहूंगा कि आपने मुझे इस अत्यंत महत्वपूर्ण विषय पर बोलने का मौका दिया। कोई भी देश, समाज, प्रदेश तब तक तरकी नहीं कर सकता, जब तक वहां का बेसिक इन्फ्रास्ट्रक्चर डिवैल्प न हो। अध्यक्ष महोदय, बेसिक इन्फ्रास्ट्रक्चर में जल संसाधन, सड़कें और मानवीय संसाधन आते हैं। इनमें सबसे महत्वपूर्ण मानवीय संसाधनों का विकास है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन को बताना चाहूंगा कि मानवीय संसाधनों के विकास में सबसे ज्यादा जरूरी है प्राइमरी एजुकेशन, सेकेंडरी एजुकेशन, हायर एजुकेशन, टैक्नीकल एजुकेशन और हैल्थ एजुकेशन है। इनमें से जो सबसे ज्यादा जरूरी है, वह प्राइमरी एजुकेशन है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन को बताना चाहूंगा कि आज बहुत से इशूज ऐसे हैं, जिनके ऊपर आज इस सदन में चर्चा करना बहुत जरूरी है। अध्यक्ष महोदय, अगर किसी को एजुकेट करना है तो

केवल मात्र केवल यह नहीं होता है कि सिर्फ अध्यापक की ही जरूरत होती है, उसके साथ—साथ बहुत सी चीजों की भी आवश्यकता होती है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहूँगा कि आज स्कूलों में बिजली की व्यवस्था नहीं है। अध्यक्ष महोदय, यहां पर मैं किसी की आलोचना करने के लिए नहीं कह रहा हूँ हमारे पास कुछ इश्त्रूज हैं, जिनके ऊपर मैं मंत्री जी का ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूँ। अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार ने हर स्कूल में कम्प्यूटर एजुकेशन शुरू तो कर दी है और उसके साथ—साथ स्कूलों में कम्प्यूटर अध्यापक भी नियुक्त कर दिए गए हैं, लेकिन समस्या यह है कि उन स्कूलों में बिजली नहीं है। अध्यक्ष महोदय, मैं बताना चाहूँगा कि बहुत से स्कूलों में बिजली के कनैक्शंज काटे जा रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ कि इस तरह से उन स्कूलों में कम्प्यूटर्ज कैसे चलेंगे ? इसी तरह से ट्रांस्पोर्टेशन की व्यवस्था भी हमारे प्रदेश में अच्छी नहीं है। अध्यक्ष महोदय, बहुत सी ऐसी चीज़े हैं जिनका बच्चों को पढ़ाने के लिए, स्कूल और समाज के विकास के लिए होना नितांत आवश्यक है। दूसरी चीजों की अगर कमी भी हो तो वह चल सकती है लेकिन विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास के लिए सबसे ज्यादा जरूरत अध्यापकों की होती है। इसलिए मैं यह कहना चाहता हूँ कि यदि हमारे प्रदेश के स्कूलों में अध्यापक ही नहीं होंगे तो हमारे बच्चे कैसे पढ़ पायेंगे और किस प्रकार से हमारी जो स्कूली शिक्षा है वह तरक्की कर पायेगी ? यह जो 1259 टीचर्ज का मामला है इस सम्बन्ध में मैं यह कहना चाहूँगा कि यदि इतनी पोस्ट्स खाली पड़ी हैं जैसा कि माननीय मंत्री जी ने माना भी है और बहुत से हमारे विधायक साथियों ने भी कहा है कि उनके नोटिस में बहुत से ऐसे स्कूल हैं जिनमें एक अध्यापक है अर्थात् जिनमें बहुत से विद्यार्थी हैं और केवल मात्र एक अध्यापक है उन्होंने उन स्कूलों की संख्या बताने की बात भी कही है। इसी प्रकार से यहां पर बहुत से ऐसे स्कूलज़ का भी जिक्र किया गया है जिनमें एक भी अध्यापक नहीं है। इस प्रकार के स्कूलज़ में डेपुटेशन पर अध्यापकों को इधर से उधर करके लगाया गया है। यदि कहीं पोस्ट्स खाली भी है तो ये जो कानूनविद हैं और सम्बंधित अधिकारी हैं वे इस प्रकार की जानकारी तैयार करके सम्बंधित मंत्री को देते हैं जो उनकी सुविधानुसार हो अर्थात् जो उनको सूट करती हो। आंकड़ों को अपने हिसाब से तोड़—मरोड़ कर मंत्री के सम्मुख प्रस्तुत कर दिया जाता है और इसी के हिसाब से मंत्री जी अपने विचार व्यक्त कर देते हैं। इस प्रकार की बहुत सी बातें हैं अगर हमें मौका दिया जायेगा तो उनके बारे में यहां पर

विस्तारपूर्वक जानकारी हम देने के लिए तैयार हैं कि कहां—कहां पर अधिकारियों द्वारा मंत्री जी को गलत जानकारी देकर गुमराह किया गया है। जो कानूनविद साथी हैं मैं उनसे यह पूछना चाहता हूं कि क्या ऐसा कोई माननीय कोर्ट का आदेश आया हुआ है कि benefit once given can not be withdrawn ? जो हमारे अधिकारीगण हैं वे इस सम्बन्ध में पूरी जानकारी माननीय मंत्री जी के सामने लायें कि इस तरह का भी कोई कोर्ट का आदेश है कि यदि एक बार जो बैनीफिट किसी को दे दिया जाता है और वह सारी की सारी योग्यतायें पूरी भी कर रहा है तो उसको विद—झौँ नहीं किया जा सकता ? उस कानून का सहारा लेकर इन 1259 अध्यापकों के केस को माननीय कोर्ट के समक्ष पुट—अप किया जाये और उनको दोबारा से अप्वायंटमेंट लैटर्स दिये जाये। मैं माननीय मंत्री जी से यह पूछना चाहता हूं कि क्या वे इस तरह के जो कानून हैं उनका सहारा लेकर इन जो 1259 अध्यापक हैं जिनको नौकरी से निकाला गया है, बहुत से बीच में से जो 40—50 दिन ये नौकरी पर रहे हैं, इससे उनकी जिंदगी के शारीरिक, मानसिक और पारिवारिक तौर पर बहुत से समीकरण बदल चुके हैं, अगर मंत्री जी इस ओर विशेष ध्यान देकर कार्यवाही करके उनको बैनीफिट दिलवाते हैं तो उनकी सारी परेशानियों का समाधान हो सकता है। बाकी भी जो चीजें हैं अगर आप समय देंगे तो मैं उनको मंत्री जी के ध्यान में ला दूंगा। माननीय स्पीकर सर, मेरी आपसे एक शिकायत भी है कि मैं हर बार तारांकित प्रश्न पूछता हूं लेकिन उन सभी को अतारांकित प्रश्नों में कंवर्ट करके मुझे जवाब दे दिया जाता है। यह हमेशा ही होता है। हमें यह बताया जाये कि उनका जवाब हम कहां से और कैसे लें?

श्री अध्यक्ष : बलियाला जी, आप इस सम्बन्ध में लिखकर दे दें मैं इसे चैक करवा लूंगा।

प्रो० रविन्द्र बलियाला : स्पीकर सर, मैंने बहुत से क्वैश्चन्ज हॉयर एजुकेशन के बारे में दिये हुए थे। एक मैंने पे—बैंड 4 के बारे में क्वैश्चन पूछा हुआ था। इस सम्बन्ध में मैं यह बताना चाहूंगा कि बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको पिछले महीने पे—बैंड 4 दिया गया। (विघ्न)

श्री अध्यक्ष : बलियाला जी, आपकी बात पूरी हो गई है इसलिए अब आप कृपया करके बैठ जायें। इसके अलावा अगर आप कोई अन्य जानकारी चाहते हैं तो उसके बारे में आप लिखकर दे दें मैं उसके ऊपर कार्यवाही करवा लूंगा।

श्री तेज पाल तंवर : स्पीकर सर, मैं इस बारे में आपके ध्यान में यह बात लाना चाहूंगा कि जब इंडियन नेशनल लोकदल के सदस्य श्री जाकिर हुसैन जी ने इस सम्बन्ध में पूरी बात विस्तारपूर्वक कह दी है तो फिर इनकी पार्टी के दूसरे सदस्य उसी बात को बार—बार क्यों दोहरा रहे हैं? इससे सदन का कीमती समय अनावश्यक रूप से बर्बाद होता है। इस प्रकार की दिशाहीन चर्चा से किसी का कोई लाभ होने वाला नहीं है। इस प्रकार से बोलने वाले सदस्यों को आपको बिल्कुल भी समय नहीं देना चाहिए जो एक ही बात को बार—बार दोहराकर सदन का समय बर्बाद करते हैं। यहां पर कोई गीत तो गाना नहीं होता कि सभी उसी को ही गाते रहेंगे। दूसरे सदस्य भी बैठे हैं उनको भी अपनी बात कहनी है। हमें भी अपनी बात रखने का हक है जिसके लिए हमें भी समय मिलना चाहिए। पहले डेढ़ घंटे तक नेता प्रतिपक्ष बोले उसके बाद भी एक घंटे तक बोले और बाद में आधा घंटा बोले लेकिन जब आदरणीय अध्यक्ष जी ने कहा कि ऐसे नहीं चलेगा तो इस पर इतना बोलने के बाद भी अंत में नाराज़ होकर सदन को छोड़कर चले गये। हम ऐसा बिल्कुल नहीं चलने देंगे। हमें भी अपनी बात कहने के लिए समय चाहिए।

श्री अध्यक्ष : तेज पाल जी, आपकी बात पूरी हो गई है आपके सुझाव को अमल में लाया जायेगा, अभी आप कृपया करके बैठ जायें।

श्री जाकिर हुसैन : स्पीकर सर, मैं आपके माध्यम से श्री तेज पाल तंवर सिंह जी जो मेरे दोस्त हैं, उनको कहना चाहूंगा कि जब उनको मेवात फीडर कैनाल के मामले पर बोलना चाहिए था जिससे उनके हल्के के 24 गांव कनैकिटड हैं तब तो वे नहीं बोले। ये पता नहीं कहां से नये—नये विषय उठाकर ले आते हैं? मैं इनको कहना चाहता हूं कि कोई गीत बार—बार थोड़े ही गाया जाता है। हमारी पार्टी के सभी माननीय सदस्य तो अपने—अपने क्षेत्र की समस्याओं का रोना रो रहे हैं।

शिक्षा मंत्री (श्री राम बिलास शर्मा) : माननीय अध्यक्ष महोदय जी, माननीय विधायक चौधरी जाकिर हुसैन, चौधरी केहर सिंह, चौधरी नसीम अहमद, प्रोफैसर रवीन्द्र बलियाला इन सभी लोगों ने शिक्षा के सम्बन्ध में बड़ी गहरी और अनुभव की बातें अपने ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के माध्यम से बताई हैं। मैंने इस ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के जवाब में पूरे सदन को यह बताया था कि हमारी सरकार को जो समस्यायें मिल वह विरासत में मिली हैं। जो ये रिकूटमैट्स हुई ये सभी वर्ष 2011, वर्ष 2012 और वर्ष 2014 की थी। स्पीकर सर, हमें कुछ समस्यायें तो विरासत में मिली हैं। यह तो वही बात हो गई कि नानी खसम करके भाग गई और दोहतों को सज़ा मिली।

(विघ्न) I am coming to the point. जो इन 1259 अध्यापकों के सम्बन्ध में माननीय सदस्यों द्वारा चिंता व्यक्त की गई है यह पूरी तरह से जायज है। मैंने ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के जवाब में यह माना है कि ये 9455 अध्यापकों की जो पहली सूची आई उनके सम्बन्ध में माननीय हाई कोर्ट ने ये आदेश जारी किये थे कि इन सभी का साईटिफिक वैरीफिकेशन करने के बाद जो सही पाये जायें उनको नियुक्ति पत्र दिये गये। एच.टैट एक परीक्षा है यह उनके लिए आयोजित की जाती है जो खास तरह के अध्यापक होते हैं। जैसे कॉलेज में प्रोफैसर लगने के लिए नैट क्लीयर होना चाहिए और साथ में उसे पी.एच.डी. होना चाहिए। स्पीकर सर, अध्यापकों की कैटेगरी ऐसी नहीं है जिसमें हम जिसे चाहें उसे लगा दें। इस मामले में प्राइमरी टाचर्ज (पी.आर.टी.) के लिए सभी कैटेगरीज़ के लिए एच.टैट क्लीयर करना जरूरी है। इसी प्रकार से प्रोफैसर के लिए नैट क्लीयर होना और पी.एच.डी. होना जरूरी है। स्पीकर सर, हमारी सरकार को प्रदेश में 12000 अध्यापकों को रेगुलर रोजगार देने का क्रेडिट जाता है। इसके बाद कुछ मित्र माननीय हाई कोर्ट में चले गये और माननीय हाई कोर्ट ने कहा कि सरकार इनको अप्वायंटमैंट दे और जो लो—मैरिट के उम्मीदवारों को सरकार ने अप्वायंटमैंट दे दिया है उनको तीन दिन के अंदर फारिंग किया जाये। स्पीकर सर, यह हमारी सरकार की अच्छी नीयत का नतीजा है माननीय मुख्यमंत्री जी ने करनाल में उनकी पीड़ा को सुना और अनुभव किया। इसी सरकार ने उनको नियुक्ति पत्र दिया। मैं माननीय सदन को यह बताना चाहता हूं कि जैसे नसीम जी ने दोहा गांव की बात की और कहा कि ए.सी.एस. के.के. खण्डेलवाल पूरी रात वहां पर बिताकर आये और वहां के लोगों से मिले। जो हमारा दोहा गांव है यह राजस्थान बॉर्डर का गांव है। मैं स्वयं भी बॉर्डर के गांव की ढाणी में रहता हूं। इसी तरह से अलग—अलग क्षेत्रों की अलग—अलग समस्याएं हैं। मेवात के लिये, पर्वतीय इलाके मोरनी के लिये हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी मेवात की लड़कियों के लिये एक विशेष सुविधा उपलब्ध करवाने जा रहे हैं। जहां तक ट्रांसपोर्ट की सुविधा का सवाल है तो जिस किसी विद्यालय में लड़कियों की संख्या 20 से 25 के बीच है और 10 किलोमीटर में कोई कॉलेज नहीं है तो उसके लिये हमने सरस्वती बस सेवा चालू की है। प्रो० रविन्द्र बलियाला जी के ध्यान में अगर कोई ऐसी बात है तो वह अपने लैटरपैड पर लिखकर हमें दे दें सरकार उस पर 24 घण्टे के अन्दर एक्शन लेगी। मैं यह केवल कॉलेज की बात कर रहा हूं। कल श्री जसविन्द्र सिंह संधु ने भाई अशोक अरोड़ा

के गनमैन के लिए बात कही तो रात को 9 बजे श्री अशोक अरोड़ा के पास गनमैन पहुंच गया था । आज वह सदन में आए हुए हैं । (शोर एवं व्यवधान) स्पीकर सर, शिक्षा विभाग के बारे माननीय सभी विधायक साथियों को हमारा खुला निवेदन है कि जहां भी ढाणी में, गांव में, कॉलेज में कहीं पर भी उनको ये लगे कि इस पर सरकार को कोई कार्रवाई करनी चाहिए तो हम उसके लिये सबका स्वागत करेंगे । यह जो 1259 अध्यापक हैं इनके बारे में सरकार बहुत संवेदनशील है । माननीय मुख्यमंत्री जी से वह सभी लोग मिल चुके हैं । माननीय हाई कोर्ट की बात जाकिर साहब आप भी अच्छी तरह से जानते हैं और सभी जानते हैं । उसमें से हम सरकारी तौर पर कोई रास्ता निकालने की कोशिश कर रहे हैं और आने वाले महीने के अन्दर हम आपको सुखद समाचार देंगे । इसके साथ ही मैं सारे सदन को एक प्रार्थना करना चाहता हूं कि शिक्षा विभाग के बारे में रविन्द्र जी जो आप ट्रांसपोर्ट के बारे में कह रहे थे उसके लिये हम 24 घण्टे के अन्दर सरस्वती एक्सप्रैस बस सेवा चालू करने जा रहे हैं । हमारा फोन नं 0 8195811111 है, आप कहीं से भी रात के 12 बजे फोन करिये, रात के 1 बजे करिये यह फोन हमेशा खुला रखते हैं । शिक्षा के संबंध में कोई भी समस्या हो, आपके दिमाग में कोई समाधान हो, हम उसका स्वागत करेंगे और इन 1259 अध्यापकों के लिये हमारी सरकार पूरी तरह से चिन्तित है जिसका हम आपको जल्दी ही अच्छा समाचार सुनाएंगे ।

श्री जाकिर हुसैन : अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जो नरेन्द्र मोहनिया लड़का है जिसने ऐज ए कंडक्टर रिजाईन किया था, उसका क्या हुआ ?

श्री राम बिलास शर्मा : जाकिर जी, वह मेरे ध्यान में आ गया है । ऐसे 20 कंडैक्टर्ज और ड्राईवर्ज हैं जो हरियाणा रोड़वेज में कार्यरत थे । उन्होंने जे.बी.टी. की परीक्षा पास कर ली है । जे.बी.टी. में उनका सलैक्शन भी हो गया है । सरकार उन 20 कैंडीडेट्स का स्पेशल केस बनाकर उस पर विचार करना चाहती है जिसके लिये उनको आश्वस्त भी किया गया है क्योंकि कंडैक्टर्ज ड्राईवर्ज की तनख्वाह कम है और अध्यापक की तनख्वाह 40 हजार से शुरू होती है । हम उनका आपकी इच्छानुसार काम करेंगे ।

श्री जाकिर हुसैन : मंत्री जी, जिन कंडैक्टर्ज का जे.बी.टी. में सलैक्शन हो गया है उन्होंने जे.बी.टी. में ज्वायनिंग की अनिश्चितता को देखते हुए अपने विभाग में वापिस जाने के लिये एप्लाई कर रखा है अगर किसी कारणवश उनको जे.बी.टी. की पोस्ट पर ज्वाइन नहीं करवाया जाता है तो कायदे के अनुसार उनको प्रेजेंट

विभाग में वापिस लिया जा सकता है। अतः मेरा मंत्री जी से अनुरोध है कि उन आवेदकों की ऐप्लीकेशन्ज पर ध्यान दिया जाए। ऐसा न हो कि कभी उनको बाद में कंडैक्टर्ज की पोस्ट पर भी न रखा जाए। मेरी बस इतनी ही अर्ज है।

परिवहन मंत्री (श्री कृष्ण लाल पंवार) : अध्यक्ष महोदय 12 कंडैक्टर्ज ऐसे थे जो जे. बी.टी. अध्यापक ज्वाइन करने के लिये नहीं जा सके थे। अब उन 12 कंडैक्टर्ज की फाईल नीचे ए.सी.एस. के प्रोसैस से होकर मेरे से निकल कर माननीय मुख्यमंत्री जी के पास होकर एल.आर. के पास एडवार्ड्ज के लिये गई हुई है। हम जल्दी ही उनका काम करवा देंगे।

श्री जाकिर हुसैन : धन्यवाद जी।

ढाणियों में बिजली की आपूर्ति सम्बन्धी मामला उठाना

श्री अभय सिंह यादव : स्पीकर सर, मेरा ढाणियों में बिजली देने से संबंधित प्रश्न तो सुबह हो गया था जिसमें काफी आर्गुमेंट भी हो गये थे। लेकिन उसका पूरा जवाब नहीं हो पाया था। उस संबंध में मेरी मंत्री जी से बात हो गई है और मंत्री महोदय इस बात पर सहमत भी है कि मेरी बात सही है। मेरा मंत्री जी से अनुरोध है कि यह एक बार उसको सदन में बता दें तो वह जवाब एश्योरेंस पर आ जाएगा।

श्री कृष्ण लाल पंवार : अध्यक्ष महोदय, माननीय साथी का इस बारे में सुबह एक सवाल था मैं उनको बताना चाहता हूं कि महेन्द्रगढ़ के अन्दर 24 पैट ट्रांसफार्मर स्थापित किये गये हैं। वहां ऐसे 86 ट्रांसफार्मर लगाने थे जिनमें से 85 ट्रांसफार्मर चालू हो गये हैं और एक ट्रांसफार्मर रहता है उसको भी हम एक हफ्ते के अन्दर चालू करवा देंगे। इसके अलावा विधायक जी के हलके में जो ढाणियां हैं जिसके बारे में माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि ढाणियों को जो 8 घण्टे बिजली मिलती थी उनको 12 घण्टे बिजली कैसे मिले, उसके लिये हम उनको पैट ट्रांसफार्मर लगाकर 4 घण्टे सिंगल फेस में बिजली और देंगे। विधायक जी लिख कर दे देंगे कि उनके क्षेत्र में कितनी ढाणियां हैं तो उनके कर्नैक्शन भी हम जुड़वा देंगे।

विधान कार्य :-

- (i) दि हरियाणा मैनेजमैन्ट ऑफ सिविक अमेनिटीज एंड इन्फास्ट्रक्चर डैफीशिएन्ट म्यूनिसिपल एरियाज(स्पेशल प्रोवीजन्ज)(अमैन्डमैन्ट) बिल,2017**

श्री राम बिलास शर्मा : अध्यक्ष महोदय, इसीलिये तो कहा गया कि घर की बही और काका लिखन वाला । (शोर एवं व्यवधान)

मुख्यमंत्री (श्री मनोहर लाल) : इसके बारे में मैं बता देता हूं कि एक साल के अन्दर-अन्दर सभी ढाणियों को उसी पैटर्न के आधार पर बिजली दे दी जाएगी । (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : अब शहरी स्थानीय निकाय मंत्री हरियाणा नगरपालिका क्षेत्रों में अपूर्ण नागरिक सुख-सुविधाओं तथा अवसंरचना का प्रबंधन (विशेष उपबन्ध) संशोधन विधेयक, 2017 प्रस्तुत करेंगी तथा इस पर विचार के लिये प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगी ।

शहरी स्थानीय निकाय मंत्री (श्रीमती कविता जैन) : अध्यक्ष महोदय, मैं हरियाणा नगरपालिका क्षेत्रों में अपूर्ण नागरिक सुख-सुविधाओं तथा अवसंरचना का प्रबंधन (विशेष उपबन्ध) (संशोधन) विधेयक 2017 प्रस्तुत करती हूं । मैं यह भी प्रस्ताव करती हूं –

कि हरियाणा नगरपालिका क्षेत्रों में अपूर्ण नागरिक सुख-सुविधाओं तथा अवसंरचना का प्रबंधन (विशेष उपबन्ध) संशोधन विधेयक पर तुरंत विचार किया जाए ।

श्री अध्यक्ष : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ –

कि हरियाणा नगरपालिका क्षेत्रों में अपूर्ण नागरिक सुख-सुविधाओं तथा अवसंरचना का प्रबंधन (विशेष उपबन्ध) संशोधन विधेयक पर तुरंत विचार किया जाए ।

श्री परमिन्द्र सिंह ढुल (जुलाना) : अध्यक्ष महोदय, जो यह बिल पेश हुआ है मैं इसमें एक ही बात कहना चाहूंगा कि मंत्री जी जो यह नागरिकों को सुख-सुविधाएं प्रदान करने का आगे दो साल का समय दे रही हैं उसमें तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है लेकिन साथ-साथ मैं मंत्री महोदय से यह कह रहा हूं कि ये जो दो साल का समय दिया गया उसमें जो कॉलोनियां विकसित हो चुकी हैं उनकी हालत भी बहुत खराब है । क्या आप उनको भी संज्ञान में लेंगी ? सरकार ने पिछली बार अमैंड किया था और कहा था कि जो ये अर्बन एस्टेट्स हैं वह हुड़ा से निकलकर नगर पालिका में चली जाएंगी । इसके बाद ही हमारे जीन्द के हुड़ा सैक्टर- 6,7,8,9,10,11 हैं वह सारे नगर पालिका में चले गये हैं । आज सबको पता है कि नगर पालिका की

अपनी खुद की फाईनैशियल हालत भी ठीक नहीं है। उन सैक्टरों की सड़कें इतनी टूटी हुई हैं जिनको देखने के लिये कुछ ऑफिसर्ज भी गये थे। वह मेरे पास एश्योरेंस कमेटी में भी आए थे इसलिए वह मुझे बुलाकर ले गये थे। उनको भी इन सड़कों का कोई समाधान नजर नहीं आता क्योंकि उनके पास भी पावर नहीं है। हमारे जीन्द के अर्बन एस्टेट के रोड़स बिल्कुल टूटे हुए हैं उन पर से पैदल भी नहीं जाया जा सकता इसलिए उन रोड़ज को भी आप ठीक करवा दें तो आपका बहुत—बहुत धन्यवाद होगा।

श्री रणबीर गंगवा (नलवा) : अध्यक्ष महोदय, मैं आदरणीय ढुल साहब की बात को आगे बढ़ाते हुए हिसार की बात करूंगा। नगर निगम के अन्दर जो सैक्टर-15 है वह वी.आई.पी. एरिया है जिसके अन्दर पूर्व मुख्यमंत्री और कई पूर्व मंत्रियों की रिहायश भी है और इसी तरीके से जो और सैक्टर्ज हैं उनकी हालत भी यह हो गई कि अब उन सैक्टर्ज को डिवैल्पमैंट के लिये नगर निगम के हवाले कर दिया गया है लेकिन अगर उनकी कोई इनहैंसमैंट है या किसी ने मकान ज्यादा बनाया हुआ है और उसका यदि कोई चार्ज बनता है तो वह हुड़ा लेता है। कमल गुप्ता जी यहां बैठे हैं उनको भी पता है वहां की रोड़ज में गड़डे पड़े हुए हैं।

डॉ कमल गुप्ता (हिसार) : अध्यक्ष महोदय, वहां के आधे से ज्यादा रोड़ज नये बन चुके हैं। आप वहां जाकर देखना। मैं यह ऑन दा रिकॉर्ड कह रहा हूं। आप वहां जा कर देख लो वहां साढ़े सात करोड़ रुपये के काम के टैंडर्ज हो चुके हैं, उसके एस्टीमेटस बन चुके हैं और उसके वर्क भी अलॉट हो चुके हैं। (शोर एवं व्यवधान)

श्री रणबीर गंगवा : डॉक्टर साहब, आप सैक्टर 15 और डिफँस कॉलोनी के बारे में भी बता दें।

श्री अध्यक्ष : गंगवा जी, आप जो कह रहे हैं तो वही सुख—सुविधा देने के लिये ही तो मंत्री जी बिल लेकर आ रही हैं। (शोर एवं व्यवधान)

श्री रणबीर गंगवा : अध्यक्ष महोदय, मैं तो यह कह रहा हूं कि उन सैक्टर्ज के रोड़ज के सुधार का कोई प्रबंध किया जाए क्योंकि आज उनकी हालत ये है कि उससे ठीक हालत तो कहीं न कहीं आउटर कालोनियों की है। मुख्यमंत्री महोदय, आप भी वहां जाते रहते हो आपको भी पता होगा कि सैक्टर-15 की हालत क्या है? आप डिफँस कॉलोनी की हालत पता करवा लीजिये कि वहां के रोड़ज पर

कितने—कितने गड़डे हैं । मेरा तो बस यही कहना है कि वहां के रोड़ज की हालत ठीक करवाई जाए । धन्यवाद ।

18:00 बजे

शहरी स्थानीय निकाय मंत्री (श्रीमती कविता जैन) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन की जानकारी के लिए बताना चाहूंगी कि वे सभी हुड़ा के सैक्टर जो अर्बन लोकल बाड़ीज के दायरे में आये हैं जिनके बार में कई माननीय सदस्यों ने अभी बताया है कि हुड़ा के सैक्टर अर्बन लोकल बाड़ी के दायरे में आए हैं, उस परिपेक्ष्य में मैं सदन की जानकारी के लिए बताना चाहूंगी कि पूरे प्रदेश में इस बाबत सर्वे करवाकर एस्टिमेट्स बनावाये जा रहे हैं और इसके बाद जैसे ही माननीय मुख्यमंत्री जी तथा माननीय वित्त मंत्री जी हमें पैसा उपलब्ध करवायेंगे, हम प्रॉयरिटी पर इन सैक्टरों में विकास के काम शुरू करवा देंगे ।

डॉ. हरि चंद मिढ़ा (जींद) : अध्यक्ष महोदय, जींद में सीवरेज की बहुत भारी समस्या है। लोग मुझे बार—बार आकर मिलते हैं और सीवरेज की समस्या को दूर कराने की बात कहते हैं। अतः अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि जींद में सीवरेज समस्या को ठीक करवाने की कृपा करे। अगर मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन न करूं तो भला और किस से करूं? अगर मंत्री जी को मेरा निवेदन मंजूर नहीं है तो मैं फिर उपर वाले से ही निवेदन करूंगा?

श्री सुभाष सुधा (कुरुक्षेत्र) : अध्यक्ष महोदय, मैं सरकार का धन्यवाद करूंगा कि सोलिड वेस्ट ट्रीटमैंट विषय पर बहुत ज्यादा काम किया जा रहा है लेकिन साथ ही यह भी ध्यान दिलाना चाहूंगा कि मेरे निर्वाचन क्षेत्र में शहर के कूड़े को डालने के लिए कोई जगह उपलब्ध नहीं है जिसकी वजह से बहुत भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अतः अध्यक्ष महोदय, मेरा आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से तथा शहरी स्थानीय निकाय मंत्री जी से अनुरोध है कि मेरे निर्वाचन क्षेत्र में सोलिड वेस्ट ट्रीटमैंट प्लॉट का प्रावधान करवाया जाये?

श्री ज्ञान चंद गुप्ता (पंचकुला) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से अनुरोध करना चाहूंगा कि जिन गांवों को नगर निगम में आये 2–3 वर्ष हो गए हैं, उनमें बेसिक एमेनिटिज अभी तक भी उपलब्ध नहीं हो सकी हैं। इन गांवों में न सफाई की व्यवस्था है न ही सड़कों की कोई व्यवस्था है और न ही लोगों को पीने के पानी की कोई व्यवस्था की गई है। विशेषकर पंचकुला नगर निगम में आने

वाले गांवों में लोगों को कोई भी बेसिक एमेनिटिस नहीं मिल पा रही हैं। अतः मेरा निवेदन है कि इनके उपर विशेष रूप से ध्यान दिया जाये।

श्री बलवान सिंह दौलतपुरिया (फतेहाबाद) : अध्यक्ष महोदय, फतेहाबाद में नगर पालिका बस स्टैंड के सामने जी.टी.रोड़ के उपर वेस्टेज डालने का एक प्वॉयंट बना रखा है। जहां पर एक—एक सप्ताह तक वेस्टेज पड़ा रहता है और उसके बाद ही इस वेस्टेज को उठाया जाता है। यदि आप हिसार की तरफ से एंट्री करते हैं तो वहां पर लिखा है कि गुलाबी नगरी में आपका स्वागत है लेकिन इस होर्डिंग से थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो 'स्वरथ भारत—स्वच्छ भारत' अभियान की धज्जियां उड़ती हुई साफ नज़र आ जाती हैं। अतः अध्यक्ष महोदय, मेरा आपके माध्यम से अनुरोध है कि इस वेस्टेज प्वॉयंट को अन्यत्र कहीं शिफ्ट कर दिया जाये।

शहरी स्थानीय निकाय मंत्री (श्रीमती कविता जैन) : अध्यक्ष महोदय, यदि माननीय सदस्य बिल के विषय पर कोई चर्चा करना चाहे तो मैं उसका उत्तर देने के लिए तैयार हूँ लेकिन यदि माननीय सदस्य का बिल के अतिरिक्त कोई अन्य विषय है, तो वह मुझे उस विषय को लिखकर दे दें, निश्चित रूप से उस पर कार्रवाई होगी। जिस तरह की बात माननीय सदस्य कर रहे हैं, मैं समझती हूँ कि यह एक तरह से व्यवस्था का प्रश्न है और मेरा आग्रह है कि माननीय सदस्य इसके बारे में मुझे लिखकर दे सकते हैं।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न है—

कि हरियाणा नगरपालिका क्षेत्रों में अपूर्ण नागरिक सुख सुविधाओं तथा अवसंरचना का प्रबन्धन (विशेष उपबन्ध) (संशोधन) विधेयक पर तुरन्त विचार किया जाये।

प्रस्ताव पारित हुआ

श्री अध्यक्ष: अब सदन विधेयक पर क्लॉज बाई क्लॉज विचार करेगा।

सब क्लॉज 2 ऑफ क्लॉज 1

श्री अध्यक्ष: प्रश्न है—

कि सब क्लॉज 2 ऑफ क्लॉज 1 विधेयक का पार्ट बने

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

क्लॉज 2

श्री अध्यक्ष: प्रश्न है—

कि क्लॉज 2 विधेयक का पार्ट बने

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

सब क्लॉज 1 ऑफ क्लॉज 1

श्री अध्यक्ष: प्रश्न है—

कि सब क्लॉज 1 ऑफ क्लॉज 1 विधेयक का पार्ट बने
प्रस्ताव स्वीकृत हुआ
इनैकिटंग फॉर्मूला

श्री अध्यक्ष: प्रश्न है—

कि अनैकिटंग फॉर्मूला विधेयक का इनैकिटंग फॉर्मूला हो।
प्रस्ताव स्वीकृत हुआ
टाईटल

श्री अध्यक्ष: प्रश्न है—

कि टाईटल विधेयक का इनैकिटंग फॉर्मूला हो।
प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

श्री अध्यक्ष: अब शहरी स्थानीय निकाय मंत्री प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगी कि विधेयक पारित किया जाए।

श्रीमती कविता जैन: अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करती हूँ—
कि विधेयक पारित किया जाये।

श्री अध्यक्ष: प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ—

कि विधेयक पारित किया जाये

श्री अध्यक्ष: प्रश्न है—
कि विधेयक पारित किया जाये

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ
विधेयक पारित हुआ

(ii) दि हरियाणा म्युनिसिपल (सेकेण्ड अमैडमैट) बिल, 2017

श्री अध्यक्ष : अब शहरी स्थानीय निकाय मंत्री हरियाणा नगरपालिका (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2017 प्रस्तुत करेंगी तथा यह भी प्रस्ताव करेंगी कि विधेयक पर तुरंत विचार किया जाए।

शहरी स्थानीय निकाय मंत्री (श्रीमती कविता जैन) : अध्यक्ष महोदय, मैं हरियाणा नगरपालिका (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2017 प्रस्तुत करती हूँ। मैं यह भी प्रस्ताव करती हूँ—

कि हरियाणा नगरपालिका (द्वितीय संशोधन) विधेयक पर तुरंत विचार किया जाए ।

श्री अध्यक्ष : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ –

कि हरियाणा नगरपालिका (द्वितीय संशोधन) विधेयक पर तुरंत विचार किया जाए ।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है –

कि हरियाणा नगरपालिका (द्वितीय संशोधन) विधेयक पर तुरंत विचार किया जाए ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

श्री अध्यक्ष : अब सदन विधेयक पर क्लॉज बाई क्लॉज विचार करेगा ।

क्लॉज 2

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है –

कि क्लॉज 2 विधेयक का पार्ट बने ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

क्लॉज 3

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है –

कि क्लॉज 3 विधेयक का पार्ट बने ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

क्लॉज 1

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है –

कि क्लॉज 1 विधेयक का पार्ट बने ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

इनैकिटंग फार्मूला

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है –

कि अनैकिटंग फार्मूला विधेयक का इनैकिटंग फार्मूला हो ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

टाइटल

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है –

कि टाइटल विधेयक का टाइटल हो ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

श्री अध्यक्ष : अब शहरी स्थानीय निकाय मंत्री प्रस्ताव करेंगी कि विधेयक पारित किया जाए ।

शहरी स्थानीय निकाय मंत्री (श्रीमती कविता जैन) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करती हूँ –

कि विधेयक पारित किया जाए ।

श्री अध्यक्ष : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ –

कि विधेयक पारित किया जाए ।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है –

कि विधेयक पारित किया जाए ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।
विधेयक पारित हुआ ।

.....

(iii) दि हरियाणा म्युनिसिपल कारपोरेशन (सैकेण्ड अमैडमैट) बिल, 2017

श्री अध्यक्ष : अब शहरी स्थानीय निकाय मंत्री हरियाणा नगर निगम (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2017 प्रस्तुत करेंगी तथा यह भी प्रस्ताव करेंगी कि विधेयक पर तुरंत विचार किया जाए ।

शहरी स्थानीय निकाय मंत्री (श्रीमती कविता जैन) : अध्यक्ष महोदय, मैं हरियाणा नगर निगम (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2017 प्रस्तुत करती हूँ । मैं यह भी प्रस्ताव करती हूँ –

कि हरियाणा नगर निगम (द्वितीय संशोधन) विधेयक पर तुरंत विचार किया जाए ।

श्री अध्यक्ष : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ –

कि हरियाणा नगर निगम (द्वितीय संशोधन) विधेयक पर तुरंत विचार किया जाए ।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है –

कि हरियाणा नगर निगम (द्वितीय संशोधन) विधेयक पर तुरंत विचार किया जाए ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

श्री अध्यक्ष : अब सदन विधेयक पर क्लॉज बाई क्लॉज विचार करेगा ।

क्लॉज 2

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है –

कि क्लॉज 2 विधेयक का पार्ट बने ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

क्लॉज 3

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है –

कि क्लॉज 3 विधेयक का पार्ट बने ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

क्लॉज 1

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है –

कि क्लॉज 1 विधेयक का पार्ट बने ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

इनैकिटंग फार्मूला

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है –

कि इनैकिटंग फार्मूला विधेयक का इनैकिटंग फार्मूला हो ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

टाइटल

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है –

कि टाइटल विधेयक का टाइटल हो ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

श्री अध्यक्ष : अब शहरी स्थानीय निकाय मंत्री प्रस्ताव करेंगी कि विधेयक पारित किया जाए ।

शहरी स्थानीय निकाय मंत्री (श्रीमती कविता जैन) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ –

कि विधेयक पारित किया जाए ।

श्री अध्यक्ष : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ –

कि विधेयक पारित किया जाए ।

श्री परमिन्दर सिंह ढुल (जुलाना) : अध्यक्ष महोदय, हरियाणा के लोगों पर बिजली के बिलों का पहले ही काफी बोझ है। इसके अतिरिक्त हरियाणा में बिजली वैसे ही काफी महंगी है और लोगों को कोई अतिरिक्त सुख-सुविधा भी नहीं मिल रही है। इसके बावजूद यह सरकार बिजली के रेट 2 परसैट और बढ़ाने जा रही है। (विच्छन)

शहरी स्थानीय निकाय मंत्री (श्रीमती कविता जैन) : अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार सभी स्ट्रीट लाइट्स को सी.एफ.एल. से एल.ई.डी. में कन्वर्ट करने जा रही है। इसके लिए हमने 5 शहरों में टैण्डर भी कर दिये हैं। इसके अतिरिक्त हम पर्यावरण को सेफ रखने के लिए हरित बिजली की तरफ भी कदम बढ़ा रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है –

कि विधेयक पारित किया जाए ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

विधेयक पारित हुआ ।

.....

(iv) दि इण्डियन स्टैम्प (हरियाणा सैकेण्ड अमैडमैट) बिल, 2017

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, अब शिक्षा मंत्री भारतीय स्टाम्प (हरियाणा द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2017 प्रस्तुत करेंगे और इस पर तुरंत विचार करने के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे।

शिक्षा मंत्री (श्री राम बिलास शर्मा) : स्पीकर सर, मैं भारतीय स्टाम्प (हरियाणा द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2017 प्रस्तुत करता हूँ। मैं यह भी प्रस्ताव करता हूँ –

कि भारतीय स्टाम्प (हरियाणा द्वितीय संशोधन) विधेयक पर तुरन्त विचार किया जाए।

श्री अध्यक्ष : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ –

कि भारतीय स्टाम्प (हरियाणा द्वितीय संशोधन) विधेयक पर तुरन्त विचार किया जाए।

श्री रणबीर गंगवा (नलवा) : अध्यक्ष महोदय, मैं इस बिल पर आपके माध्यम से सिर्फ यह कहना चाहता हूँ कि शहरों में कलेक्टर रेट तो ज्यादा है लेकिन मकान/प्लॉट

आदि की मार्किट वैल्यू कम है। आज किसान की यह हालत है कि 10 किलोमीटर के अंदर शहर या नगर पालिका में यदि कोई जमीन है तो उसको यदि वह बेचेगा तो सारा का सारा पैसा इन्कम टैक्स में चला जायेगा और उसका खर्चा भी पूरा नहीं हो पायेगा क्योंकि इन्कम टैक्स कलेक्टर रेट को मानता है। यदि कोई असली रेट पर स्टाम्प ड्यूटी ज्यादा दे भी दे तो भी बड़ी भारी दिक्कत और परेशानी है। अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन यह है कि मौके को देखकर वास्तविक मूल्य क्या है, उस हिसाब से कलेक्टर रेट में संशोधन करना चाहिए। प्रॉपर्टी के रेट पहले ही कम थे और नोटबंदी के कारण तो प्रॉपर्टी के रेट बहुत ज्यादा कम हो गए हैं। आज प्रॉपर्टी की हालत यह हो गई है कि कलेक्टर रेट तो ज्यादा है और मार्किट वैल्यू कम है। शहर के चारों ओर जिनकी प्रॉपर्टी है, उनको भी बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इसलिए मेरा निवेदन है कि इस बात का हल होना चाहिए।

शिक्षा मंत्री (श्री राम बिलास शर्मा) : अध्यक्ष महोदय, यह विधेयक हम इसलिए लेकर आ रहे हैं कि पहले स्टाम्प ड्यूटी 5 प्रतिशत थी जिसको हम इस विधेयक के माध्यम से घटा रहे हैं यह स्टाम्प ड्यूटी 2 प्रतिशत से भी कम यानी 1.5 प्रतिशत कर रहे हैं। (विध्न)

मुख्यमंत्री (श्री मनोहर लाल) : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो विषय उठाया उसके संबंध में मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को बताना चाहता हूँ कि कहीं भी मार्किट रेट कम हो और कलेक्टर रेट ज्यादा हो तो तुरंत लिखकर दे दें। सरकार ने यह घोषणा की हुई है कि कलेक्टर रेट को तुरंत कम किया जायेगा। अध्यक्ष महोदय, सभी जिलों के उपायुक्तों को निर्देश भी दिए हुए हैं कि वर्ष में दो बार कलेक्टर रेट में संशोधन करें। कलेक्टर रेट को संशोधित करने के लिए वैज्ञानिक तरीके का उपयोग करके वहाँ के मार्किट के रेट के हिसाब से 5-10 प्रतिशत कलेक्टर रेट कम हो ऐसा सुनिश्चित करें।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न है –

कि भारतीय स्टाम्प (हरियाणा द्वितीय संशोधन) विधेयक पर तुरन्त विचार किया जाए।
प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री अध्यक्ष: अब सदन बिल पर क्लॉज-बाई-क्लॉज विचार करेगा।

क्लॉज-2

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है –

कि क्लॉज 2 विधेयक का पार्ट बने।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

क्लॉज-1

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है –

कि क्लॉज 1 विधेयक का पार्ट बने।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

इनैकिटंग फार्मूला

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है –

कि इनैकिटंग फार्मूला विधेयक का इनैकिटंग फार्मूला हो।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

टाइटल

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है –

कि टाइटल विधेयक का टाइटल हो।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री अध्यक्ष : अब शिक्षा मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाए।

शिक्षा मंत्री (श्री राम बिलास शर्मा) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ –

कि विधेयक पारित किया जाए।

श्री अध्यक्ष : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ –

कि विधेयक पारित किया जाए।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है –

कि विधेयक पारित किया जाए।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।
विधेयक पारित हुआ।

सदस्यों को समय पर विधेयक उपलब्ध करवाने का मामला उठाना

श्री परमिन्द्र सिंह ढूल: अध्यक्ष महोदय, मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब आप स्पीकर बने थे तो हमने सुझाव दिए थे कि जब कभी भी कोई भी बिल सदन में आता है तो उसे कोई भी मेम्बर अच्छी तरह से पढ़ नहीं पाता है। हमने पहले भी

आपसे आग्रह किया था कि जो बिल पहले से ही सदन में आने के लिए प्रीप्लांड होते हैं तो जिस दिन सैशन शुरू होना हो, उससे पहले यह बिल सारे मैम्बर्ज के पास पहुंचा दिए जाएं ताकि मैम्बर्ज उसे अच्छी तरह से पढ़ लें और उसकी तैयारी कर लें। इससे एक सार्थक बहस का मौका मिलेगा और उसमें मैम्बर्ज अपना योगदान भी दे सकते हैं। यह पिछले काफी सालों से आदत बनी हुई है कि बिल सेम डे सदन में रखा जाता है, जिसके कारण मैम्बर्ज के द्वारा उसे पूरी तरह से पढ़ना संभव नहीं है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे आग्रह करना चाहूंगा कि कम से कम 2–3 दिन पहले सभी बिल्ज सारे मैम्बर्स के पास भेजे जाएं।

श्री अध्यक्ष: परमिंदर सिंह जी, आपका सुझाव अच्छा है, हम इस पर कोशिश करेंगे।

माननीय सदस्यगण, अब सदन कल बुधवार दिनांक 25 अक्टूबर, 2017 प्रातः 10.00 बजे तक के लिए स्थगित किया जाता है।

(*18:16 बजे (तत्पश्चात् सदन की बैठक बुधवार दिनांक 25 अक्टूबर, 2017 प्रातः 10.00 बजे तक के लिए* स्थगित हुई।)